खण्ड–504, अंक–4
सोमवार, 05 चैत्र, शक संवत 1940
(26 मार्च, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2018)

(खण्ड 504 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
बी0एड0, टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी) ...	7
प्रश्नोत्तर	8-66
आज की कार्य-सूची के आतारांकित प्रश्न सं0-61 का उत्तर शासन द्वारा विरोधाभासी होने पर प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	67-68
नियम-301 की सूचनायें	69-71
जनपद गोरखपुर के कस्बा कौडीराम के चुंगी के पास खाली पड़ी जमीन पर शुलभ शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
जनपद झांसी के औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में घड़ी साबुन फैक्ट्री को पीने योग्य पानी की सप्लाई औद्योगिक उपयोग में रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
जनपद पीलीभीत के कतिपय नदियों एवं नहरों की शिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के हाफिजगंज बाया सेंथल जादोपार मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
जनपद गोण्डा के मसकनवा बाजार में नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	73
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद में शादी विवाह हेतु सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	73-74
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के कतिपय फीडर पर कम वोल्टेज से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत दीनदयाल नगर रेलवे लाइन के 12 नम्बर फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74-75
प्रदेश में पोस्टमार्टम की सभी प्रक्रिया आनलाइन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटावा के विकास खण्ड खुनियांव के पचमोहनी में जू0 हाईस्कूल का उच्चीकरण कर इण्टर स्तर तक करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के अन्तर्गत समशीपुर घाट में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	75-76
जनपद कानपुर नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र के जरनलगंज एवं कलेक्टरगंज के बाजार में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, के इलाहाबाद द्वारा सन् 2013 एवं 2015 में प्रधानाचार्यों के विज्ञापन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
मण्डी परिषद् में समूह ''क'' एवं ''ख'' के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जिला चिकित्सालय, आजमगगढ़ में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत डामर रोड बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	78
जनपद इटावा के इटावा सफारी पार्क में बब्बर शेर मंगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कतिपय ग्रामों के ट्रांसफारर्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	79
जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक शाहपुर के ग्राम सोहजनी तगान में पानी की टंकी बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र खड्डा में प0 दीन दयाल उपाध्याय के नाम से 50 बेड का अस्पताल बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
उ0प्र0 के गरीब किसानों की फसल को आवारा पशुओं और छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर पशुशाला बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80-81

विषय	पृष्ठ-संख्या
मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना की स्वीकृति हेतु जिले पर लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
जनपद सहारनपुर के नगर पालिका गंगोह से लखनौती की ओर जाने वाले नाले की निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में आवंटियों को आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82-83
जनपद मेरठ के कतिपय मोहल्लों में जलभराव के निस्तारण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत सृजित विकास खण्ड बरांव को क्रियाशील बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद सहारनपुर के पिलखनी रजवाहे पुल का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत बरवटा बंधी का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85-86
जनपद कुशीनगर के ए0पी0 तटबन्ध एवं आमवाखास तटबंध पर स्वीकृत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
जनपद सुल्तानपुर सदर के अप्तर्गत ग्राम बनौरा के शाखा सहायक की शाखा खण्ड-16 नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
बी0एड0, टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना	87-90
बिजली व्यवस्था को निजी क्षेत्रों में दिये जाने के विरोध में हड़ताल पर जा रहे पावर कार्पोरेशन एवं इंजीनियरों के प्रकरण पर चर्चा कराये जाने सम्बन्धी श्री अजय कुमार 'लल्लू' की नियम-311 के अन्तर्गत सूचना	90-100
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के विकास खण्ड महाराजगंज के कतिपय ग्रामों में हुये अग्निकाण्ड पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाये जाने सम्बन्धी नेता विरोधी दल के अनुरोध पर ली गयी सूचना...	100-102
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का दशम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	103

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर में ग्राम सभा गंगोली में ग्राम खेल के मैदान गाटा संख्या-289 की चहार दीवारों व कमरा निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	103
जनपद कुशीनगर के कुबेर स्थान के पास पौराणिक एवं ऐतिहासिक जलामपाई के मन्दिर के पार स्थित धूप सागर तालाब के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित योचिका (उपस्थित की गयी)	103
जनपद कुशीनगर में ग्राम सभा गोबरही चौराहा में पेट्रोल टंकी से सुरेन्द्र दूबे के घर तक तथा ग्राम सभा गोबरही चौराहा से ग्राम सभा नटवलिया तक पक्की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमर नाथ मद्धेशिया आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	103
जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा परसौना बुजुर्ग में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री पन्ना लाल सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	104
जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में बसडीला नहर को पलिया गांव होते हुए रहसुपिच से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री अनिल मल्ल आदि निवासीगण जनपद कुशीननर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	104
जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना के ग्राम सभा सिंघन-जोड़ी में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका(उपस्थित की गयी) ...	104
जनपद कुशीनगर में स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मल्ल आदि निवासीगण जनपद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	104
जनपद कुशीनगर के तहसील कसयां पोस्ट बतरौली के ग्राम सभा फगुपुर विशनपुरा में शव दाह गृह का निमार्ण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज प्रसाद आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	105
जनपद कुशीनगर में विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर विभिन्न के ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराए जाने के समबन्ध में श्री केश्वरमल आदि निवासीगण कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	105
जिला अम्बेडकरनगर के ब्लाक-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम छिटूनी में बारात घर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	105

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला अमबेडकरनगर के ब्लाक-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम मंशापुर में बाबा डम्मर दास की तपोस्थली में स्थित तालाब का जनहित में सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर आदि निवासीगण जनपद अम्बेडकरनर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	105-106
जनपद कानपुर नगर में औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम सभा बगदौधी बांगर, तहसील सदर, कानपुर नगर की अर्जित जमीन के सम्बन्ध में श्री प्रेम कुमार बाजपेई आदि निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	106
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्य क्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	106
अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	107
उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) ...	107-108
वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान सं0-1 लगायत, 28, 29 लगायत 63, 65 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95	108
अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) विभाग (स्वीकृत) ...	108
अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत) ...	108
अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	108-109
अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)...	109
अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	109
अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग (स्वीकृत)	109
अनुदान संख्या-21 खाद्य रसद विभाग (स्वीकृत)	109
अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)...	109
अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी) (स्वीकृत)...	109
अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	109
अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	110
अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत) ...	110
अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)... ...	110

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पंचायती राज) (स्वीकृत)... ...	110
अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)..	110
अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	110
अनुदान संख्या-74 गृह विभाग (होम गार्ड) (स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण (स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	111
अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)... ...	111
अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	111
अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)... ...	111
अनुदान संख्या-02 आवास विभाग (स्वीकृत)	112
अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...	112
अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)...	112
अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)...	112
अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राज्य विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	112
अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	112
अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	112
अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)... ...	113
अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग	113
अनुदान संख्या-67 विधान परिषद सचिवालय (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	114

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	...	114
अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	...	114
अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)...	...	114
अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)... ...	...	114
अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	114
अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्ययं) (स्वीकृत)...	...	114
अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ...	...	115
अनुदान संख्या-22 खेल विभाग (स्वीकृत)	...	115
अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	...	115
अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)...	...	115
अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	...	115
अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ...	...	115
अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)... ...	...	115
अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)		116
अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)		116
अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	...	116
अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...	116
अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	...	116
अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत) ...	...	116
अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत)...	...	116
अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) (स्वीकृत)...	...	116
अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) (स्वीकृत)...	...	117
अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)(स्वीकृत)	...	117
अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)... ...	...	117
अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)...	...	117
अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)...	...	117
अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (स्वीकृत)...	...	117
अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत)...	...	117
अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	...	118
अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	...	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)... ...	118
अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवा योजन) (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)... ...	119
अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)... ...	119
अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)...	119
अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)...	120
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)...	120
अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)... ...	120
अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग (स्वीकृत)...	120
अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या-60 वन विभाग (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ...	121
अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग) (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या-48 अल्प संख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)...	121
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक पर कटौती का प्रस्ताव (अस्वीकृत) ...	121-155
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (पारित)	155-168
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	169-171

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार दिनांक 26 मार्च, 2018

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-342

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
26. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
27. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
30. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
31. असलम अली, श्री — हापुड़
32. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
33. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
34. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
35. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
36. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
37. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
38. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
39. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
40. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
41. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
42. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
43. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
44. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
45. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
46. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर

47. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
48. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
49. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
50. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
51. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
52. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
53. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
54. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
55. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
56. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
57. काली प्रसाद, श्री देवरिया
58. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
60. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
61. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. केसर सिंह, श्री बरेली
64. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
65. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
66. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
67. गंगा, श्री कुशीनगर
68. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
69. जी0 एस0 धर्मेश, डा0 आगरा
70. गौरी शंकर, श्री जालौन
71. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
72. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
73. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
74. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
75. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
76. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
77. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
78. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
79. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
80. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
81. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
82. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
83. जयमंगल, श्री महाराजगंज
84. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
85. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
86. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
87. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
88. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
89. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
90. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
91. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
92. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
93. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
94. दल बहादुर, श्री रायबरेली
95. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
96. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
97. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
98. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
99. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
100. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
101. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
102. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
103. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
104. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
105. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
106. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
107. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली

108. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री — बाराबंकी
109. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 — सहारनपुर
110. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री — बदायूं
111. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
112. धीरेन्द्र सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
113. नन्द किशोर गुर्जर, श्री — गाजियाबाद
114. नफीस अहमद, श्री — आजमगढ़
115. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 — जालौन
116. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
117. नरेश सैनी, श्री — सहारनपुर
118. नवाब जान, श्री — मुरादाबाद
119. नसीर अहमद खाँ श्री — रामपुर
120. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री — फर्रुखाबाद
121. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
122. निर्मला संखवार, श्रीमती — कानपुर देहात
123. नीरज बोरा, डॉ0 — लखनऊ
124. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 — वाराणसी
125. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री — वाराणसी
126. नीलिमा कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
127. पंकज गुप्ता, श्री — उन्नाव
128. पंकज सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
129. पक्षालिका सिंह, रानी — आगरा
130. पवन कुमार, श्री — कुशीनगर
131. पल्टूराम, श्री — बलरामपुर
132. पारसनाथ यादव, श्री — जौनपुर
133. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती — सम्भल
134. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
135. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — बांदा
136. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
137. प्रतीक भूषण सिंह, श्री — गोण्डा
138. प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
139. प्रभात कुमार वर्मा, श्री — गोण्डा
140. प्रभाष कुमार, श्री — हरदोई
141. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री — चन्दौली
142. प्रवीण कुमार सिंह, श्री — इलाहाबाद
143. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री — गोण्डा
144. प्रेमसागर पटेल, श्री — महाराजगंज
145. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
146. फागू चौहान, श्री — मऊ
147. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महाराजगंज
148. बम्बा लाल, श्री — उन्नाव
149. बल्देव सिंह औलख, श्री — रामपुर
150. बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
151. बाबा गोरखनाथ, श्री — फैजाबाद
152. बाबू राम पासवान, श्री — पीलीभीत
153. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
154. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती — बुलन्दशहर
155. बिहारीलाल आर्य, श्री — झांसी
156. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री — हाथरस
157. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री — महोबा
158. बृजेश कठेरिया, इंजी0 — मैनपुरी
159. बृजेश कुमार, श्री — उन्नाव
160. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री — बांदा
161. बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
162. ब्रजेश पाठक, श्री — लखनऊ
163. ब्रिजेश, श्री — सहारनपुर
164. भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर नगर
165. भूपेश चौबे, श्री — सोनभद्र
166. मंजू त्यागी, श्रीमती — खीरी
167. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद

168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
170. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
171. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
172. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
173. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
174. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
175. महबूब अली, श्री अमरोहा
176. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
177. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
178. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
179. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
180. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
181. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
182. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
183. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
184. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
185. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
186. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
187. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
188. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
189. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
190. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
191. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
192. योगेश वर्मा, श्री खीरी
193. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
194. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
195. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
196. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
197. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
198. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
199. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
200. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
201. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
202. रवि शर्मा, श्री झांसी
203. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
204. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
205. आर0के0 वर्मा, डॉ0, श्री प्रतापगढ़
206. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
207. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
208. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
209. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
210. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
211. राज करन कबीर, श्री बांदा
212. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
213. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
214. राजबाला, श्रीमती रामपुर
215. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
216. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
217. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
218. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
219. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
220. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
221. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
222. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
223. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
224. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
225. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
226. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर

227. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
228. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
229. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
230. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
231. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
232. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
233. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
234. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
235. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
236. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
237. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
238. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
239. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
240. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
241. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
242. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
243. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
244. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
245. लाखन सिंह, श्री औरैया
246. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
247. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
248. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
249. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
250. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
251. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
252. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
253. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
254. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
255. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
256. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
257. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
258. विनय शाक्य, श्री औरैया
259. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
260. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
261. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
262. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
263. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
264. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
265. वीरेन्द्र, श्री एटा
266. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
267. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
268. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
269. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
270. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
271. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
272. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
273. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
274. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
275. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
276. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
277. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
278. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
279. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
280. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
281. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
282. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
283. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
284. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
285. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
286. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
287. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
288. संजय, श्री बुलन्दशहर

289. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
290. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
291. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
292. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
293. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
294. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
295. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
296. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
297. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
298. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
299. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
300. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
301. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
302. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
303. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
304. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
305. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
306. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
307. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
308. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
309. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
310. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
311. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
312. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
313. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
314. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
315. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
316. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
317. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
318. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
319. सुरेश कुमार, श्री शामली
320. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
321. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
322. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
323. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
324. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
325. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
326. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
327. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
328. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
329. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
330. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
331. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
332. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
333. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
334. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
335. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
336. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
337. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
338. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
339. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
340. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
341. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
342. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोटः-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), उप मुख्य मंत्री (डॉ0 दिनेश शर्मा), परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री , (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) एवं विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रोद्यौगिकी, मुस्लिम वक्फ हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

(पूर्वाह्न 11:00 बजे माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

बी0एड0, टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 23 मार्च, 2018 को...

(इस मध्य मा0 सदस्य श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' भी अपने स्थान पर खड़े थे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों के विषयों पर प्रश्नोत्तर काल के बाद विचार करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत जरूरी बात है। यह बहुत आवश्यक है। एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अपराह्न 12:20 तक का समय प्रश्नोत्तर काल हेतु अधिकृत है। इसलिये पहले प्रश्नोत्तर काल हो जाने दीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही जरूरी घटना है। बहुत ज्यादा बात नहीं कहनी है। केवल एक मिनट सुन लीजिये और उसके बाद प्रश्न ले लीजिये। बी0एड0, टी0ई0टी0 अभ्यर्थी 2011...

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर के बाद आप दो मिनट बोल लीजियेगा। आप हमारी बात सुनिये नहीं तो प्रश्नोत्तर काल चला जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, केवल एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हम कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तर के फौरन बाद आप अपनी बात कह लीजियेगा।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जिला अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***1-डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी (अनुपस्थित)-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से क्या सरकार प्रत्येक जिला अस्पताल एवं ट्रामा सेन्टर पर सी0टी0 स्कैन व सी0 आर्म मशीन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

प्रदेश के 38 जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन मशीन एन0एच0एम0 स्तर से एवं 18 ट्रामा सेन्टरों पर सी0टी0 स्कैन मशीन महानिदेशालय स्तर से आपूर्ति/स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। 16 जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन मशीन पूर्व से स्थापित है।

प्रदेश के 38 जिला चिकित्सालयों में सी0 आर्म मशीन स्थापित है तथा 29 जिला चिकित्सालयों में 30 सी. आर्म मशीन की आपूर्ति/स्थापना की जा रही है।

प्रदेश के शेष जिला चिकित्सालयों एवं ट्रामा सेन्टरों पर सी0टी0 स्कैन मशीन एवं सी0 आर्म मशीन की स्थापना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डॉ0 आर0 के0 वर्मा जी है ? मा0 अमन मणि त्रिपाठी जी है ?

(मा0 सदस्य डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी के अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, इंसफेलाइटिस को दूर करने की कार्य योजना बनाने विषयक

***2-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डेंगू मलेरिया, इंसेफेलाइटिस के बढ़ते हुये प्रकोप को दूर करने हेतु सरकार द्वारा इससे निपटने के लिये कोई नीति/योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थनाथ सिंह-

जी हां।

रूपरेखा निम्नवत् है :-

1-सर्वेक्षण के अन्तर्गत रोग के प्रसार की समय रहते जानकारी प्राप्त कर बचाव एवं नियंत्रण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

2-टॉस्कफोर्स का गठन-जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टॉस्कफोर्स समितियों का गठन किया गया है, जिसमें सम्बन्धित सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को शामिल कर उनके समन्वय एवं सहयोग से इन बीमरियों के रोकथाम की कार्रवाई की जा रही है।

3-प्रशिक्षण के अन्तर्गत 129 बाल रोग विशेषज्ञों को वेन्टीलेटर संचालन के सम्बन्ध में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर-के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में दिनांक 15-03-2018 से प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया।

गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के सभी जनपदों के 1134 चिकित्साधिकारियों को मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। 30000, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहुओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 650 स्कूलों के नोडल अध्यापकों, 4332 ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

4-अन्तर्विभागीय सहयोग एवं समन्वय के अन्तर्गत सम्बन्धित सभी विभागों के साथ शासन स्तर पर बैठक कर उनके कार्यों को चिन्हित कर प्रभावित सभी जनपदों में एक साथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

5-विशेष टीकाकरण योजना के अन्तर्गत जे0ई0 से प्रभावित सभी जनपदों में 01 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों (लगभग 32 लाख) का टीकाकरण कराया जाना प्रस्तावित है।

6-विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा- जे0ई0 से प्रभावित सभी 38 जनपदों में तीन चरणों में मनाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में दिनांक 02-04-2018 से 16-04-2018 तक मनाया जा रहा है। इसके बाद क्रमशः मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं नवम्बर में मनाया जायेगा। इसमें सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने चिन्हित कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाकर उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

7-चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत-6 जनपदों में नये पी0आई0सी0यू0 की स्थापना, गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के जनपदों में पूर्व से स्थापित 10 पी0आई0सी0यू0 में से 05 पी0आई0सी0यू0 का उच्चीकरण तथा 15 नये मिनी पी0आई0सी0क्यू0 निर्मित कराया जाना प्रस्तावित है।

8-प्रदेश में स्थापित 19 सेन्टीनल लैब-में उपकरण एवं मानव संपदा देकर सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित है।

9-स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत-आम जनता को स्वच्छता एवं संचारी रोगों से बचने के उपायों के प्रति जागरुक किये जाने हेतु बड़े पैमाने पर रेडियो, टी0वी0 होर्डिंग, हैण्डबिल, गोष्ठी, नुक्कड़ आदि विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाना प्रस्तावित हैं।

10-फागिंग एवं लार्वासाइडल स्प्रे का छिड़काव-सभी प्रस्तावित क्षेत्रों में छिड़काव कराया जा रहा है। चिकित्सा विभाग द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में लार्वासाइडल स्प्रे, नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में फागिंग एवं लार्वासाइडल स्प्रे एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लार्वासाइडल स्प्रे की कार्रवाई की जाती है।

11-डेंगू का प्रारम्भिक उपचार प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में उपलब्ध है तथा जिला चिकित्सालयों पर 10 और सामुदायिक केन्द्रों पर 05 शैय्यायें इस रोग के संक्रमण काल में आरक्षित की जाती है।

12-डेंगू की विशिष्ट जांच हेतु 37 एस0एस0एच0 लैब पूर्व में स्थापित है और 13 नयी लैब की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

13-जून माह को एण्टी मलेरिया माह के रूप में मनाते हुये ज्वर रोगियों का सघन परीक्षण कराया जाना प्रस्तावित है तथा वर्ष 2018 में सर्वेक्षण का लक्ष्य जनसंख्या का 2 प्रतिशत रखा गया है और इसकी शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, ए0ई0एस0 और जे0ई0 ये दोनों बहुत ही गंभीर बीमारी हैं और लगभग 38 जिले इससे प्रभावित हैं जो इस प्रकार हैं कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्वार्थनगर, सन्तकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, मुज्जफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गाजीपुर और जौनपुर। मा0 अध्यक्ष जी, इस बीमारी से नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक 2010 से लेकर 2016 तक ए0ई0एस0 और इन्सेफेलाइटिस से 61997 लोग पीड़ित हुये, जिसमें 8598 लोगों की मौत हुई। इन्हीं वर्षों में जापानी इन्सेफेलाइटिस से 8669 लोग बीमार हुए जिसमें 1482 लोगों की मौत हुई और इसी वर्ष 10 दिसम्बर को पूरे देश में 12578 केस पाये गये जिसमें 990 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और इन्सेफेलाइटिस में 2000 केसेज में 226 लोगों की मौत सामने आई। जनवरी, फरवरी और मार्च, 2017 में मात्र ढाई महीने में जनवरी में 89 एन0आई0सी0यू0 से, 40 पी0आई0सी0यू0 से और 6 ए0ई0एस से, फरवरी में 85 एन0आई0सी0यू0 से, 55 पी0आई0सी0यू0 से और ए0ई0एस से 9, मार्च में 85 एन0आई0सी0यू0 से, पी0आई0सी0यू0 से 60 और ए0ई0एस से 10 यानी कुल 414 बच्चों

की मौत हो चुकी है। मा0 अध्यक्ष जी, अगस्त, 2017 में 34 बच्चों की मौत आक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी और लगभग 10 जिलों में जे0ई0 और ए0ई0एस0 की वजह से 10 हजार से अधिक बच्चे विकलांग हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह रोग बहुत बड़े पैमाने पर फैला है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से 4-5 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज में इन्सेफेलाइटिस के मरीजों के ईलाज में लगे चिकित्सकों, नर्स, वार्ड-ब्याय व अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या है और इनका वेतन नियमित रूप से दिया जा रहा है या नहीं ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज में इन्सेफेलाइटिस के मरीजों की दवाई के लिए सरकार ने पिछले वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की थी और उसमें कुल कितने मरीजों का इलाज हुआ और इस वर्ष कितनी धनराशि की वृद्धि की गयी है ?

राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग द्वारा सरकार को दिए गये निर्देश कि वह विकलांग बच्चों का सर्वे कराकर इनके इलाज, शिक्षा और पुनर्वास के लिए ठोस कार्य किए जाये, इस सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और पिछले समय में ए0ई0एस0 और जे0ई0 से विकलांग हुए बच्चों को 50 हजार रूपया और मरने वाले को एक लाख रूपया, क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज में बनाये गये बाल चिकित्सक संस्थान भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उसकी ऊँचाई को लेकर विवाद का हल किया गया या नहीं ? राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, गोरखपुर की यूनिट की स्थिति क्या है और क्या यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है या नहीं ? अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा जब से आक्सीजन काण्ड के बाद बच्चों की मौत हुई तब से मीडिया को अधिकृत जानकारी नहीं दी जा रही है, उस पर रोक लगा दी गयी है। अध्यक्ष जी, क्या मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा है उसे हटाने पर सरकार विचार करेगी या नहीं ? बस यही सवाल मैं आपके माध्यम से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मित्र ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं वह चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित हैं, क्योंकि बी0आर0डी0 के अन्दर कितनी धनराशि डाक्टरों को दी जाती है, कितने डाक्टर्स हैं, वहां पर कितने लोग कार्य कर रहे हैं यह सब चीजें चिकित्सा शिक्षा में आती हैं और जो मूल प्रश्न है उससे संबंधित नहीं है। एक प्रश्न हमसे संबंधित जरूर आया है वह यह है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांग लोगों के लिए क्या किया है। हमारी सरकार में दिव्यांग लोगों के लिए ढाई करोड़ रुपये दिया गया है जिससे उन लोगो का इलाज चल रहा है। जो आपने प्रश्न किया है उसके विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि हम विचार करेंगे कि उनकी

धनराशि बढ़ानी चाहिये या नहीं बढ़ानी चाहिये। इस पर मैं जरूर विचार करूंगा और उसको प्रस्ताव के रूप में आगे ले जाऊंगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में इलाज से संबंधित था। मैंने पूछा था कि पिछले समय में सरकार से कितनी धनराशि आवंटित हुई थी और उसके सापेक्ष इस वर्ष कितनी वृद्धि की गई है। मैंने यह पूछना चाहा था कि जो राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, गोरखपुर की यूनिट स्थित है क्या उसने कार्य करना प्रारम्भ किया है अथवा नहीं। मैंने यह भी पूछा था कि अगस्त महीने में जब बच्चे मरे थे तो उसके बाद वहां पर मीडिया को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है, अब वहां से कोई भी बुलेटिन जारी नहीं होता है और मीडिया के लोग जब वहां जाते हैं तो उनको भी कुछ नहीं बताया जाता है। वहां पर जो 414 बच्चों की मृत्यु हुई है मैंने उसका भी जिक्र किया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए क्या गंभीर उपाय कर रही है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट में आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि पहली दफे वेक्टर बार्न डिजीज के लिए बीस करोड़ रुपये हम लोगो ने बजट में प्राविधान किया। यह आज तक नहीं हुआ है। दूसरी चीज, यह जो धनराशि है मैं उसका कम्पैरीजन नहीं करता। जे0ई0 और ए0ई0एस0 के लिए एन0एच0एम0 के माध्यम से 78.25 करोड़ रूपये की धनराशि योजना के साथ हम लोगों को मिली है जिससे कि जे0ई0 और ए0ई0एस0 की लड़ाई अच्छी तरीके से हम सब लोग मिल करके लड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी लड़ाई के लिए इतनी बड़ी धनराशि की योजना इससे पूर्व कभी बनी होगी। जब कार्य योजना ही नहीं बनी तो धनराशि आने की संभावना ही नहीं बन रही थी। तो 78.25 करोड़ रूपये इधर हो गया, 20 करोड़ रूपये उधर हो गया, 100 करोड़ से ऊपर की धनराशि वेक्टर बार्न डिसीज के लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई है और इस कार्य योजना की पूरी डिटेल मैंने अभी अपने उत्तर में भी रखी है। जहां तक मीडिया का सवाल है मैं इतना ही कह सकता हूं कि चूंकि यह मेडिकल कालेज का निर्णय है, मेरे विभाग का निर्णय नहीं है। लल्लू जी भी जानते हैं क्योंकि यह उसी क्षेत्र से आते हैं कि जिस प्रकार से यह बड़ी गंभीर बीमारी है, यह 40 साल से चली आ रही है यह कोई आज की नहीं है और जिस प्रकार से इसको उछाला गया था और जिस प्रकार से इस पर राजनीति हुई थी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण था। यह प्रश्न था कि बच्चे बी0आर0डी0 में मर रहे हैं तो यह किसी भी सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि यह पिछली सरकार में हो रहा था और उसके पूर्व वाली जो सरकार थी उसमें भी हो रहा था। मगर इसके लिए केवल जे0ई0 और ए0ई0एस0 को जिम्मेदार कहा जाये तो यह गलत होगा।

आंकड़ों को आप देख लीजिये पूरे भारत के अंदर जो इन्फैन्ट मोर्टलिटी रेट है वह 37 हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर यह 46 है। यह हम सबको इस सदन में बैठकर सोचना होगा कि क्या कारण है कि हमारे बच्चे एनिमिक हैं, क्या कारण है कि इतनी स्कीम्स हर केन्द्र सरकार चलाती है मगर बच्चों की कुपोषण के कारण मौतें होती हैं। क्या कारण है कि गर्भवती महिलायें जो एनिमिक होती हैं उन लोगों को सही डोजेज नहीं मिलते। क्योंकि एम0एम0आर0 जो हमारे उत्तर प्रदेश का है और देश के साथ जब मैं तुलना करता हूं तो देश में एक लाख के ऊपर 167 है और उत्तर प्रदेश के अंदर 285 है। यह सब चीजें आगे जाती हैं बी0आर0डी0 या कोई भी मेडिकल कालेज में जहां पर यह मौतें होती हैं। इसीलिये हम लोगो ने जे0ई0 और ए0ई0एस0 विषय पर जो धनराशि का जिक्र किया है। जब सपा की सरकार थी तो 102 वेन्टीलेटर्स जिसको पीयूज कहते हैं उसका प्रबन्ध किया गया था, अब वह कितने चल रहे थे इसको मैं उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि यह विवाद का विषय बन जायेगा, राजनीति होने लगेगी। मगर उसके बाद हमने क्या किया मैं जरूर बताना चाहता हूं कि 102 आपके समय में थे और हमने एक साल के अंदर 100 पीयूज और ऐड कर दिये हैं। यह जो हमने ऐड किया है वह हमने बी0आर0डी0 के अंदर नहीं किया है क्योंकि ए0ई0एस0 का जो उपचार है कि जब बच्चों को बुखार हो तो तुरन्त उनको दवाईयां देकर वहीं उनको आक्सीजन दें तो हमने नीचे स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रबन्ध किया है और निश्चित रूप से दो मण्डल बस्ती और गोरखपुर में हम लोगों ने किया है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है जे0ई0 के अंदर यह भी रिकार्ड है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पीछे से इसकी तुलना नहीं करेंगे लेकिन पिछले साल हम लोगो ने 103 प्रतिशत एक से पन्द्रह साल के बच्चों के वैक्सीनेशन किये हैं। 93 लाख बच्चों का हमने वैक्सीनेशन किया है। यह भी एक रिकार्ड हैं। पिछले सालों के आप आंकड़े देख लीजिए लल्लू जी तो आपको दिखेगा कि कितने प्रतिशत काम हो रहा था। इस साल जो बचे हुए 33 लाख बच्चे हैं उनको भी दो अप्रैल से लेकर सोलह अप्रैल तक हम वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं। हमारा यह विशेष पखवाड़ा अभियान चलेगा और इस लड़ाई को हम जीतेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से काफी वर्षों से यह बीमारी चली आ रही है और उससे प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में बच्चों की मृत्यु होती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन कारगर नहीं हो पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज का जो हास्पिटल है वह एक ट्रेनिंग हास्पिटल है। कई मण्डलों और यहां तक कि नेपाल और बिहार तक का दबाव वहां पड़ता है जिससे उनके ट्रेनिंग कार्य प्रभावित होते हैं। वहां एक ही तरह के मरीज आ जाते हैं जिससे बाकी विभागों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो एम0बी0बी0एस0 एवं एम0एस0 करने वाले छात्रों की जो ट्रेनिंग होनी चाहिये वह प्रभावित हो रही है। तो क्या इसे दृष्टिगत रखते हुए बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज से इस तरह

के मरीजों का दबाव घटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलग से जे0ई0, ए0ई0एस0, इन्सेफ्लाइटिस के मरीजों के उपचार हेतु कोई वहां पर उच्च श्रेणी का चिकित्सालय बनाने पर विचार करेगें। नम्बर दो, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने पी0एच0सी0 पर और सब जगह वेन्टीलेटर लगा दिये हैं।

अगर चिकित्सक ही नहीं होंगे और वहां पर आप वेन्टीलेटर लगा देंगे तो वह चलेगा कैसे। तो इस तरह से केवल पहली बार, पहली बार और पहली बार वाली बात तो कहना बंद कर दें। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पहली बार आप बहुत सारा रिकार्ड बना रहे हैं मुझे उससे कोई एतराज नहीं है बना लीजिये। लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक यह नहीं होगा कि आप पी0एच0सी0 पर उसका इलाज कर सके इसलिये कि उस तरह के अनुभवी चिकित्सक वहां पी0एच0पी0 पर मौजूद नहीं हैं उसको आपको स्वीकार करना होगा। अब इस पर आप पीठ थपथपाये तो मेरी समझ से उचित नहीं होगा इसलिये मैं चाहूंगा कि एक बस्ती में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, देवरिया में एक-एक चिकित्सालय को उच्चीकृत करके विशेष प्रकार का चिकित्सालय बनाये जाये, जहां पर इस तरह की बीमारी वाले बच्चों का इलाज हो सके। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के बच्चों वाले विभाग पर इतना दबाव हो जाता है कि अन्य विभाग के डाक्टर्स उसी से प्रभावित हो जाते हैं तो इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या पूर्वान्चल के इन जिलों में जहां इस तरह की बीमारी ज्यादा अलग होती है, अस्पताल बनाने पर विचार करने का काम करेंगे।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य वर्मा जी ने यह जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने उल्लेख भी किया है कि बी0आर0डी0 के ऊपर जो प्रेशर आता है उसी संबंध में हमने 100 वेंटीलेटर का प्रबंध और कर दिया है। मैंने सभी पी0एच0सी0 नहीं कहा है। मैंने कहा विशेष रूप से बस्ती और गोरखपुर मण्डलों में जहां-जहां आवश्यकता है ऐसे 617 गांवों को हमने चिन्हित किया है जहां जे0ई0 और ए0ई0एस0 के केसेज ज्यादा आते हैं, उसमें मैपिंग की गई है। अब यह मैं कहूं कि यह पहली दफे हुआ है तो यह गलत नहीं होगा। यह पहली दफे ही मैपिंग की गई है। यह इनसे भी पूछना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों नहीं की ? मगर यह वास्तविकता है और साथ-ही-साथ यह भी पहली दफे हो रहा है कि बस्ती के अन्दर केली अस्पताल पड़ा हुआ है जोकि ओपेक का है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। उस अस्पताल के लिए 300 और 200 बेड तैयार हैं जिनकी हालत खराब हो रही है। हम लोगों ने उसको अपग्रेड करने के लिए क्योंकि बस्ती मण्डल के अन्दर भी एक बी0आर0डी0 की तरह बड़ा अस्पताल आ जाये उसका काम शुरू कर दिया गया है और बस्ती के जिला अस्पताल को मेडिकल कालेज बनाने का काम भी शुरू कर दिया है।

गोरखपुर के अन्दर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज का जिक्र किया है वह भी पहली दफे ही हो रहा है कि वहां पर एम्स का निर्माण भी शुरू हो चुका है। आपने एक प्रश्न किया है कि आप वेंटीलेटर तो लगा देते हैं और वेंटीलेटर लगाने के बाद डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं होते हैं तो वेंटीलेटर लगाने और पहली दफे बोलने का क्या औचित्य होता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब हमने कार्यभार संभाला था तब 7500 डॉक्टर की कमी थी और 2011 में लोक सेवा आयोग से चयनित होकर एक भी डॉक्टर नहीं आया था। आज हम लोगों ने लोक सेवा आयोग के द्वारा 2065 डाक्टरों के चयन में से 1600 एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों को ज्वाइन करा दिया है, तो यह पहली बार ही हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि यह पहली बार ही हो रहा है कि जो आयुष के डॉक्टर घूम रहे थे, कहीं भी नहीं दिख रहे थे, पहली बार आयुष के 2600 डॉक्टर पी0एच0सी0 में तैनात कर दिये गये हैं। पहली बार ही हमने वॉक-इन इण्टर-व्यू खोला है इसके पहले किसी ने नहीं खोला है। हमने ही पहली बार खोला कि एन0एच0एम0 के तहत अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो आप बिड कीजिए और बिड करके 28 डिस्ट्रिकस के अन्दर जो भी दाम लगे उसको हम ले लेंगे। इसी प्रकार से हमने 1000 डॉक्टर उपलब्ध करा दिये हैं। सब मिला के यह पहली दफे ही हो रहा है कि 7500 डॉक्टरों की कमी को 5500 पर लेकर आ गये हैं। एक उत्तर दे दूं और फिर मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो आ जाये। 'देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार'।

(सदन में हंसी)

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले साल हम लोगों ने 66 बाल रोग विशेषज्ञों की ट्रेनिंग दी। उत्तर पूरा पढ़ नहीं पाया था लेकिन 129 बाल रोग विशेषज्ञों की ट्रेनिंग इसीलिए दी जा रही है क्योंकि ए0ई0एस0 और जे0ई0 के लिए जहां-जहां डॉक्टरों की आवश्यकता है वहां-वहां उन डॉक्टरो को भेजा जाये। यह ट्रेनिंग का भी सीड्यूल बन चुका है जिसके तहत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं कि यह लड़ाई हम सब लोग जो इस सदन में बैठे हैं हम सब लोग मिलकर इसे जीतें और मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि 2 तारीख को जो कार्यक्रम 'दस्तक' हम लोग शुरू कर रहे हैं यह पूरे 38 डिस्ट्रिक के अन्दर जे0ई0 और ए0ई0एस0 के लिए उस कार्यक्रम में विधान सभा के सभी सदस्य आयें क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह सरकार का कार्यक्रम है। यह आपकी भी सरकार है और आप लोग भी आमंत्रित हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं मा0 स्वास्थ्य मंत्री की योग्यता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं। न उनकी मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा हूं, लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर होता है।

निश्चित रूप से इस बीमारी के लिए केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन निश्चत रूप से इस समय आपको ऐसा अवसर मिला है कि गोरखपुर के ही मा0 नेता सदन है और मुख्य मंत्री जी है ऐसी परिस्थिति में आपके पास अवसर है कि उस इलाके में इस बीमारी से लोगों को निजात मिले। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो। मैंने यह प्रश्न किया था, लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। चूंकि बाल विभाग में ही इसका ईलाज होता है तो क्या सरकार बी0आर0डी0 विभाग के स्तर का स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर के चारों मण्डल में अलग-अलग केवल बच्चों के इसी ईलाज के लिए अलग से अस्पताल बनाने पर विचार करेगी ? मेरा केवल इतना ही प्रश्न है जिसका जवाब आपने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, अस्पताल के विषय में मैंने बताया है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, चूंकि सरकार पहली बार आयी है तो हर काम पहली बार हो रहा है। जैसे वर्मा जी ने सवाल पूछा है कि समस्या है। मान्यवर, जिस समय ऑक्सीजन के अभाव में बच्चों की मृत्यु हुई थी उस समय हम लोग गये थे। मान्यवर, वहां एक-एक बेड पर दो-दो, तीन-तीन बच्चे सुलाये गये थे। वहां बड़ी कठिनाई थी और इसी कठिनाई को देखते हुए पिछली सरकार के मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का उसी में बच्चों का इसी बीमारी के ईलाज के लिए अस्पताल बनवाकर तैयार कर दिया था। मान्यवर, सरकार उस अस्पताल को कब तक चालू करवायेगी ? जो केवल बच्चों के लिए है। मान्यवर, एक साल हो गया है और सरकार ने इसमें कुछ काम नहीं किया है। यदि उसको चालू करवा दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कब तक उस 500 बेड के बच्चों के हॉस्पिटल को इंसेफेलाईटिस की बीमारी के लिए चालू करवा देंगे ? मान्यवर, दूसरा सवाल जो मा0 मंत्री जी ने यहां कहा कि पत्रकारों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कराने का है। मान्यवर, पत्रकारों को कहीं रोका नहीं जा सकता है और मेडिकल कॉलेज आपके अंडर में है। आप जब पैसा दे रहे हैं उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज के जिन अधिकारियों ने पत्रकारों को वहां पर जाने से रोका क्या आप इसके खिलाफ कारवाई करेंगे और पत्रकारों को अनुमति देंगे कि वह हर उस घटना का अखबार में उल्लेख करें ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, यह विषय श्री आशुतोष टंडन जी के विभाग का है यदि आपकी अनुमति हो तो इनका जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल ने जो कहा है वह हॉस्पिटल फरवरी तक आरम्भ हो जाएगा। उसके लिए सरकार बहुत गंभीर है। हम उसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)। मान्यवर, निर्माण कार्य पूर्णतः की ओर है। जल्दी ही उसमें पद सृजन और उपकरण खरीद आरम्भ कर देंगे। रही बात पत्रकारों के प्रवेश के लिए आपने जो कहा है मैं उसको पता करूंगा। मुझे लगता है कि केवल इतनी बात होगी कि पिडियाट्रिक वार्ड में लोगों का आना-जाना बहुत ठीक नहीं रहता है उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए शायद कभी किसी ने रोक लिया होगा, लेकिन आपने कहा है तो मैं उसको जरूर देख लूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय मंत्री बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और अगर वे दिखवाएंगे नहीं, तो यह घोर आपत्तिजनक है कि पत्रकार को किसी एरिया में जाने से रोका जाए। आप यहीं से आर्डर दीजिए कि हर पत्रकार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज की हर गतिविधि की जानकारी के लिए खुली छूट दी जाए और जो अब तक रोका है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करूंगा कि ये सभी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं और मैं उसका उल्लेख खाली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आपकी भी तबीयत खराब हुई थी, तब मैं भी आपके साथ ही गया था और वहां पर आपके सहयोगी भी थे, आप उनसे भी पूछ लीजिए कि मैं सभी के ऊपर कितना नाराज हो रहा था। मैं ये नहीं देख रहा था कि वे आपकी पार्टी के लोग हैं या मेरी पार्टी के लोग हैं या कहीं के भी लोग हैं। जिस प्रकार से आई0सी0यू0 के अंदर आप गए थे, वहां पर सभी भीड़ लगाकर घुस जाते हैं। पत्रकार भी घुस जाते हैं, कार्यकर्ता भी घुस जाते हैं और किसी भी पार्टी के हों, सदस्य भी घुस जा रहे थे। क्या यह अनिवार्य है कि ऐसी जगह के अंदर कोई भी कैसे भी घुस जाए और उसकी हम लोग सैन्सटीविटी रखे ही नहीं। इसलिए मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा कि कोई भी इसे राजनीतिक चश्मे से न देखे और यह आवश्यक नहीं होता कि कोई भी आई0सी0यू0 के अंदर जहां पर बच्चे नीकू और पीकू के अंदर लेटे हुए हैं, वहां पर पत्रकार घुसे। अगर उन्हें सूचना चाहिए तो वह उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी। मगर वे वहां घुसकर जानकारी करें तो वह अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

घड़ी देखिए। एक प्रश्न पर ही 35 मिनट हो चुके हैं।

***3-श्री नितिन अग्रवाल-**

[7वें मंगलवार के तारा0 प्र0सं0-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अध्यक्ष-

श्री नितिन अग्रवाल उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बायोमेट्रिक कार्ड से उपस्थिति अनिवार्य कराये जाने की मांग

***4-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात डाक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ समय पर तैनाती स्थल पर न होने के कारण ग्रामीण जनता को जिला मुख्यालयों अथवा प्राइवेट चिकित्सालयों में मजबूरी में जाकर चिकित्सा करानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में ऐसे सभी चिकित्सालयों में बायोमेट्रिक कार्ड से उपस्थिति अनिवार्य करते हुए समयबद्ध ढंग से उनसे चिकित्सकीय कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं,

प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात डाक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी/तैनाती स्थल पर उपस्थित रहते हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण कर समय से उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाती है एवं चिकित्सा अधिकारियों का वेतन आहरण आउटडोर रजिस्टर के अवलोकन के पश्चात ही किया जाता है।

प्रदेश के कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बायोमेट्रिक कार्ड द्वारा उपस्थिति समयबद्ध ढ़ंग से करायी जाती है। परन्तु शेष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बायोमेट्रिक कार्ड से उपस्थिति की कारवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में हर 20,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है और हर 35 लोगों पर एक बेड की व्यवस्था है। अगर हम अपने जिले स्तर पर हर पी0एच0सी0ज0 और सी0एच0सी0ज0 में देखें तो वहां पर डॉक्टर तो छोड़िए कम्पाउण्डर की भी व्यवस्था नहीं

है। वहां पर जो भी नर्सिंग स्टाफ या अन्य कोई रहता है तो वह भी बाहर की ही दवाइयां रिफर कर देता है या फिर जिला अस्पताल रिफर कर देता है। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक लेवल हाउसहोल्ड्स एण्ड फैसिलीट्रिज सर्विस के मुताबिक 84.7 प्रतिशत हाउसहोल्ड्स सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग नहीं करते, जो पूरे देश में सेकेण्ड हाईयस्ट आंकड़ा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने आदेशित किया था कि प्रदेश को कम से कम 4 प्रतिशत बजट स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 3.4 प्रतिशत बजट इस चीज पर खर्च किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक साल से इस सदन में हूं। हमेशा से सरकार की यही मंशा रही है कि सारी समस्याएं जिला स्तर पर ही सुलझ जाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि सारी समस्याएं अगर जिला स्तर पर ही तहसील दिवस आदि पर सुलझ जाए तो लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग अपने पी0जी0आई0 या के0जी0एम0यू0 का हाल देखें तो रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ लगी होती है, यह क्यों होता है, क्योंकि कहीं न कहीं जिले स्तर पर इलाज नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा कमी अगर डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कहीं है तो वह यू0पी0 में है। पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा समस्या है तो सेकेण्ड नम्बर पर यू0पी0 आता है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश के कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बायोमेट्रिक कार्ड द्वारा उपस्थिति दर्ज कराना चालू कर दिया है। मेरा एकलौता सवाल है कि कहां-कहां एवं किन-किन सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही है तथा कहां-कहां पर अभी प्रक्रियाधीन है, कब तक बचे हुए स्वास्थ्य केन्द्रों में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था करायी जायेगी, जहां के लिए माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह प्रक्रियाधीन है ? दूसरा मेरा सवाल है कि जनपद रायबरेली में कहां-कहां पर बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गयी है जो मेरा जनपद है, धन्यवाद।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो पहला प्रश्न है, आदरणीय अदिति सिंह जी का है, वह यह है कि पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0 में रेलवे स्टेशन जैसी क्यों हालत हुई है ? यह हम भी पूछें, यह हुआ क्यों ? पिछले 10 सालों में नीचे के लेवल पर सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 और जिला अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं किया गया और क्यों हमें करना पड़ रहा है ? आन्सर बड़ा सिम्पल है, जिला अस्पतालों और सी0एच0सीज को ठीक कर लिया गया होता, उनको आधुनिक कर लिया गया होता, उसके उपकरणों को ठीक तरह से लगा दिया गया होता और आउट ऑफ बाक्स कुछ सोचा गया होता तो यह प्रश्न नहीं आता और पी0जी0आई0 की तरह मेडिकल कालेज और खोल लिए गए होते तो यह प्रश्न नहीं आते, बड़ा सिम्पल उसका आन्सर है। दूसरा, आपने बायोमैट्रिक्स के बारे में पूछा है, 46 डिस्ट्रिक्स के सी0एच0सीज पर लग चुके हैं, 36 डिस्ट्रिक्स के पी0एच0सीज के ऊपर बायोमैट्रिक्स लग चुके हैं, शेष दिसम्बर, 2018 तक लग जायेंगे। जहां तक आपने लिस्ट के लिए बात कही है, मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से

आपको लिस्ट उपलब्ध करवा दूंगा। तीसरा आपने रायबरेली के बारे में पूछा, अभी तक रायबरेली में कहीं भी नहीं लगा है, जो बायोमैट्रिक्स लग रहे हैं, रायबरेली जिले में भी दिसम्बर, 2018 तक हम बायोमैट्रिक्स लगवा देंगे।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं जिस जनपद से आता हूं, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोण्डा में डाक्टरों की तैनाती लगभग ठीक है और बाकी जो नहीं है, वह तो मैंने आपको लिखकर दे दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, अक्सर यह देखा जाता है कि डाक्टर्स, सर्किल के हिसाब से छुट्टी लेकर अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं और उसमें सी0एम0एस0 और सी0एम0ओ0 की मिलीभगत है तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उसकी सरप्राइज विजिट सिटी मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी से करवाने का काम करेंगे जिससे कि उनकी हाजिरी सुनिश्चित हो सके ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय हमारे सामने, सरकार के सामने आया है कि डाक्टर्स, नर्सिंग होम्स में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं जो सरकारी हैं और नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउन्स जो होता है, उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। मैं जानकारी दे देता हूं कि 2017 के अन्दर हम लोगों ने ऐसे नर्सिंग होम्स जहां पर यह प्रैक्टिस चल रही थी या ऐसा कारण था, हमने ऐसे 27 नर्सिंग होम्स में ताला बन्द किया।

श्री अध्यक्ष-

वह पूछ रहे हैं, उनका मूल प्रश्न है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी प्रशासनिक अधिकारियों से आप छापेमारी या जांच करायेंगे ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उसी जांच के अन्दर ही यह सब चीजें आती हैं, जब हम लोग छापे मारते हैं, जब जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर मैं यह बता रहा था। तो इस प्रकार करते हुए हम लोग कर रहे हैं और यही नहीं, इसी प्रकार से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की भी प्रथा चली थी। आपको बताना चाहता हूं कि डाक्टर्स के खिलाफ 2013 से लेकर 2016 तक एक भी एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज हुई। पिछले साल हम लोगों ने 11 एफ0आई0आर0 दर्ज की हैं और उन पर कार्यवाई चल रही है। उसके बावजूद भी हमने देखा कि यह प्रैक्टिस रुक नहीं रही है।

इसलिए हमने एक नया जी0ओ0 अभी लागू किया है, शासनादेश दिया है जिसके अन्दर हमने थोड़ी कड़ाई और की है कि कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उसका जो लाइसेन्स है वह रद किया जायेगा। साथ-साथ जिस नर्सिंग होम में कर रहा है वहां पर भी उस

नर्सिंग होम का लाइसेन्स रद किया जायेगा। तीसरा क्योंकि वह प्राईवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो इसका मतलब उसकी इनकम डिस्प्रपोर्सनेट एसेट्स के अन्दर आ जायेगी उसको भी इनकम टैक्स के अन्दर हम लोग उसकी कार्यवाही के लिए लिखेंगे। इस तरह करते हुए कुछ लोगों पर हम लोगों ने कार्यवाही शुरू कर दी है इस नये जी0ओ0 आने के बाद। हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि इसको कड़ाई से लागू करें।

प्रदेश में समय से बच्चों के वैक्सीनेशन की कार्ययोजना बनाने विषयक।

***5-श्री देवमणि द्विवेदी-**

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 87 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन समय से नहीं हो पाता है? क्या सरकार बतायेगी कि उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार विलम्ब के कारण को दूर करने के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण एवं पर्यटन मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी नहीं।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 रिपोर्ट डेटा के अनुसार माह दिसम्बर, 2017 तक के पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों के लक्ष्य के सापेक्ष 83 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के 52 जनपदों एवं 08 शहरी क्षेत्रों में सधन मिशन इन्द्रधनुष अभियान के चार चरण (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2017 एवं जनवरी, 2018) चलाये गये, जिसके अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 91 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु लगभग 23 लाख से अधिक नियमित टीकाकरण सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं, जिसमें क्षेत्र की ए0एन0एम0 आंगनबाड़ी तथा आशा के सहयोग से सभी लक्षित बच्चों का समय पर टीकाकरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवमणि द्विवेदी-

उत्तर ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय प्रताप जायसवाल जी उपस्थित नहीं हैं।

***6-श्री संजय प्रताप जायसवाल**

[03रें बुधवार के ता0रा0 प्रश्न सं.-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0प्र0 के चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड राज्य ने अभी तक कार्य मुक्त नहीं किये जाने के संबंध में कार्रवाई

***7-श्री मसूद अख्तर**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कैडर कितने चिकित्साधिकारी को उत्तराखण्ड राज्य ने अभी तक कार्य मुक्त नहीं किया है ? क्या सरकार उक्त चिकित्साधिकारी को कार्यमुक्त करने हेतु कोई कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उत्तर प्रदेश कैडर के 26 चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड राज्य ने अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मसूद अख्तर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है कि आज भी आम आदमी को अप्रशिक्षित और झोलाछाप डाक्टरों पर ही निर्भर होना पड़ रहा है और यह इतना गम्भीर है कि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि तीन महीने में जो डाक्टर्स की कमी है वह पूरी की जाये। मैं मानता हूं कि हमारे अनुभवी हमारे माननीय मंत्री जी का इस ओर काफी प्रयास रहा है पिछले दिनों साढ़े सोलह सौ भर्ती निकाली गयी थी लेकिन उनमें से अभी पूरी भर्ती नहीं हो पाई हैं और आज भी 5000 से ज्यादा प्रशिक्षित डाक्टरों की यहां कमी है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर काफी चर्चा पहले हो भी चुकी है, मैं उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ माननीय मंत्री जी से एक ही सवाल है कि जब 5000 से ज्यादा प्रशिक्षित डाक्टरों की आज भी कमी है और भर्ती निकालने के बाद भी डाक्टर्स आने के लिए तैयार नहीं हैं और जो आना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न तो उत्तराखण्ड राज्य से है।

श्री मसूद अख्तर-

जी, अध्यक्ष जी मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि जो डाक्टर आना चाहते हैं उत्तराखण्ड 2000 में पुनर्गठन हुआ लेकिन उसके बाद आज तक 18 साल हो गये वे डाक्टर जो यू0पी0 कैडर के थे, वे नहीं आ पायें हैं और आज भी मेरी जानकारी में 46 डाक्टर ऐसे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनकी तैनाती यहां पर यू0पी0 में नहीं हो पा

रही है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 26 चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड राज्य ने अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया। हम मान लेते हैं कि वह संख्या 26 ही है। मेरा सवाल हैं माननीय मंत्री जी से कि वह 26 को कब तक उनको यू0पी कैडर में वापस उनको तैनाती दिलाई जायेगी, इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

ये सही बात है कि डॉक्टर्स की कमी है और ट्रेंड डॉक्टर्स की कमी है और जहां से भी डॉक्टर्स मिले हम लोगों को लेना चाहिए। मगर अब मैं माननीय सदस्य मसूद अख्तर जी का शुक्रिया भी करूंगा, क्योंकि ये उनके प्रश्न के आधार पर भी ये मेरे लिए भी हाईलाईट भी हुआ था और जवाब का प्रश्न आया कि इसीलिए हमने 8-3-2018 को उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग को लिखा भी है कि ये जो 26 डॉक्टर्स हैं इनको आप हमें रिलीज करें। मगर दुर्भाग्य यह है कि ये इतने सालों से हुआ कि, क्योंकि 2000 में ये दोनों बंटवारा हुआ और शासनादेश जो कि केंद्र सरकार का था वो 2001 में आ गया था कि किस प्रकार से डॉक्टर्स या किसी भी जो अधिकारी हैं उन लोगों का किस प्रकार से दोनों राज्य में बंटवारा होगा और ये फॉलों एक भी लेटर्स के माध्यम से आज तक नहीं हुआ है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो प्रश्न उठाया है उसको मैं फॉलोअप हमारी सरकार जरूर करेगी, क्योंकि जहां से भी डॉक्टर्स मिल सकते हैं हम लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने अनुमान से पूछा भी कब तक काम हो जाएगा।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, इसको फॉलोअप करने का है, क्योंकि ये उत्तराखण्ड के सरकार के माध्यम से ही उसमें कुछ जानकारी मिली है कि कुछ न्यायिक और प्रशासनिक अड़चने हैं अब उनको दूर करेंगे और जिस प्रकार जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसका प्रयास किया जाएगा।

***8-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

[05वें मंगलवार के ता0रा0 प्रश्न सं0-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

***9-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों में विभागीय प्रोन्नति को नियमानुसार डी0पी0सी0 की प्रक्रिया द्वारा किये जाने विषयक

***10-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक कालेजों में प्रोफेसर की भर्ती 50 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति के द्वारा किये जाने का नियम है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार डी0पी0सी0 की प्रक्रिया की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुष अभाव सहायता एवं पुर्नवास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी हां।

जी हां।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के रीडर पद की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए उस पर आपत्तियां आमंत्रित की गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के उपरान्त रीडर पद की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जायेगी। उक्त के उपरान्त रीडर पद से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से डी0पी0सी0 की कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि इन्होंने कहा कि प्रांत में जब तक प्रोफेसर पद के प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग से प्रयास किया जाएगा। ये सब प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? हमारें सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं मान्यवर, उसमें फैकल्टी की कमी होने के कारण एडमिशन रोक दिया गया था। आज भी वह स्थिति बनी हुई है। अब प्रोफेसर की कमी अचानक दूर हो नहीं सकती, प्रमोशन से ही दूर हो सकती है तो इसलिए कोई टाईम बाउण्ड इसमें निर्णय लेंगे कि हां तीन महीने में, दो महीने में छः महीने में हम इसको पूरा कर लेंगे। शीघ्रता और शीघ्रता का कोई समय नहीं होता है मान्यवर, इसलिए यह स्पष्ट आ जाए कि तीन महीने, चार महीने में हम इसको पूरा कर लेंगे। इतना मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अच्छी तरह माननीय वर्मा जी भी जानते हैं और उनके पास विभाग भी रहा है। इसमें आपत्तियों के कारण ही इसमें देर हुई है और कार्मिक विभाग के अभिमत हेतु पत्रावली भेज दी गई है। जैसे ही वहां से अभिमत आएगा यथाशीघ्र उसे जो है करवा दिया जाएगा।

प्रदेश के पोस्टमार्टम हाऊस में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की नियुक्ति की मांग

***11-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट डाक्टर हैं एवं कितने पोस्टमार्टम हाऊस में उनकी नियुक्ति की गई हैं ? क्या सरकार सभी पोस्टमार्टम हाऊस में स्पेशलिस्ट की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश में प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में विशेषज्ञ संवर्ग नहीं हैं। पोस्टमार्टम हाऊस में शव विच्छेदन का कार्य विभाग में तैनात चिकित्सा अधिकारियों से रोस्टर के आधार पर ड्यूटी लगाकर लिया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत संवेदनशील विषय है और बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि जब किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो वह स्थिति किसी हादसे में या किसी दुर्घटनावश होती है। इस वजह से पोस्टमार्टम कराने की जरूरत पड़ती है लेकिन 24-24 घण्टे बीत जाने के बावजूद भी डेड बॉडी वहां पर रखी रहती है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती जिससे उसके परिजनों को इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। पूरा परिवार शोकग्रस्त होता है और वहां पर उसके मिलने वाले सारे लोग इकट्ठा रहते हैं और उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से छोटे-छोटे दो-तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला, क्या सरकार पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट नियुक्त करने के लिए कोई योजना लाएगी क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है, जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स एक तरफ बैठ जाते हैं और वहां पर जो फोर्थ क्लास का कर्मचारी ड्यूटी पर होता है, वही चीरफाड़ करने के बाद बताता रहता है और डॉक्टर्स उसे लिख देते हैं। क्या सरकार ऐसी कोई योजना लाएगी जिससे कि वहां स्पेशलिस्ट नियुक्त हों और जो सही ऐक्चुअल स्थिति कि किस वजह से मृत्यु हुई, किस कारण से मृत्यु हुई, उस कारण का सही पता चल जाए ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि कई बार महिलाओं के साथ भी हादसे होते हैं और जो पोस्टमार्टम करता है वह जेण्ट्स डॉक्टर होता है तो क्या सरकार महिला डेड बॉडी के लिए महिला डॉक्टर की नियुक्ति करने का काम करेगी ? तीसरा प्रश्न यह है कि जो इस टाइम वर्तमान परिस्थितियों में 12 से 18-18, 20-20 घण्टे डेड बॉडी वहां पर रखी रहती है तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि 24 घण्टे लगातार पोस्टमार्टम होते रहें और हमें रात को एक बजे, दो बजे जितने भी सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं, उन सभी के सामने परेशानी है क्योंकि उनके क्षेत्रों में यह समस्या आती है। रात को एक-एक, दो-दो बजे जब क्षेत्र के लोग कहते हैं कि डी0एम0 साहब से कहकर पोस्टमार्टम करवा दीजिए तो कई बार परमीशन के लिए कहना पड़ता है। कई बार डी0एम0 साहब का फोन उठता है, कई बार अनुमति नहीं मिलती है तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाएगी कि जिससे 24 घण्टे पोस्टमार्टम होते रहें।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके उत्तर में ही लिख दिया है कि प्रदेश में प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में जो स्पेशलिस्ट कैडर होता है वह नहीं है लेकिन एम0बी0बी0एस0 का जो कोर्स होता है उसके अन्दर डेढ़ साल की फोरेंसिक स्टडी होती है वह सभी के द्वारा की जाती है। जब हम लोगों के कैडर में, पी0एम0एस0 सर्विसेज़ में जब डॉक्टर्स आते हैं तो यह पहले से चला आ रहा है कि उनकी 15 दिन की एक अलग से ट्रेनिंग होती है पोस्टमार्टम में काम करने की। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि पोस्टमार्टम में जाकर के वे लोग कार्य कर सकें। यह सही है और मानक बने हुए हैं कि आपके दो डॉक्टर्स वहां पर लगे रहने चाहिए। मगर कठिनाई है, अभी इस पर चर्चा हो चुकी है डॉक्टर्स की कमी के लिए तो इसीलिए एक रोस्टर बनाया है और डॉक्टर्स वहां पर जाते हैं। जो वहां पर पोस्टमार्टम होता है, वह किया जाता है। मगर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 18-24 घण्टे डेड बॉडी रखी रहती हैं। ऐसी कोई चीज मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आई है कि इसमें 24 घण्टे लगे हों। जब भी नहीं हुआ है तो कारण यह नहीं रहा कि डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। कारण कुछ और हो सकता है क्योंकि इसमें पुलिस इन्वेस्टीगेशन का भी मैटर आता है, इस सबको लेकर होता है लेकिन डॉक्टर्स न गए हों, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके संज्ञान में है तो जरूर बताइए। मैं उस पर जरूर उचित कार्यवाही करूंगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। जहां तक आपने कहा कि महिलाओं की बात की तो इसके लिए हमारा कोई अलग कैडर उस प्रकार से है नहीं। पहले अलग-अलग कैडर्स भी होते थे, अब दोनों को मिला दिया गया है। जो भी डॉक्टर होता है तो प्रयास यह रहता है कि यदि किसी महिला की मृत्यु हुई है और उसका पोस्टमार्टम होना है तो महिला डॉक्टर जो भी अवेलेबल होती हैं उन्हीं को भेजा जाता है। मगर कहीं, किसी जगह ऐसा नहीं है तो जो भी डॉक्टर रहता है वह जाकर पोस्टमार्टम करता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक जो जरूरी बात मा0 सदस्य ने पूछी। यह बहुत आवश्यक है। यह किसी भी सरकार के गुण या दोष के आधार पर नहीं है। पोस्टमार्टम में सम्भवतः 4 या 5 बजे तक जितनी लाशें आ जाती हैं उन्हीं का पोस्टमार्टम होता है जो रात में दो से पांच के बीच में आ जाती हैं। बहुत से ऐसे एक्सीडेण्ट होते हैं जिनमें छोटा नौजवान लड़का मर जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो जिलाधिकारी से स्पेशल परमीशन लेनी पड़ती है। तो जिलाधिकारी कभी-कभी तो दे भी देते हैं, कभी-कभी नहीं मिलते हैं तो इस बात को क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि उन्हीं डॉक्टरों में से कोई डॉक्टरों की ड्यूटी लगाकर जब व्यक्ति पोस्टमार्टम कराना चाहे 5 बजे के बाद भी यदि लाश आए तो उसका पोस्टमार्टम किया जा सके ऐसी कोई सरकार व्यवस्था करेगी।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि दो से पांच के बीच में या दो से छः, मैं कहूंगा उसमें पोस्टमार्टम होता है। कभी-कभी यह भी शिकायत आती है जो माननीय सदस्य दोनों तरफ जो बैठे हैं वह दोनों तरफ से मेरे पास आए हैं कि सुबह भी कहीं पोस्टमार्टम हो जाए तो अच्छा रहता है लेकिन वहीं डॉक्टर ओ0पी0डी0 में भी काम करते हैं इसलिए यह दुविधा आती है और उसका कारण भी यही है कि डॉक्टर्स की कमी है। जहां तक की डी0एम0 के माध्यम से या 5 बजे मैं यह मान भी लूं तो 5 बजे के बाद इसमें एक घंटे का कोई विवाद नहीं है। यदि 5 बजे भी मान लें तो 5 बजे के बाद हमारी सरकार की तरफ से हमारे मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आप लोग कभी भी 24 घंटे में कोई भी घटना होती है और आप के पास सूचना पहुंचती है तो आप पोस्टमार्टम करें मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसको और सुनिश्चित करवा दूंगा और तरीके से करवा दूंगा ताकि यह कार्य इसी प्रकार से हो जिससे कि किसी को कोई कठिनाई न हो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब तो स्पष्ट उत्तर आ गया है।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा-सा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि मेरी जानकारी में है मैं आपके माध्यम से एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है पहले रात में पोस्टमार्टम इसलिए नहीं होते थे क्योंकि पहले जितने भी पोस्टमार्टम हाउसेस थे उनमे पहलें बिजली की व्यवस्था नहीं थी और यह अंग्रेजों के समय से व्यवस्था चली आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर उन्होंने कहा है कि हम गंभीरता से विचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे।

श्री मनोज कुमार पारस-

अब तो सब जगह लाइट की व्यवस्था है कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जहां लाइट न हो तो उन्हीं डॉक्टर्स में से दो-तीन डॉक्टर्स की नियुक्ति आप परमानेन्ट स्तर पर वहां पर कर दें, जिससे कि उन लोगों को परेशानी न हो।

श्री अध्यक्ष-

यह बात आ चुकी है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पिछली बार मैंने उठाया था, तब जो इधर साथी बैठे हैं, उन लोगों ने इस पर आश्वासन भी दिया था। यह आश्वासन अभी विधान सभा की

आश्वासन समिति के अंदर है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक नियम है। इसमें यह क्लॉज लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम डे-लाइट पर होगा और विशेष परिस्थितियों में जैसा कि हमारे सभी साथी विधायक बोल रहे थे इसमें टैक्निकल दिक्कत क्या आती है कि कोई ताकतवर या प्रभावशाली व्यक्ति से सम्पर्क वाला व्यक्ति वह ऐसी दुर्भाग्यजनक स्थिति में विधायकों से सम्पर्क करता है या जिलाधिकारी से सम्पर्क करता है तो उसे अनुमति मिल जाती है, जो गरीब लोग हैं या जो सामान्य लोग हैं वह अनुमति न मिलने के कारण से कई बार क्या होता है कि 6 बज गए तो अगले दिन जाकर उनका दिन-दोपहर तक नम्बर आता है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप किस क्लॉज का उल्लेख कर रहे हैं, यह किस किताब की क्लॉज है ?

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, यह इनका मेडिकल क्षेत्र में है, उस क्लॉज का नाम इस वक्त मुझे नहीं मालूम लेकिन इसमें यह है कि पोस्टमार्टम डे-लाइट से होगा, उसी ऐतराज पर काम रूका हुआ है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्मय से एक सुझाव है जो हम सब के लिए सामूहिक है कि 24 घंटे तो प्रैक्टिकल नहीं होता है और उसमें डे-लाइट वाला क्लॉज लगा रखा है जबकि रात में ऑपरेशन्स भी होते हैं और आपात स्थिति में यह परमीशन भी मिलती है। यदि यह परमीशन आप 8 बजे तक कर दें या 9 बजे तक कर दें क्योंकि 12 बजे के बाद तो हमारे यहां अन्तेष्टि की भी स्थितियां नहीं रहती तो जब यह 3 या 4 बजे के समय जब ऐसी दुर्भाग्यजनक घटनाएं होती हैं जिसमें पंचनामा और रिपोर्ट्स बनने में कम से कम 3 घंटा करीब लगता है। यदि यह परमीशन आप 8 बजे तक आप कर दें तो इस समस्या का 70-80 प्रतिशत समाधान हो जाएगा। इस पर जरूर विचार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब सारे विषय आ गए है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अब सारे विषय आ गए है कोई प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

***12-श्री नफीस अहमद-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशके सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार कोई प्रभावी कदम उठाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के सभी चिकित्सालयों द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट से औषधि क्रय कर आपूर्ति रूप से की जा रहीं है। यदि कोई औषधि रेट कान्ट्रैक्ट पर उपलब्ध नहीं है, तो शासनादेश दिनांक

24-02-2016 के अनुसार ई0एस0आई0सी/डी0जी0एस एण्ड डी0/टी0एन0 एम0सी0 एवं आई0डी0पी0एल0/बी0सी0पी0एल0/एच0ए0एल0/के0ए0पी0एल0/ आर0डी0पी0एल0 में जिसके दर कम हो, से क्रय कर आवश्यकतानुसार औषधियां उपलब्ध करायी जाती है।

अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सालयों में लोकल परचेज के माध्यम से आवश्यकतानुसार औषधि क्रय कर प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। मुख्यालय के स्तर से समस्त नियंत्रण अधिकारी को इस पद में उपयोग हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से औषधियों की आपूर्ति की निगरानी की जाती है।

प्रदेश सरकार ने औषधियों एवं उपकरणों की और बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन का गठन किया है, जिसका कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी कमेटी आपके स्तर से बनायी गयी है जो यह जांच कर सके कि जिला हास्पिटल में दवाएं गरीबों को मिल रही हैं या नहीं। जहां तक मेरे जनपद आजमगढ़ का सवाल है अभी माननीय मंत्री जी ने एक-दो महीने पहले वहां विजिट की थी तो इनकी विजिट से पहले वहां रेबीज के 500 यूनिट इंजेक्शन आए थे लेकिन इनके जाते ही वह बंद कर दिया गया और अब पिछले एक-डेढ़ महीने से वहां वह इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हैं जिससे गरीबों को बहुत परेशानी हो रही हैं। मैं यह समझता हूं कि सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जनपदों में ऐसी स्थिति है, दूसरा गरीब जनता को बराबर बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कोई सुविधा नहीं है। इससे पहले जो सरकार थी वह जो फण्ड लोकल परचेज के लिए एलॉट करती थी उस फण्ड में भी कटौती की गयी और जो पिछला उनका बकाया है जिन लोगों से लोकल परचेज होता था अभी तक उनका भुगतान भी नहीं दिया गया है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश सरकार यह बताए कि जो काम पहली बार हो रहे हैं, जो प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन का गठन किया है, कितने महीने और कितने साल के अंदर यह काम सरकार पूरे तरीके से कर देगी।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ का विषय रखा है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, उन्होंने जिक्र किया है कि मैं तीन महीने पहले वहां गया था और यह वास्तविकता भी है कि मैं वहां गया था और उन्होंने एण्टी रेबीज वैक्सीन के बारे में भी जिक्र किया है। जो हम लोगों का डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल है जिसके आधार पर जितने भी जिला चिकित्सालय हैं

वहां पर या महिला चिकित्सालय हैं या एम0सी0एच0 विंग हैं वहां पर यह डिस्पले होता है कि कितना मेडिसिन का स्टॉक है या सी0एम0ओ0 के पास कितना स्टॉक होता है जो सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 पर जाता है। वह ऑनलाइन हम लोगों को डी0जी0 ऑफिस में अपडेट भी मिलता रहता है। मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं, 19-03-2018 में आपने एण्टी रेबीज का जो जिक्र किया है वहां पर 500 वॉयल्स आज भी पड़े हैं।

डा0 संग्राम यादव (बैठे हुए)-

मान्यवर, यह सूचना गलत है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह कहना कि यह गलत सूचना है तो हम आपको यह सूचना दे रहे हैं आप इसको चेक भी करवा लीजिएगा। आपके पास आधार होना चाहिए जब बोलते हैं कि गलत है। दूसरा कहा जा रहा है कि हम लोग जो दवाइयां खरीदते हैं उन दवाइयों का हमने उनको वह धनराशि नहीं दी है। शायद यह जिक्र करना भूल गए कि यह धनराशि 40 करोड़ रूपये जो पिछली सरकार का बकाया था हमने उसका अभी भुगतान किया है। जहां तक कि कारपोरेशन का प्रश्न है उस पर हम लोग लगे हैं और आने वाले 6 महीने में इस कारपोरेशन के माध्यम से जितनी भी दवाइयां हैं या उपकरण का परचेज वहीं से करा जायेगा न कि पुरानी प्रक्रिया के माध्यम से।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पोर्टल पर पूरी सूचना सामने आ रही है। सच्चाई यह है कि किताबों में और ये जवाब लिखकर तो अधिकारी दे रहे हैं। सच्चाई हकीकत कैसे बने, इसलिए कहा माननीय मंत्री जी से कि क्या आप कोई ऐसी कमेटी गठित करेंगे जो पूरे प्रदेश का औचक निरीक्षण करके पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय, अस्पतालों में यह देखें कि ये दवायें मौजूद हैं कि नहीं ? सिर्फ कम्प्यूटर पर ऑनलाईन ये शो कर रही हैं, लेकिन गरीबों को ये इंजेक्शन और दवाईयां नहीं मिल रही हैं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, निरीक्षण की टेक्नोलॉजी का योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्दर क्रियान्वित करना शुरू कर दिया और ये जो डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल है इसे केन्द्र सरकार बहुत दिनों से मांग रही थी कि उत्तर प्रदेश में यह लागू हो। वह हम लोगों ने लागू किया है। मेरे पास तीन शीट्स हैं जो कि आजमगढ़ के जिला अस्पताल के बारे में है, जो दवाईयां हैं, जो सी0एम0ओ0 के पास होनी चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट महिला अस्पताल है उसके पास होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से आपको दे देता हूं। आप माननीय सदस्य जी को दे दें। अगर उसके बाद भी उनको संतुष्टि न हो तो मैं अपने सी0एम0ओ0 को इनके साथ भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इससे बड़ा उत्तर और क्या हो सकता है ?

प्रदेश में ग्रामीण अंचल में समुचित इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की कार्य योजना

***13-श्री पारसनाथ यादव-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्र बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण अंचल में रह रहे लोगों को समुचित इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाया जाना वित्तीय एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में समुचित स्वास्थ्य सेवा हेतु टेली मेडिसीन/टेली कन्सलटेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।

उपरोक्तानुसार।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहुत छोटा सा सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। यह प्रदेश बड़ा प्रदेश है और गांव का प्रदेश है। गांव की संख्या अगर प्रदेश में देखा जाये तो 106474 है और ग्राम पंचायतें 59163 है तथा विकास खण्ड की संख्या 821 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 3621 है। आंकड़ा इस बात को बताता है। गांव में सुदूर अंचलों में बीमार व्यक्ति को ब्लॉक मुख्यालय तक या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचाने में जो असुविधायें होती हैं उसको देखते हुए हमने यह सवाल पूछा था। सत्तर साल आजादी को हो गये हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य इंसान की बुनियादी आवश्यकता होती है और हम इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं। दुनिया के वह मुल्क जो शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास पर ले गये वह आज विकास की पराकाष्ठा पर हैं और हम जिस देश में हैं, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, आज भी हम संसाधन की बात कर रहे हैं। मैं और बातें नहीं कहूंगा, चर्चा का विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, इनके उत्तर से ही पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि समुचित स्वास्थ्य सेवा हेतु टेली मेडिसिन/टेली कन्सल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से पूरी नम्रता के साथ कि कितने प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां आपने टेली मेडिसिन/टेली कन्सल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी है और कितने ऐसे हैं जहां अभी प्रक्रिया आपकी चल रही है, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, मेरे उत्तर में लिखा है कि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अन्दर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे, इसको चरणबद्ध कर रहे हैं। पहले 28 डिस्ट्रिक्ट्स में लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर टेण्डर हो चुका है, प्रिबिड हो चुकी है और इसके लिए 107 करोड़ एन0एच0एम0 के माध्यम से, पी0आई0पी0 के माध्यम से धनराशि मांग चुके हैं।

वह हम लोग इसी साल में इसको लांच कर देंगे और यह सुविधा बहुत बड़ी है, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं यदि आपकी तरफ से एक मिनट मिले।

श्री अध्यक्ष-

आप यह बताइये कि यह व्यवस्था क्या है और क्या यह पी0एच0सी0 पर होगी या पी0एच0सी0 के बाहर होगी ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, हम सभी लोग जो यहां पर सदन में बैठे हैं, हम लोगों में कभी कोई बीमार होता है वैसे तो कोई बीमार न हो, यह मैं हमेशा मनोकामना करता हूं। फिर भी कभी भी कोई बीमार होता है तो वह उठते ही, जो अपने घर का डाक्टर होता है, उसको फोन करता है और उससे बोलते हैं कि हमारे बदन में दर्द है और हमें बुखार है और डाक्टर उसके लिये उपचार देता है कि भई आप यह कुछ दवा खा लो, अभी एंटी बायटिक नहीं लेना, यदि बुखार कम न हो तो आप कल यह ब्लड टेस्ट करवा लेना। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमें भेज दो उसके लिये भी हम लोग डाक्टर के पास नहीं जाते हैं वह भी आजकल हम लोग ईमेल के माध्यम से अपने डाक्टर तक पहुंचवा देते हैं और वह ईमेल के माध्यम से उस रिपोर्ट को देखता है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वह टेलीफोन पर ही कह देता है कि आप यह दवा खा लो 3 दिन के लिये या 5 दिन के लिये। यदि उसके बाद भी आराम न मिले तो फिर आ जाना। मगर उसको लगता है कि बीमारी बड़ी है तो उनको कहता है कि आ जाओ या फिर अस्पताल में चले जाओ। हम लोगों को यह सुविधा उपलब्ध है तो हमारी योगी जी की सरकार की यह कल्पना थी कि जब यह हम लोगों के लिये है, जो लोग शहर में रहते हैं, जो किसी भी रूप में सम्पन्न है, उनको यह सुविधा मिल सकती है तो गरीबों को यह सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। क्योंकि यह सरकार गरीबों की सरकार है और दूर अंचल पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है और जो वास्तविकता और व्यवहारिक है हम लोग देख रहे हैं कि डाक्टर्स की कमी है यह कठिनाईयां आ रही हैं तो यह दूर अंचल पर बैठा हुआ व्यक्ति है आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति गांव का है वह टेली कंसल्टेशन के लिये टोलफ्री नं0 पर कमांड एंड कंट्रोल पर 24 बाई सात घंटे डाक्टर्स बैठे रहेंगे, वहां पर वह व्यक्ति फोन करेगा उसको वहां से कंसल्टेशन मिलेगी और उसके आधार पर कहीं हमें ब्लड टेस्ट करवाना होगा तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ही पैथालोजी के लोग उसके पास जायेंगे, उसका ब्लड लेंगे और अब

ऐसी मशीनें आ गयी हैं कि 20 टेस्ट का सैम्पल 2जी, 3जी के माध्यम से वह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर चला जायेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के अभी 28 जिलों में हम लोग टेली मेडिसिन लेकर आ रहे हैं जो कि बी0डी0ओ0 के माध्यम से बड़े अस्पतालों से बातचीत कर सकते हैं। वह व्यवस्था हम लोग लेकर आ रहे हैं इसलिये यह जो टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन है इससे उत्तर प्रदेश के दूर अंचल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, उसको भी उपचार मिल सकता है और उसको भी यह सुविधा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिये मैनें उल्लेख किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में विगत वर्षो में स्वीकृत सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 के भवन, जो अर्द्धनिर्मित हैं और जो द्वितीय किश्त न मिलने के कारण वह पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। क्या इस वित्तीय वर्ष में सरकार उनका भवन पूर्ण करायेगी ?

श्री सिद्वार्थ नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, जितनी भी सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 या जिला अस्पताल में जो कार्य पिछली सरकार ने शुरू किया था, उनको हम लोग रोक नहीं रहे हैं, उनको हम लोग पूरा करवा रहे हैं और सीतापुर में तो विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं।

श्री पारस नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और इस सरकार की सोच को, जो ग्रामीण अचंलों में टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के लिये यह प्रयास कर रहे हैं उनकी इस सोच के लिये बधाई और मुबारकबाद देता हूं। क्योंकि 70 साल की आजादी में हम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर फर्स्ट एड करने के लिये भी नहीं बनवा सके और इस सरकार की सोच में इतनी ऊंची बात आ गयी इसीलिये हमने मुबारकबाद दिया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां ग्रामीण अचंलों में टेलीफोन लाइन की सुविधायें नहीं हैं और जहां नेटवर्क नहीं है, वहां कैसे कोई मरीज अपने बुखार की बात कंसल्टेशन के माध्यम से कर सकेगा उसके लिये क्या यह व्यवस्था करेंगे। आप कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या आप चाहते हैं कि हेल्थ विभाग मोबाइल भी ठीक करवाये ?

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह ऐसी कल्पना कर रहे हैं, जिस कल्पना का इस प्रदेश में जहां इतने गांव है, इतने गांव पंचायतें हैं, शायद 300 साल बीत जाने के बाद भी यह कंसल्टेशन की

व्यवस्था इनकी नहीं आयेगी, यह स्थिति इनकी जो है। फासिष्टवादी व्यवस्था यह लाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल जुमला बोल-बोलकर यह अपनी व्यवस्था चलाने का काम कर रहे हैं। कम से कम आपसे जो उचित प्रश्न किये जायें तो उचित उत्तर दिलवाने का कष्ट करें, आप से हम यही उम्मीद करते हैं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, आजकल जो मोबाइल की सुविधा है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जगह है, जहां से मोबाइल चलता नहीं होगा।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस गांव में रहता हूं, वहां नेटवर्क नहीं रहता है।

(श्री लालजी वर्मा, श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' एवं अन्य विपक्षी नेताओं के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, यह उनका विचार है। मा0 मंत्री जी ने किसी पत्रावली से यह बात नहीं कही है। माननीय वर्मा जी, आप हमारी बात सुनिये, ऐसा है कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में मंत्री जी जो कुछ बोल रहे हैं, वह अपनी पत्रावली से इस सरकार के मान्य अभिलेखों से बोल रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी आपने टी0वी0 चैनल पर भी देखा था कि एक माननीय केन्द्रीय मंत्री बात करने के लिये ऊपर चढ़ गये, आपने स्वयं देखा होगा। मान्यवर, अभी किसी प्रान्त का था कि केंद्रीय मंत्री स्वयं सीढ़ी लगाकर ऊपर गये, तब मोबाइल से बात की। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि टेली-मेडिसिन्स से हम जोड़ेंगे। अभी टेली-मेडिसिन्स से मेडिकल कालेज एक दूसरे मेडिकल कालेज से नहीं जुड़ पाये और यह प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र टेली मेडिसिन्स से जोड़ेंगे तो यह कहां सम्भव हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह एक प्रगतिशील विचार है, यह अभी क्रियान्वित नहीं हुआ है। उसको आने तो दीजिये प्रयोग में।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, आज टेली-मेडिसिन, उत्तर प्रदेश में शायद हमारे सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं होगी। मगर दक्षिण भारत के अनेक प्रांतो में टेली मेडिसिन बड़ा सक्सेस्फुली चल रहा है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं लागू कर रहे हैं, वह चल रहा है और जहां तक कि टेक्नालॉजी है, टेक्नालॉजी का हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिये। अब यह कहना चाहते हैं

कि 10 जगह कहीं कनेक्टीविटी है और उसमें एक नहीं चल रहा है तो नौ जगहों को भी हम वंचित कर दें, यह इनकी सोच है। मुझे लगता है कि जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और टेक्नालॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे की दूर-दराज के लोगों तक हम लोग पहुंच सकें तो उसमें सरकार के साथ सभी सदस्यों को उसके लिये तैयारी करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप आप आगे के प्रश्न का उत्तर दे दीजिये,प्रश्न संख्या-14, श्री रितेश पाण्डेय जी का।

प्रदेश में गैर पंजीकृत तथा मनमाना शुल्क वसूल रहे प्राइवेट अस्पतालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की मांग

***14-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने निजी अस्पताल है और क्या सभी प्राइवेट अस्पतालों का पंजीकरण हो गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों से मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं और मरीजों को दोगुनी कीमत पर इम्प्लांट बेचे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दो गुनी कीमत पर इम्प्लांट बेचने वाले अस्पतालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश में कुल 11,400 नर्सिंग होम है।

जी नहीं।

शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि प्रदेश में कुल 11,400 नर्सिंग होम हैं और जो रजिस्टर्ड नर्सिंग होम हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गली-मोहल्ले में, कूंचे में आज कल अस्पताल खुल जा रहे हैं और झोला-छाप डॉक्टर्स जो हैं, लेकर बैठ जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इतना दबाव रहता है, लोग वहां पर पहुंच नहीं पाते, पहुंचते हैं तो उनको समय पर उपचार नहीं मिल पाता। मजबूरन वह प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं, तो अगर सिर्फ 11,400 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं और मरीज जो है, तमाम अस्पतालों में बिना जानकारी के जाते हैं। माननीय मंत्री जी यह बतायें कि

यह जो रजिस्टर्ड अस्पताल हैं और जो अन-रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, उनको पहचानने के लिये जो आम आदमी है, क्या अस्पताल के बाहर कोई सर्टिफिकेशन मेन्शनड होगा, उसके लिये कोई नियम या लॉ कानून बनायेंगे, एक सवाल। दूसरा मेरा यह सवाल है माननीय मंत्री जी से कि जो इम्प्लांट के बारे में मनमाना दाम वसूला जाता है, इम्प्लांट वगैरह को लेकर के, माननीय मंत्री जी ने अभी तमिलनाडु और साउथ के प्रदेशों के बारे में बताया कि किस तरह से वहां टेली-मेडिसिन के जरिये उनको सफलता मिल रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय जा रहा है।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा आखिरी सवाल है, उन प्रदेशों में तमाम ऐसे मर्ज हैं, तमाम ऐसे उपचार हैं जिनका रेट फिक्स कर दिया गया है, दिल्ली में भी यह कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप घड़ी नहीं देख रहे हैं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, जो संख्या दी है 11 हजार 400 नर्सिंग होम, जो गैर पंजीकृत इकाइयां हैं हम लोगों ने मार्च, 2017 से अब तक 1240 गैर पंजीकृत नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई की है। हम लोगों ने एफ0आई0आर0 686 पर किया है, नोटिस 510 को दिया है, जिन नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने निरस्त किया है उनकी संख्या 17 है, 27 पर हमने ताला लगा दिया है तो यह कार्रवाई हम लोग करते चल रहे हैं। जहां तक इन्होंने इम्प्लांट विषय दिया है तो उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है, लखनऊ में एक प्राईवेट नर्सिंग होम है वह ज्यादा चार्ज कर रहा था, दोगुना चार्ज कर रहा था तो उसको हम लोगों ने कार्रवाई करके सील किया है। जहां भी हमें मौका मिलता है, जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। जो दूसरा आपने पूछा कि बाहर उनको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करना तो उनको मस्ट है ही, उनको डिस्प्ले करना है, जो कान्ट्रैक्ट लाइसेन्स दिया जाता है उसके अधीन ही उन लोगों को डिस्प्ले करना पड़ेगा और इसी कारण हम लोग उनको पकड़ भी पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवायें हेतु मानकानुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग

***15-श्री देवेन्द्र कुमार निम-**

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें उपलब्ध कराने हेतु 5000 आबादी पर एक स्वास्थ्य

तारांकित प्रश्न संख्या-14 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उपकेन्द्र का मानक है ? यदि हां, तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में कितने ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेन्द्र चाहिये थे, कितने कार्यरत हैं तथा कितने कम हैं ? क्या सरकार मानकानुसार उपकेन्द्रों की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में 32017 उपकेन्द्र होने चाहिये।

20573 उपकेन्द्र कार्यरत है।

11444 उपकेन्द्र कम है।

11444 उपकेन्द्र की स्थापना का प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

वर्ष 2018-19 के कुम्भ मेला के मद्देनजर बमरौली एअरपोर्ट पर बड़े विमानों को उतारे जाने की योजना के सम्बन्ध में

1-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2018-19 के कुम्भ मेला में विदेशी पर्यटकों के भारी आवक के मद्देनजर बमरौली एअरपोर्ट पर बड़े विमानों को उतारने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

जनपद इलाहाबाद में बमरौली एयरपोर्ट पर एयरबस 319/320 तक के विमानों हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्य किया जा रहा है।

कम दृश्यता में उड़ान हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आई0एल0एस0 स्थापित किया गया है। आई0एल0एस0 कैट-1 हेतु कार्य व आवश्यक भूमि क्रय की प्रक्रिया जारी है।

बड़े वायुयान जैसे एयरबस 319/320 के प्रचालनार्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नये सिविल ऐन्क्लेव, एप्रन व टैक्सी लिंक के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्रस्तावित सिविल ऐन्क्लेव में पीक आवर्स में एक साथ 300 यात्रियों (150 आगमन/150 प्रस्थान) का प्रावधान किया गया है। निर्माणाधीन नये सिविल ऐन्क्लेव में आधुनिक हवाई अड्डे से सम्बन्धित सभी आवश्यक अवस्थापनाओं का प्रावधान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मलेरिया एवं फाइलेरिया कार्यक्रम में कार्यरत अधिकारियों का एकीकरण किये जाने विषयक

2-श्रीमती राजबाला-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के मध्य मलेरिया एवं फाइलेरिया कार्यक्रम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को एकीकरण किये जाने हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2010 और 19 मई, 2014 द्वारा शासन को प्रेषित विभागीय प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मलेरिया एवं फाइलेरिया सवंर्ग के एकीकरण के प्रस्ताव को सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

श्रावस्ती को पर्यटक नक्शे में घोषित करते हुये उसके विकास कराने की मांग

3-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती की विश्वप्रसिद्ध ख्याति को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार श्रावस्ती को पर्यटन नक्शे में घोषित करते हुये उसका विकास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में किसी स्थल को पर्यटन के नक्शे में घोषित करने की कोई नीति प्रख्यापित नहीं है। जनपद श्रावस्ती में पर्यटन विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना अन्तर्गत बौद्ध सर्किट हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु0 10,24,53,713.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि से जनपद श्रावस्ती के पर्यटन विकास हेतु निम्नलिखित कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं :-ध्वनि एवं प्रकाश शो, बुद्धा थीम पार्क का कार्य, पार्किंग का कार्य, वाच टावर का कार्य, वर्ड्स पीस बेल का सौन्दर्यीकरण का कार्य, साइनेज एवं बेस्ट मैनेजमेन्ट का कार्य, मॉडन टॉयलेट फैसिलिटी का कार्य, सी0सी0टी0वी0 एवं वाई-फाई का कार्य, टूरिस्ट के फैसिलिटेशन का कार्य एवं सोलर लाइटिंग का कार्य।

जनपद श्रावस्ती में स्थापित हवाई पट्टी की मरम्मत कराने विषयक

4-श्री रामफेरन पाण्डेय-

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती में हवाई पट्टी अनेकों स्थान पर क्षतिग्रस्त होने के कारण टूट-फूट गयी है ? क्या यह सही है कि हवाई पट्टी पर जहाजों की लैण्डिंग न होने के कारण विदेशी पर्यटकों को कठिनाई हो रही है ? यदि हां तो क्या सरकार हवाई पट्टी की मरम्मत एवं इस पर उड़ान की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

जी नहीं।

श्रावस्ती हवाई पट्टी छोटे वायुयानों की उड़ान हेतु उपयोगी है और वर्ष 2015-16 में रनवे की रिकारपेटिंग एवं अन्य सम्बद्ध कार्य कराये गये हैं। यह हवाई पट्टी भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की द्वितीय चरण की बिडिंग में यात्री विमान सेवाओं के लिए चयनित हुई है। इस स्कीम के अन्तर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जायेगा और एयरपोर्ट का विकास होने के उपरान्त चयनित एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा एयरपोर्ट पर यात्री विमान सेवाओं का संचालन किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा जनपद के चिकित्सालयों में तैनात कर्मचारियों को अनुपस्थित दिखाकर स्थानान्तरण व वेतन रोकने की धमकी देने विषयक

5-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा जनपद में चिकित्सालयों में तैनात चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों को अनुपस्थित दिखाकर निलम्बन स्थानान्तरण करने व वेतन रोकने की धमकी देकर धन उगाही करने के विरुद्ध मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा का शिकायती, पत्र दिनांक 21-12-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 13-03-2018 द्वारा श्री पूरन प्रकाश, मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 21-12-2017 में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बारांबकी मुख्यालय पर बने ट्रामा सेन्टर पर उपकरण एवं डाक्टर उपलब्ध कराने की मांग

6-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद मुख्यालय पर बने ट्रामा सेन्टर में उपकरण एवं डाक्टर आदि उपलब्ध कराकर क्या सरकार उक्त को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी मुख्यालय पर निर्मित महिला मैटरनिटी विंग को संचालित करने विषयक जानकारी

7-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी मुख्यालय पर निर्मित 100 बेड के महिला मैटरनिटी विंग को सरकार संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी में नव निर्मित 100 बेड मैटरनिटी विंग का निर्माण हो चुका है और नव निर्मित भवन को दिनांक 06-07-2017 को हस्तगत कर लिया गया है, स्थानीय व्यवस्था पर दिनांक 19-03-2018 को चिकित्सालय में उपलब्ध संशाधनों से ओ0पी0डी0, अल्ट्रासाउण्ड, सम्पूर्ण क्लीनिक, परिवार कल्याण सेवायें, इन्जेक्शन इत्यादि की व्यवस्था नये भवन में हस्तानान्तरित करते हुये कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

संचालित हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों से अध्यापकों के नियम विरुद्ध स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

8-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों से कितने अध्यापक अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियम विरुद्ध स्थानान्तरित किये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा नियम विरुद्ध स्थानान्तरित किये गये अध्यापकों को उनके मूल विद्यालय में स्थानान्तरित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति एवं अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्क एंव हज मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली, 2016 में स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान नहीं है और न ही किसी सहायता प्राप्त मदरसे के अध्यापक का स्थानान्तरण अन्य सहायता प्राप्त मदरसे में किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ स्थित राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय के कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित कराने विषयक जानकारी

9-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित राम सागर मिश्र 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ में सेवा प्रदाता एजेन्सी से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सालय के सरकारी आवास अनुमन्य हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको हटा कर चिकित्सालय कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

आपातकालीन सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवास अस्थायी रूप से आवंटित किये गये हैं।

चिकित्सालय में नियमित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद सृजित नहीं हैं और न ही कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर में ए0एन0एम0 केन्द्र के अधूरे कार्य का निर्माण कराने की मांग

10-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत ग्राम सभा सेंठा कला में ए0एन0एम0 केन्द्र विगत छः वर्षों से धनाभाव के कारण अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक धनराशि मुहैया कराकर ए0एन0एस0 केन्द्र का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

कार्य धनाभाव के कारण अधूरा नहीं है अपितु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास संघ लि0 के स्तर पर अवमुक्त धनराशि की वित्तीय अनियमितता/अपहरण के कारण अधूरा है।

जी हां।

कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास संघ लि0 द्वारा अधूरी योजना को पूर्ण करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन के अपने प्रशासकीय विभाग (सहकारिता विभाग) को प्रेषित किया गया है। उक्त धनराशि की प्राप्ति पर कार्य पूर्ण होना निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत ग्राम सभा भिस्वा चितौना में अस्पताल निर्माण कराने के सम्बन्ध में

11-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत ग्राम सभा भिस्वा चितौना में राजस्व अभिलेखों में 0.64 हे0 भूमि अस्पताल के नाम दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन आवंटित कर उक्त भूमि पर अस्पताल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

अस्पताल का निर्माण वित्तीय संसाधन, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सीमित संसाधनों व चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत अभी नये चिकित्सालयों की स्थापना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सरकारी दवायें न देने एवं चिकित्सकों द्वारा निजी क्लीनिक चलाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

12-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र स्थित सामुदायिक केन्द्र में मरीजों को सरकारी दवायें देने के बजाय नहीं बने निजी मेडिकल स्टोर से दवायें लेने तथा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कानपुर में निजी क्लीनिक चलाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई दवायें वितरित की जाती हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र हर्रैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके जिला स्तरीय अस्पताल बनाने की मांग

13-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की हर्रैया तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर जिला स्तरीय अस्पताल सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हर्रैया में 100 शैय्या महिला चिकित्सालय निर्माणाधीन है।

जनपद हरदोई के कतिपय होम्योपैथी चिकित्सालयों के रिक्त पदों का विवरण एवं तैनाती के सम्बन्ध में

14-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र 159, बिलग्राम मल्लावां अन्तर्गत कुरसठ, नूरपुर हथौड़ा, डाभा और शुक्लापुर भगत होम्यापैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह सैनी-

वर्तमान में चिकित्साधिकारी के 04 पद, फार्मासिस्ट के 04 पद, वार्ड ब्वाय के 04 पद, स्वीपर कम चौकीदार के 03 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल चिकित्साधिकारी के 03 पद रिक्त चल रहे हैं। शेष सभी पद भरे हुये हैं।

जी हां।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चिकित्सकों के चयन हेतु अधियाचन भेजा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित चिकित्सकों की सूची प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें यहां तैनात किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बाबा मंशानाथ मन्दिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर आस्था द्वार का निर्माण कराये जाने की मांग

15-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के बाबा मंशानाथ मन्दिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर आस्था द्वार का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के बाबा मंशानाथ मन्दिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर आस्था द्वार का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण समय-समय पर सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे प्रवेश द्वार तोड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जनपद चित्रकूट स्थित भरतकूप मन्दिर के विकास हेतु वर्ष 2017-18 में आवंटित कुल बजट एवं खर्च धनराशि की जानकारी

16-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र में स्थित भरतकूप मन्दिर के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल कितना बजट प्राप्त हुआ है तथा प्राप्त बजट में कुल कितना खर्च किया गया और उसके सापेक्ष कितना कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद चित्रकूट में स्थित भरतकूप मन्दिर के पर्यटन विकास हेतु भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा उक्त स्थल के पर्यटन विकास हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम किशुनपुर में स्वीकृत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में

17-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम किशुनपुर में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसका धन कार्यदायी संस्था को दे दिया गया व जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम दर्ज व कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जमीन पुनर्ग्रहीत की गयी है, किन्तु भूमि पर स्वास्थ्य विभाग का कब्जा नहीं है।

भूमि पर वाद योजित है। वैकल्पिक भूमि प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सी0एच0सी0 अस्पतालों में शामिल किये जाने की कार्य योजना

18-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, 'एडवोकेट'-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सी0एच0सी0 अस्पतालों में शामिल करने का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय होम्योपैथिक अस्पतालों जो 5 किलोमीटर की दूरी पर चल रहे हैं पूर्व की तरह सभी अस्पतालों का संचालन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु किराये/दान की भूमि भवन में संचालित चिकित्सालयों पर तैनात चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्टों एवं अन्य कार्मिकों को समीपस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

किराये के भवनों तथा दान की भूमि एवं भवन में संचालित आयुष चिकित्सालयों पर तैनात चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्ट एवं अन्य कार्मिकों को समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके।

जनपद बस्ती में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

19-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांच की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद बस्ती में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांच पी0पी0पी0 के माध्यम से सुनिश्चित करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

20-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[6वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र महोली में ट्रामा सेन्टर बनवाने के सम्बन्ध में

21-श्री शशांक त्रिवेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद सीतापुर की महोली विधान सभा क्षेत्र में आकस्मिक चिकित्सा सुविधा हेतु ट्रामा सेन्टर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

सीतापुर में 01 ट्रामा सेन्टर पूर्व से निर्मित है।

जनपद सीतापुर के ब्लाक महोली के ग्राम चन्द्रा (चड़रा) में निर्मित उपकेन्द्र पर डॉक्टरों व स्टाफ की नियुक्ति करने की मांग

22-श्री शशांक त्रिवेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के ब्लाक महोली के ग्राम चन्द्रा (चड़रा) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन कई वर्षों से बन कर तैयार है किन्तु उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों व स्टाफ आदि की तैनाती अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर एवं स्टाफ की तैनाती कर जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जिला सीतापुर के ब्लाक महोली में ग्राम चन्द्रा (चड़रा) स्थित न होकर ब्लाक पिसावां में स्थित है। उक्त ग्राम में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित नहीं है। बल्कि ग्राम चन्द्रा में उपकेन्द्र स्थापित/क्रियाशील है। उक्त उपकेन्द्र पर ए0एन0एम0 तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग में मा0 मुकेश वर्मा द्वारा दिये गये शिकायती पत्रांक-67179, दिनांक 05-02-2018 पर कार्यवाही हेतु

23-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" एडवोकेट-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने कार्यालय निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-4डी

(1)/393/2015, दिनांक 29 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रोन्नत इसी कार्यलय के पत्रांक-4डी(1)/476/पार्ट-2/2015, दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा जारी सूची में उल्लिखित कर्मियों से कनिष्ठ हैं? यदि हां, तो उक्त अनियमित के विरुद्ध मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र श्री मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र संख्या-67179, दिनांक 05-02-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

महानिदेशालय के पत्रांक-4डी(1)/476/पार्ट-2/2015/803-17, दिनांक 25-01-2018 द्वारा अधिसंख्य के रूप में कार्यरत लिपिकों को कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर समायोजित किया गया है। इन कार्मिकों का कनिष्ठ सहायक के पद पर वरिष्ठता निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

जी हां।

कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के विधवाओं की पेंशन धनराशी बढ़ाये जाने की कार्य योजना

24-श्री नफीस अहमद-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में विधवाओं को कितनी पेंशन दी जा रहीं है और उनकी संख्या कितनी है ? क्या सरकार बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत विधवा पेंशन को बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में रु0 500/-प्रतिमाह की दर से कुल 1569 महिलाओं को पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

प्रकरण में वित्तीय उपाशय निहित होने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही ऐसे प्रकरणों में अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की मांग

25-डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय बरेली में लम्बे अरसे से रिक्त चल रहे हृदय रोग विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सकों का कैडर नहीं है तथा विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। नवनियुक्त चिकित्सकों में से हृदय रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता होने पर प्रदेश में रिक्त के सापेक्ष जिला चिकित्सालय, बरेली में तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में हवाई अड्डा स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

26-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में हवाई अड्डा स्थापित कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में भारतीय सेना के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्मित एक हवाई पट्टी है, जो भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की द्वितीय चरण की विडिग में यात्री विमान सेवाओं के लिए चयनित हुई है। इस स्कीम के अन्तर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण द्वारा झांसी एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जायेगा और एयरपोर्ट का विकास होने के उपरान्त चयनित एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा एयरपोर्ट पर विमान सेवाओं का संचालन किया जा सकता है।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना हेतु

27-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के इलाज हेतु प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट की स्थापना हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट की स्थापना करने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 3000 यूनिट प्रतिवर्ष अथवा उससे अधिक रक्त संग्रहण करने वाले रक्तकोषों को ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट में उच्चीकृत करने का प्राविधान है। वर्तमान में जिला अस्पताल फिरोजाबाद के रक्त कोष द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 1500 यूनिट रक्त संग्रहण किया जा रहा है। अतः यहां पर ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट की स्थापना करने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना कराने कि मांग

28-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में स्थापित ट्रामा सेन्टर में गम्भीर रूप से घायल रोगियों के उपचार हेतु एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार गम्भीर रूप से घायल रोगियों की सुविधा हेतु फिरोजाबाद ट्रामा सेन्टर में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

एन0एच0एम0 योजना के अनतर्गत एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा केवल मण्डल स्तरीय चिकित्सालयों में उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश एवं विधान सभा भरथना में नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने विषयक

29-श्रीमती सावित्री कठेरिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र हनुमन्तपुरा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बकेवर पर चिकित्सक/ स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमन्तपुरा में एक चिकित्साधिकारी व एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर दी गई है। 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालय, स्व0 रामाधीन शर्मा, संयुक्त चिकित्सालय बकेवर का भवन हस्तगत हो गया है। पर स्वीकृति के उपरान्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशुनपुर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

भूमि पर वाद योजित है। वैकल्पिक भूमि प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के चुन्दस्थल स्थिल ग्राम फरेन्दहा, बुद्धग्राम आदि गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसति किये जाने की मांग

31-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के गाम फरेन्दहा, बुद्धग्राम (वदुरांव) ग्राम उसमानपुर स्थित वीर भारी टीला तथा कुकुत्था घाट स्थित पुरेना घाट-ग्राम रहेसू जनूवी पट्टी जनपद कुशीनगर स्थित कसया तहसील को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित एवं सुसज्जित सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद कुशीनगर के ग्राम फरेन्दहा, बुद्धग्राम (वदुरांव) ग्राम उसमानपुर स्थित वीर भारी टीला तथा कुकुत्था घाट स्थित पुरेना घाट ग्राम रहेसू जनूवी पट्टी जनपद कुशीनगर स्थित कसया तहसील को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित एवं सुसज्जित किये जाने का कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त स्थल पर विकास आदि कार्य स्थानीय स्तर पर जिला पंचायत से कराने के सम्बन्ध में यथोचित प्रस्ताव जिला पंचायत कुशीनगर की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

जनपद कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई भूमि को किसानों को वापस किये जाने के सम्बन्ध में

32-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना के अन्तर्गत शेष भूमि जिसे सरकार ने अधिग्रहीत नहीं किया है,

को डि नोटिफाइड करते हुये सम्बन्धित किसानों की भूमि वापस सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के नगर पंचायत कोटरा में स्वाथ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

33-श्री गौरी शंकर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की नगर पंचायत कोटरा जिसकी आबादी लगभग 10 हजार है, में कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो उक्त कस्बे में सरकार स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मानक 30 हजार की आबादी है जबकि नगर पंचायत कोटरा की आबादी 10 हजार है अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरानगर में निदेशक के पदों को भरे जाने की मांग

34-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ में रिक्त निदेशक के पद को भरने के लिए शासन के चिकित्सा अनुभाग-10, पत्र संख्या-19/5-10-17-जी-1962000, दिनांक 30 मई, 2017 के क्रम में सरकार कोई तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ में रिक्त निदेशक के पद को भरने के लिए शासन के पत्र संख्या-19/5-10-17-जी-196/2000, दिनांक 30 मई, 2017 द्वारा प्रभारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परविार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर,

लखनऊ को निर्देशित करते हुए उक्त पद को भरने हेतु शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार दैनिक समाचार पत्रों में पूर्ण सूचना के साथ विज्ञापित कराते हुए आवेदन-पत्र आमंत्रित कर चयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में प्रभारी निदेशक के पत्र दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा निदेशक के पद की शैक्षिक अर्हता स्पष्ट न होने के दृष्टिगत कतिपय सूचनायें मांगी गयी हैं, उक्त के क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग से सूचना मांगी गई है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरानगर के निदेशक द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों का पत्र दिनांक 20-09-2017 पर कार्यवाही हेतु

35-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्याम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा एवं सांसद विनय कटियार आदि जनप्रतिनिधियों का पत्र दिनांक 20-09-2017 जो कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ में निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे गये कर्मी द्वारा की गयी अनियमितताओं व घोटालों की जांच कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना में एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत इण्टर कालेज की स्थापना विषयक

36-श्री असलम अली-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के अन्तर्गत एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत क्या सरकार उक्त में इण्टर कालेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जी हां।

शासनादेश सं0-428/बावन-1-2018-33 (एम0एस0डी0पी0)/17, दिनांक 02-02-2018 के द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम देहरा विकास खण्ड धौलाना में राजकीय इण्टर कालेज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कुम्भ मेला के प्रचार के लिये कार्य योजना बनाने विषयक

37-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ मेले को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने के लिये क्या सरकार विज्ञापन और मार्केटिंग की नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कुम्भ मेला, 2019 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इसकी ब्राण्डिंग हेतु संकल्प है। कुम्भ मेला, 2019 के लिये टैगलाइन ''सर्वसिद्धिप्रदः कुम्भः'' निर्धारित की गयी है तथा ''ऊँ'' के साथ गंगा एवं यमुना नदियों को चित्रित करते हुये ''कुम्भ'' की स्थापना करते हुये प्रतीक चिन्ह (लोगों) का निर्धारण किया गया है। कुम्भ स्वीकृत प्रतीक चिन्ह (लोगों) का प्रयोग भी तत्काल समस्त राजकीय पत्रों, राजकीय लेटर हेड तथा प्रचार-प्रसार सामग्री में सभी विभागों द्वारा अनिवार्य किया गया है।

उ0प्र0 पर्यटन की ब्राण्डिंग के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने तथा ब्राण्ड अम्बेसडर इत्यादि का चयन करने हेतु पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा मेसर्स मैक्केन एरिक्सन इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली को विज्ञापन एजेन्सी के रूप में चयनित किया गया है। उक्त एजेन्सी द्वारा कुम्भ, 2019 की ब्राण्डिंग एवं प्रचार-प्रसार के क्रियान्वयन हेतु इन्टीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

जनपद हरदोई के बेलियाघाट पर लगने वाले पांच दिवसीय मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिये जाने की मांग

38-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में गंगा तट बेरियाघाट पर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लगने वाले पांच दिवसीय मेले को राजकीय मेले का दर्जा सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

पर्यटन विभाग के किसी भी मेले को राजकीय मेले का दर्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाती है।

जनपद हरदोई स्थित बाबा सुनासीर नाथ मन्दिर एवं फूलमती माता मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

39-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या पर्यटन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई स्थित बाबा सुनासीर नाथ मन्दिर को दस लाख एवं फूलमती माता मन्दिर, राघौपुर को बीस लाख रुपये सौन्दर्यीकरण

जिला योजना हरदोई द्वारा आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो अभी तक सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण सरकार कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद हरदोई के मल्लावां स्थित सुनासीर नाथ मन्दिर एवं फूलमती माता मन्दिर राघौपुर के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु क्रमशः रु0 30.00 लाख एवं रु0 20.00 लाख की धनराशि जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय बजट में योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था/बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल के पर्यटन विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

40-श्री पारसनाथ यादव-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बस्ती के हर्रैया में स्थित प्राचीन रामरेखा मन्दिर पर स्थित नदी घाट के निर्माण के सम्बन्ध में

41-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के हर्रैया विधान सभा में स्थित प्राचीन रामरेखा मन्दिर घाट का निर्माण न होने के कारण आने वाले दर्शनार्थियों से साधु-संतों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मन्दिर पर स्थित नदी घाट का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद बस्ती में विधान सभा हर्रेया के अन्तर्गत जलभराव की समस्या के निदान हेतु रामरेखा ट्रंक ड्रेन का निर्माण लगभग 15 वर्ष पूर्व किया गया था, जिसकी कुल लम्बाई 32 कि0मी0 है तथा इस ड्रेन का डिस्चार्ज 40.60 क्यूसेक है एवं कैचमेंट एरिया 30,550 हे0 है। यह ड्रेन नेदुला तालाब से निकल कर मनवर नदी में गिरता है। प्राचीन मन्दिर इस ड्रेन के किनारे अमावां गांव में स्थित है। चूंकि ड्रेन में वर्ष भर पानी उपलब्ध नहीं रहता है। अतः यहां पर घाट का निर्माण कराया जाना व्यावहारिक/तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

जनपद जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगराबादशाहपुर, सतहरिया तथा सुजानगंज में महिला चिकित्सक की तैनाती करने के सम्बन्ध में

42-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की करेंगे कि जौनपुर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगराबादशाहपुर, सतहरिया तथा सुजानगंज में एक भी महिला चिकित्सक न तैनात

होने के कारण महिला मरीजों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों को तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, 2011 में पुरुष एवं महिला संवर्ग का भेद समाप्त कर दिया गया है।

जनपद जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुंगराबादशाहपुर, सतहरिया तथा सुजानगंज पर तैनात चिकित्साधिकारियों का विवरण निम्न है :-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	चिकित्साधिकारी के स्वीकृत पद	तैनात चिकित्साधिकारी की संख्या
मुंगराबादशाहपुर	03	03 (एक महिला चिकित्सक शामिल)
सतहरिया	06	04
सुजानगंज	06	04

उपरोक्त तैनात चिकित्साधिकारियों द्वारा क्षेत्र के जनसामान्य को चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

प्रदेश में उपलब्ध चिकित्साधिकारियों की संख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के जिला अस्पताल में कर्क रोग, हृदयघात, अस्थि एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात करने विषयक

43-श्री योगेश धामा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के जिला अस्पताल में कर्क रोग, हृदयघात, अस्थित एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की मानकानुसार तैनाती सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश में प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में विशेषज्ञ संवर्ग नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर जिला चिकित्सालय, बागपत में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गयी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 में तैनात डाक्टरों की तैनाती एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

44-श्री पूरन प्रकाश-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 में तैनात इन्चार्ज/डाक्टरों की तैनाती की कोई समय-सीमा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद मथुरा के स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त तैनाती की समय-सीमा से अधिक समय से तैनात डाक्टरों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार सभी चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

रोहताश प्रोजेक्ट लि0, लखनऊ में रोहताश प्लूमेरिया एवं रोहताश प्रेसीडेन्सियल टावर के फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में

45-कुंवर माधवेन्द्र प्रताप-

क्या स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोहताश प्रोजेक्ट लि0, लखनऊ ने विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में रोहताश प्लूमेरिया एवं रोहताश प्रेसीडेन्सियल टावर के नाम से जो लगभग 900 फ्लैटों का निर्माण कराया गया है उनका रजिस्ट्रेशन इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कराया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रभावी कार्यवाही कर उक्त का रजिस्ट्रेशन नियमानुसार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

49 फ्लैटों से सम्बन्धित विलेखों के पक्षकारों द्वारा निष्पादित पत्र निबन्धन हेतु प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निबन्धन किया गया। दिनांक 15 मार्च, 2018 तक 49 फ्लैटों का निबन्धन कराया गया।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-277/94-1- 2018-312(52)/2018, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा इस आशय के आदेश निर्गत किये गये है कि पंजीयन हेतु अन्तिम विकल्प के रूप में प्रदेश के सभी जनपदों में जहां बिल्डर्स द्वारा आवंटित फ्लैट/भवन का पंजीयन/निबन्धन नहीं कराया गया है, वहां के बिल्डरों को चिन्हित करते हुये जिलाधिकारीगण भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम,

1908 एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में वर्णित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के जिला चिकित्सालय में 200 बेड को बढ़ा कर 400 बेड करने के सम्बन्ध में दर्ज सन्दर्भ सं0-18156170514652 पर कार्यवाही हेतु

46-श्री पंकज गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय कम्प्यूटर पर दर्ज सन्दर्भ सं0-18156170514652 जिला चिकित्सालय उन्नाव में 200 बेड को बढ़ा कर 400 बेड की सुविधा प्रदान करने के विषय पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

वर्तमान में जनसंख्या को देखते हुये 160 बेड संयुक्त जिला चिकित्सालय का उच्चीकरण करने की आवश्यकता है। परन्तु निर्माण हेतु परिसर में खाली भूमि उपलब्ध नहीं है। चिकित्सालय में अतिरिक्त उच्चीकरण के अन्तर्गत डायग्नोस्टिक सेन्टर, इमरजेन्सी, सर्विस ब्लाक आदि का निर्माण हो चुका है तथा डी0ई0आई0सी0 का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के वि0ख0 मोहनलालगंज के ग्राम अहिनिवार में स्थित सरोवर स्थल को पर्यटन स्थल रूप में विकसित कराये जाने की मांग

47-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम अहिनिवार गांव में स्थित महाभारत काल से मानसरोवर पर लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन एकत्र होकर पूजा अर्चना/स्नान आदि करने आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अहिनिवार गांव के सरोवर स्थल को विकसित कर पर्यटन स्थल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज के अहिनिवार ग्राम में स्थित सरोवर का पौराणिक महत्व है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा अर्चना/स्नान आदि कार्यक्रमों का आयोजन होता है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सुविधा सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय बजट में योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था/बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल के पर्यटन विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के रुइयागढ़ी परिसर माधौगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की जानकारी

48-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1857 के शूरवीर राजा नरपति सिंह की कर्मभूमि, शौर्यभूमि रुइयागढ़ी परिसर माधौगंज, हरदोई को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर परिसर में स्थित जैव विविधता की धरोहर विशाल झील का सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय बजट में योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था/बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल के पर्यटन विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

परिसर में स्थित जैव विविधता की धरोहर विशाल झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किसी झील का सौन्दर्यीकरण पर्यटन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।

जनपद फैजाबाद में स्थित बहूबेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी और मोतीमहल, अफीम कोठी से सम्बन्धित रिट सं0-10862 पर कार्यवाही हेतु

49-कुंवर माधवेन्द्र प्रताप-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में स्थित बहूबेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी और मोतीमहल, अफीम कोठी से सम्बन्धित को रिट संख्या-10862 में उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 24-02-2014 का अनुपालन क्यों नहीं कराया जा रहा है और वक्फ मुत्तवल्ली जिया हैदर और गुरलेश आब्दी, तबील अब्बास द्वारा किराये पर या पट्टे पर नये निर्माण किस आधार पर कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त पर कार्यवाही सरकार द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जिलाधिकारी, फैजाबाद की सूचनानुसार जनपद फैजाबाद स्थित बेगमगंज में बहूबेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी और मोतीमहल, अफीम कोठी से सम्बन्धित आराजी को रिट सं0-10862 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-02-2014 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में स्थित बेगमगंज से बहूबेगम के मकबरे के किरायेदार पट्टे और कब्जे के सम्बन्ध में

50-कुंवर माधवेन्द्र प्रताप-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित बेगमगंज में बहूबेगम का मकबरा में वक्फ मुत्तवल्ली जिया हैदर द्वारा कितने किरायेदार पट्टे और कब्जे मकबरे में दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जिलाधिकारी, फैजाबाद की सूचनानुसार जनपद फैजाबाद स्थित बेगमगंज में बहूबेगम का मकबरा में वक्फ मुत्तवल्ली जिया हैदर द्वारा 41 व्यक्तियों को किरायेदारी दी गयी है।

श्री अशफाक उर्फ जिया हैदर द्वारा उक्त समिति पर पट्टे और कब्जे किसी को नहीं दिये गये हैं।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की संचय सीमा 300 से 500 दिन एवं नगदीकरण बहाल किये जाने की मांग

51-श्रीमती जय देवी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने अथवा अर्जित अवकाश की संचय सीमा 300 से 500 दिन निर्धारित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-01-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में की गयी मांग पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के नगदीकरण सुविधा बहाल किये जाने अथवा अर्जित अवकाश की संचय सीमा 300 दिन से 500 बढ़ाने की मांग को मा0 मंत्रि-परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

52-श्री विनय कुमार द्विवेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटिया थोक में लगभग पन्द्रह वर्षों से चिकित्साधिकारी स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटिया थोक, जनपद गोण्डा में कोई भी चिकित्सक लगभग पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से तैनात नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सीतापुर-लखनऊ राजमार्ग पर सीतापुर जनपद के ग्राम जमैयतपुर में बने हुये ट्रामा सेन्टर को चलाये जाने की मांग

53-श्री राकेश राठौर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर-लखनऊ राजमार्ग पर जनपद सीतापुर के ग्राम जमैयतपुर में विगत 2 वर्षों से बने ट्रामा सेन्टर को क्या सरकार चलायेगी ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद सीतापुर में स्थापित ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 30-12-2016 द्वारा उपकरणों एवं साज-सज्जा तथा शासनादेश दिनांक 01-04-2016 द्वारा मानव संसाधान की स्वीकृति हो चुकी है। ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही निदेशक (भण्डार)/पैरामेडिकल एवं अपर निदेशक (कार्मिक) के स्तर से की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशीर्वाद योजना में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित धनराशि के विवरण की जानकारी

54-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाजहांपुर में आशीर्वाद योजना में जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 01-04-2015 से 01-02-2018 तक कितनी धनराशि किन-किन तिथियों में आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद शाहजहांपुर में आशीर्वाद योजना नाम से कोई योजना नहीं चल रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम में आवंटित धनराशि का विवरण

55-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पल्स पोलियो कार्यक्रम में दिनांक 01-04-2015 से 01-02-2018 तक शासन से कितनी-कितनी धनराशि उपरोक्त वर्षों में कब-कब प्राप्त हुई हैं तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद शाहजहांपुर की सभी सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी को पल्स पोलियो कार्यक्रम में दिनांक 01-04-2015 से दिनांक 01-02-2018 तक वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि रु0 18092580 (एक करोड़ अस्सी लाख बानवे हजार पांच सौ अस्सी), वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रु0 11399229 (एक करोड़ तेरह लाख निनान्वे हजार दो सौ उन्नतीस) एवं दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 01-02-2018 में धनराशि 12950590 (एक करोड़ उन्नतीस लाख पच्चास हजार पांच सौ नब्बे) अर्थात कुल धनराशि रु0 4,24,42,399 (चार करोड़ चौबीस लाख बयालिस हजार तीन सौ निनानवे) उपलब्ध करायी गयी।

मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद शाहजहांपुर द्वारा उक्त अवधि में निम्नलिखित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को आवंटित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

सी0एच0सी0/पी0एच0सी0	धनराशि (रुपये में)
सिधौली	2280300
पुवायों	2194175
बण्डा	2523075
खुटार	1881675
भावलखेडा	2821700
निगोही	2264250
तिलहर	2767300
जैतीपुर	2210850
खुदागंज	2577225
ददरौल	2534475

सी0एच0सी0/पी0एच0सी0	धनराशि (रुपये में)
काठ	2552950
जलालाबाद	3319025
मिजापुर	2230950
कलान	2226675
सिटी शाहजहांपुर	5004724

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में निर्माणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पत्र सं0-3303/पी0ए0/2017-18 के सम्बन्ध में

56-श्री संजय गर्ग-

क्या अल्पसंख्यक कल्यण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, का पत्र संख्या-3303/पी0ए0/2018, दिनांक 14-09-2017 जोकि जनपद सहारनपुर के ब्लाक नकुड़ स्थित ग्राम कपूरी में निर्माणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नाम सेठ छज्जूमल चन्द्रभान गोयल राजकीय इण्टर कालेज, कपूरी रखे जाने विषयक है, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना में डॉ0 हर्ष शर्मा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

57-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना में डॉ0 हर्ष शर्मा, अपर परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0 एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित जायसवाल, एडवोकेट व अन्य निवासी न्यू तिलक नगर, लखनऊ द्वारा आपको प्रेषित पत्र दिनांक 09-08-2017 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जांच करायी जा रहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 शासन द्वारा बनायी गयी असाधारण पेंशन नियमावली में सुधार करने विषयक

58-डॉ0 अरूण कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन द्वारा राज्यकर्मियों के हित में वित्त समान्य अनुभाग-3 द्वारा बनायी गयी असाधारण पेंशन नियमावली जोकि लगभग 37 वर्ष पूर्व बनी भी उसमें सुधार होंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली, 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन असाधारण पेंशन स्वीकृत की जाती है। वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-1863/दस-926-81, दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 तथा अधिसूचना संख्या-सा-3-722/दस-926-81, दिनांक 16 मई, 1983 द्वारा कर्मचारियों के लिए असाधारण पेंशन नियमावली तथा अधिसूचना संख्या-सा-3-722/दस-926-81, दिनांक 16 मई, 1983 द्वारा कर्मचारियोंं के लिए असाधारण पेंशन नियमावली को संशोधित करते हुये अधिक उदार बनाया गया है। इसके उपरान्त शासनादेश संख्या-सा-3-1340/दस-88-916/88, दिनांक 19 अगस्त, 1988 द्वारा असाधारण पेंशन स्वीकृत किये जाने की परिस्थितियों को विस्तीर्ण किया गया जिससे कर्तव्यपालन के दौरान दिवंगत/घायल होने वाले अधिक से अधिक कार्मिकों/उनके आश्रितों को असाधारण पेंशन का लाभ पाप्त हो सके। इस शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1988 के द्वारा अनुग्रह धनराशि में वृद्धि की गयी। शासनादेश संख्या-सा-3-1287/दस-2010, दिनांक 28 जुलाई, 2010 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से अनुग्रह धनराशि में अभूतपूर्व वृद्धि की गयी है। शासनादेश संख्या-38/2016/सा-3-921/दस-2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा अनुग्रह धनराशि में पुनः वृद्धि की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा आवश्यकता असाधारण पेंशन नियमावली में सुधारात्मक संशोधन किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में एन0आर0एच0एम0 योजना में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विभिन्न सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 को आवंटित धनराशि का विवरण

59-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में एन0आर0एच0एम0 योजना में दिनांक 01-04-2015 से 01-02-2018 तक मुख्य चिकित्सा

अधिकारी कार्यालय, शाहजहांपुर को उपरोक्त वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि कब-कब व किन-किन तिथियों में उ0प्र0 शासन तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुयी है तथा जनपद शाहजहांपुर के किस-किस सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 को कितनी-कितनी धनराशि किन-किन तिथियों में आवंटित की गयी है ? क्या सरकार उपरोक्त सभी की गयी आवंटित धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपद शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि रु0 3073.65 लाख, वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रु0 3499.58 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह फरवरी तक धनराशि रु0 3992.69 लाख आवंटित किया गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनपद शाहजहांपुर के सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को आवंटित की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

संलग्नक-1

जिला स्वास्थ्य समिति शाहजहांपुर				
जिला स्वास्थ्य समिति शाहजहांपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में अधीनस्थ इकाइयों को आवंटित धनराशि का विवरण				
क्र0 सं0	प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5
1	बांदा	1,58,03,380.00	1,85,36,999.00	1,11,05,850.00
2	भावलखेडा	1,26,30,787.00	1,26,79,245.00	1,09,51,370.00
3	डडरोल	1,11,58,908.00	1,04,24,291.00	91,70,555.00
4	जैतीपुर	1,17,41,457.00	1,02,99,337.00	87,77,630.00
5	जलालाबाद	1,87,31,816.00	1,87,22,742.00	1,42,11,175.00
6	कल्लन	1,11,26,646.00	1,03,42,334.00	80,14,681.00
7	कन्ठ	1,41,43,226.00	1,25,82,286.00	86,56,127.00
8	खुदागंज	1,38,45,802.00	1,24,51,442.00	1,11,00,199.00
9	खुट्टर	1,01,00,120.00	91,16,238.00	78,82,525.00

1	2	3	4	5
10	मदनपुर	--	43,97,226.00	1,12,98,025.00
11	मिर्जापुर	1,14,87,140.00	92,15,537.00	90,98,645.00
12	निगोही	1,47,97,316.00	1,39,96,853.00	96,87,279.00
13	पुवायां	1,40,64,185.00	1,19,81,152.00	84,78,330.00
14	सिन्धौली	1,14,62,616.00	1,02,51,312.00	94,25,760.00
15	तिलहर	1,54,87,313.00	1,42,57,175.00	1,11,69,030.00
कुल धनराशि		**18,65,80,712.00**	**17,92,54,169.00**	**14,90,27,181.00**

जनपद शाहजहांपुर में 36 स्टॉफ नर्सों एवं संविदा ए0एन0एम0 नियुक्ति प्रक्रिया की जांच सम्बन्धी

60-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 28-08-2015 से 36 स्टॉफ नर्स (डिलीवरी प्वाइंट) तथा 119 ए0एन0एम0 संविदा पर रखी गयी हैं ? क्या सरकार को उक्त नियुक्ति में व्यापक स्तर पर हुये घोटाले की जानकारी/शिकायत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी क्लीनिकों एवं अस्पतालों की मनमानी तथा ज्यादा पैसे वसूलने पर रोक लगाने की मांग

61-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी क्लीनिकों तथा अस्पतालों में भी केन्द्र सरकार द्वारा पारित क्लीनिकल स्टेबलिस्मेन्ट कानून सरकार लागू किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में स्थित जिला महिला चिकित्सालय का पूर्वी गेट बन्द होने से उत्पन्न जाम की समस्या के सम्बन्ध में

62-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ शहर के मुहल्लों मातबर स्थित जिला महिला चिकित्सालय का पूर्वी गेट बन्द होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी तथा एम्बुलेंस के प्रवेश पर प्रतिबन्ध है, पश्चिमी गेट पर स्थायी रूप से जाम की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वी गेट को खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां, पूर्वी गेट बन्द रहता है।

''जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ शहर के मध्य स्थित है, जिसके दो साइड से सड़कें गुजरती हैं। दोनों सड़कों पर एक-एक गेट बना है। वर्तमान समय में मुख्य सड़क का गेट (पश्चिम) अनवरत खुला रहता है।'' पूर्वी गेट खोलने पर वह आम रास्ते में तब्दील हो जाता है, दो पहिया वाहन, टैम्पो एवं रिक्शा इत्यादि के प्रवेश से न सिर्फ हास्पिटल का कार्य बाधित होता है। बल्कि पूर्व में कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। अतः समुचित इलाज व सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनहित में बन्द कर दिया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जी0एस0टी0 काउन्सिल में विधायक निधि से जी0एस0टी0 हटाये जाने की मांग

63-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षेत्रीय विकास निधि से कराये जा रहें कार्यों पर जी0एस0टी0 लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जी0एस0टी0 काउन्सिल में क्षेत्रीय विकास निधि से जी0एस0टी0 हटाये जाने का अनुरोध करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री योगी आदित्यानाथ)-

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत वस्तुओं या सेवाओं अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई पर जी0एस0टी0 की देयता निर्धारित की गयी है, क्षेत्रीय विकास निधि द्वारा कराये जा रहे कार्य

की प्रकृति पर जी0एस0टी0 की देयता निर्भर करती है। यदि क्षेत्रीय विकास निधि से कराये जा रहे किसी विशिष्ट कार्य को किसी विज्ञप्ति से करमुक्त नहीं किया गया है तो ऐसे कार्य पर जी0एस0टी0 की देयता है। पूर्व में भी इस कार्यों में अंतरित वस्तुओं पर वैट एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की देयता थी। अतः इन्हें जी0एस0टी0 में करमुक्त किये जाने का औचित्य नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आप सभी लोग बैठ जाएं, अब हम नियम-301 ले रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, राजभर जी का औचित्य का प्रश्न है, इसलिए इनको सुन लें।

आज की कार्य-सूची के आतारांकित प्रश्न सं0-61 का उत्तर शासन द्वारा विरोधाभासी होने पर प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आज की कार्य-सूची में क्रम संख्या-61 पर हमारा एक अतारांकित प्रश्न लगा है। इसमें मैंने मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा था कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी क्लीनिकों तथा अस्पतालों में भी केन्द्र सरकार द्वारा पारित क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट कानून सरकार द्वारा लागू किये जाने पर विचार करेगी ? आपने उत्तर में कहा है कि जी हां। मेरा मतलब है कि प्रश्नों को वर्गीकृत करने का अधिकार आपको है इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जिस वर्ग में ले जाना चाहें, ले जाएं। एक विषय मैंने पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ उठाया था, दुर्भाग्य से वह अतारांकित हो गया लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न के पहले भाग में सरकार ने कहा कि जी हां सरकार उस पर विचार करेगी और इसी का दूसरा अंश हमने पूछा कि यदि हां तो कब ? इस पर मंत्री जी टाइट हो गये उन्होंने कहा कि प्रश्न नहीं उठता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी हां लागू करेंगे और दूसरा जो पूछा गया कि कब तक तो आपने कह दिया कि कोई सवाल ही नहीं उठता है कि लागू किया जाय। इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रश्न ही नहीं उठ रहा है जबकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उसको लागू करेंगे। मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि प्रश्नों की ग्रैविटी को इतना न गिराया जाय। अधिकारीगण किस तरह से उलूल-जुलूल जवाब दे रहे हैं, एक तरफ तो मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम लागू करेंगे दूसरी तरफ आपने कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता है कि इसको लागू करें। मेरा इस पर दुःख के साथ कहना है कि वर्गीकृत हुआ, अतारांकित आ गया इस पर हम आपत्ति नहीं करते लेकिन यह तारांकित लायक प्रश्न था, उत्तर प्रदेश से नीतिगत जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन

जहां एक उत्तर आ गया कि मा0 मंत्री जी ने एडमिट किया कि मैं इसको लागू करूंगा, फिर मैंने इसमें पूछा कि कब तक तो आपने कह दिया कि नहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। मा0 मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें लेकिन मेरा विचार है कि आप इतना ही कह देते कि उपरोक्तानुसार, शीघ्रातिशीघ्र तो एक सन्तुष्टि मिलती लेकिन आप सीधे कह दिये कि प्रश्न ही नहीं उठता है। मान्यवर, प्रश्नों की ग्रैविटी आपके हाथ में है, अधिकारी नींद में रहते हैं जब सो कर उठते हैं तो उत्तर लिख देते हैं। मैं सभी मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बहुत डिफेन्सिव न बनें अधिकारियों के प्रति, यदि उत्तर गलत आ रहे हैं तो आप यहीं पर ऐक्शन लें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मा0 मंत्री जी को सुन लें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

आप हम लोगों के वरिष्ठ सदस्य हैं, पीठ पर बैठ भी चुके हैं तो मैं उनकी बात का ध्यान भी रखूंगा लेकिन जो प्रश्न का उत्तर है। उसके अन्दर फिर से देखें कि यह जो क्लीनिकल एक्ट है, इसी सदन के अन्दर पास भी हुआ है। तो उसको लागू करने न करने का प्रश्न ही नहीं है, तो हम लोग इसको लागू भी कर रहे हैं, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता है। हम तो कह रहे हैं कि प्रश्न उठता है। हम लोग इसको लागू करेंगे और यह जो आपका प्रश्न है इसे देख कर हम लोग इसको लागू करेंगे। क्योंकि ये कहीं तारांकित होता तो विषय लम्बा हो सकता था। प्रश्न पर उत्तर देता, अनुपूरक देता आप लोगों को। क्लीनिकल इस्टेबलिस एक्ट के अन्दर कुछ चीजें हैं उनके साथ जो एक दफे हो सकता है। जो आय में हैं, उन लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद आप लोगों के बीच में फिर से लेकर आएंगे। जिसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता हो, तो आप लोग उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभी कुछ बचा हुआ है वर्मा जी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर आप भी प्रश्न देख लें कि उससे उसका सम्बन्ध नहीं है, जो गलत प्रश्न-उत्तर दिया गया है, यह उससे सम्बन्धित है आप देख लें। जब लागू करेंगे, तो केवल प्रश्न ही नहीं उठता, कहां आ गया ?

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, हो गयी आपकी बात। अब मैं नियम-301 पढ़ लेता हूं।

आज नियम-301 की कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। सामान्यतः 20 सूचनाएं ली जाती थीं, आज हमने 25 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार कर ली हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमांगत)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 पढ़ लेता हूं।

आज नियम-301 की कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। सामान्यतः 20 सूचनाएं ली जाती थीं, आज हमने 25 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार कर ली हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, संजय जायसवाल जी तो आज हैं ही नहीं। तो उनका 301 कैसे ले लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए तो फिर हाजिरी लेनी पड़ेगी। अगर सब लोग कहें तो हाजिरी करवा लूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, हाजिरी मत लीजिए। अन्तिम दो दिन सदन है इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने नियम-301 व नियम-51 की सूचनाएं दी हैं, उन सभी की स्वीकार कर लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-301 में तो केवल हाजिरी होती है, लेकिन सभी सूचनाएं स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम सारी सूचनाएं स्वीकार करते हैं।

पहली सूचना डॉ0 विमलेश पासवान की-जनपद गोरखपुर के कस्बा कौड़ीराम के चुंगी के पास खाली पड़ी जमीन पर शुलभ शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री रवि शर्मा की-जनपद झांसी के औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में घड़ी साबुन फैक्ट्री को पीने योग्य पानी की सप्लाई औद्योगिक उपयोग में रोके जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की-जनपद पीलीभीत के कतिपय नदियों एवं नहरों की शिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री केसर सिंह की-जनपद बरेली के वि0स0 क्षेत्र नवाबगंज के हाफिजगंज बाया सेंथल-जादोंपुर मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की-जनपद गोण्डा के मसकनवा बाजार में नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद में शादी-विवाह हेतु सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की-जनपद जालौन के वि0स0 क्षेत्र माधौगढ़ के कतिपय फीडर पर कम वोल्टेज से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्रा की-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत दीनदयाल नगर रेलवे लाइन के

12 नम्बर फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की-प्रदेश में पोस्टमार्टम की सभी प्रक्रिया ऑन-लाइन कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की-जनपद सिद्धार्थनगर के वि0स0 क्षेत्र इटवा के विकास खण्ड खुनियाव के पचमोहनी में जू0हा0 स्कूल को उच्चीकरण कर इण्टर स्तर तक करने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' की-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के अन्तर्गत समसीपुर घाट में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की-जनपद कानपुर नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र के जरनलगंज एवं कलेक्टरगंज के बाजार में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की-मध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद द्वारा सन् 2013 एवं 2015 में प्रधानाचार्यों को विज्ञापन के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की-मण्डी परिषद् में समूह 'क' एवं 'ख' पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की-जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की-जनपद सीतापुर के वि0स0 क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की-जो जनपद इटावा के इटावा सफारी पार्क में बब्बर शेर मंगाये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की-जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना के कतिपय ग्रामों के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री उमेश मलिक की-जनपद मुजफ्फनगर के ब्लाक शाहपुर के ग्राम सोहजनी तगान में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की-जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र खड्डा में पं0 दीन दयाल उपाध्याय में 50 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की-उ0प्र0 के गरीब किसानों की फसल को आवारा और छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर पशुशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की-उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायवाल की-मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना की स्वीकृति हेतु जिले पर लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण के सम्बन्ध में है। चौबीसवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की-जनपद सहारनपुर के नगर पालिका गंगोह से लखनौती की ओर जाने वाले नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में आवंटियों को आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की-जनपद मेरठ के कतिपय मोहल्लों में जलभराव के निस्तारण के सम्बन्ध में है। सत्ताइसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की-जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड बरांव को क्रियाशील बनाने के सम्बन्ध में हैं। अट्ठाइसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की-जनपद सहारनपुर के

पिलखनी रजबाहे पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्तीसवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत बरवटा बन्धी की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है। तीसवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इकत्तीसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की-जनपद कुशीनगर के ए0पी0 तटबन्ध एवं अमवाखास तटबन्ध पर स्वीकृत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। बत्तीसवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की-जनपद सुल्तानपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम बनौरा के शाखा सहायक की शाखा खण्ड 16 नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद गोरखपुर के कस्बा कोड़ीराम के चुंगी के पास खाली पड़ी जमीन पर शुलभ शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विमलेश पासवान-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बासगांव के कस्बा कौड़ीराम में कोई शुलभ शौचालय नहीं है। कस्बा कौड़ीराम से होते हुये एन0एच0-29 जाने वाले मार्ग पर कस्बे के चौराहे पर प्रतिदिन घन्टों जाम लगता है। ऐसी स्थिति में आमजन विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चियों को शौचालय न होने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में कौड़ीराम कस्बे में चुंगी के पास खाली पड़ी जमीन पर शौचालय का निर्माण कराकर समस्या का निदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसकी मांग भी जनता द्वारा की जाती रही है परन्तु कोई कार्यवाही न होने से जनता मैं निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कौड़ीराम कस्बे के चुंगी के पास खाली पड़ी जमीन पर शौचालय बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-झांसी के औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में घड़ी साबुन फैक्ट्री को पीने योग्य पानी की सप्लाई औद्योगिक उपयोग में रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद झांसी के औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में घड़ी साबुन फैक्ट्री को अलग से पाइप लाइन डाल कर झांसी शहर को पेयजल आपूर्ति वाली लाइन से जोड़ कर पीने योग्य पानी का औद्योगिक उपयोग किया जा रहा है। जबकि झांसी शहर पेयजल की भीषण समस्या से जूझ रहा है। पानी को पीने योग्य बनाने के लिये सरकार का करोड़ों रुपये खर्च होता है और उसका औद्योगिक उपयोग साबुन बनाने के लिये किये जाना

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

झांसी के आमजनों के साथ सर्वथा अन्याय है। कृपया पेयजल की औद्योगिक प्रयोग के लिये आपूर्ति अविलम्ब रोकी जानी चाहिये तथा इसमें लिप्त अधिकारियों की जांच कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के कतिपय नदियों एवं नहरों की सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, उ0प्र0 का जनपद पीलीभीत तराई का प्रथम परिक्षेत्र है जहां कि नदियों एवं नहरों का जाल बिछा हुआ है। दुर्भाग्य है कि नदियों एवं नहरों में सिल्ट सफाई के अभाव में नहरों में जहां एक ओर छोर तक पानी नहीं जा रहा है यहीं गोमती नदी, दियोहा नदी, खन्नौत नदी, कटना नदी, अमेड़ी नदी एवं रपटुआ नदी आदि-आदि का अस्तित्व ही समाप्ति की ओर है। नदियों तथा नहरों को पाट कर उन पर खेती कराना, निर्माण कर लेना, पशु बांधना, घूरा डालना, कण्डे उपले बनाना अथवा भिन्न उपयोग में लिया जा रहा है। नदियों तथा नहरों की सिल्ट सफाई का विगत दिनों मुख्य अभियन्ता के भ्रमण उपरान्त लिया गया तथा कार्य योजना तैयार की गयी क्योंकि यह पाया गया कि शारदा नहर प्रखण्ड की निगोही शाखा नहर में बीसियों वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। विशेष रूप से गोमती नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। इसलिये नदियों तथा नहरों की सफाई होना नितान्त अपरिहार्य है। विशेष रूप से विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर में नहरों तथा नदियों की सिल्ट सफाई अपेक्षित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त अपेक्षित कार्य करवाये जाने की कार्रवाई करने की कृपा की जाये।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में हाफिजगंज बाया सेंथल-जादोंपुर मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केसर सिंह-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में हाफिजगंज बाया सेंथल-जादोंपुर मार्ग के चौड़ीकरण की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवगत कराना है कि जनपद बरेली के 121, नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र वि0ख0 नवाबगंज के अन्तर्गत हाफिजगंज बाया सेंथल-जादोंपुर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 17 कि0मी0 है। यह मार्ग बरेली-नैनीताल मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग बरेली-पीलीभीत को जोड़ता है। उपरोक्त मार्ग जर्जर, संकरा होने के कारण आये दिन अप्रिय घटनायें होती रहती हैं व कृषकों को कृषि कार्य में उपयुक्त उपकरणों को लाने ले जाने व गन्ना आदि की भरी हुई ट्रालियों को ले जाने में बड़ा खतरा बना रहता है व क्षेत्र की जनता को आवागमन में भी दुर्घटनाओं के चलते काफी कठिनाइयां हो रही हैं। कृषकों व क्षेत्रवासियों को 17 कि0मी0 की बजाये 50 कि0मी0 का चक्कर काटना पड़ता है, जिससे राजस्व की हानि व समय ज्यादा खराब होता है। मेरे द्वारा कई बार शासन व प्रशासन लिखित एवं मौखिक शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अतः जनहित में उपरोक्त मार्ग का चौड़ीकरण अथवा दोनों तरफ एक मीटर ऐजिंग लगाया जाना अति आवश्यक है।

अतः 301 में लोक महत्व, अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा को मसकनवां बाजार में नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 301, गौरा जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मसकनवां बाजार में नवीन सब्जी मण्डी स्थापित है, क्षेत्र के किसानों तथा व्यापारियों को काफी परेशानी होती है। मेरा क्षेत्र दो मण्डी समितियों में बंटा हुआ है। इसलिये जनहित में नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत कराते हुये गल्ला मण्डी भी बनाया जाय, ताकि खाद्यान्न/गल्ले का उचित मूल्य किसानों/व्यापारियों को मिल सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत करते हुये गल्ला मण्डी भी बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद में शादी, विवाह हेतु सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के नगर सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर की आबादी लगभग 1.5 लाख है, लेकिन यहां के निवासियों को शादी-विवाह आदि कार्यक्रमों को

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्पन्न करने हेतु कोई सामुदायिक केन्द्र आदि सार्वजनिक स्थल उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त शहर के युवाओं को व्यायाम तथा खेलकूद आदि के अभ्यास हेतु आडिटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सामुदायिक केन्द्र न होने के कारण गरीब लोगों को अपने मांगलिक कार्यक्रम सम्पन्न करने हेतु भारी धन खर्च करना पड़ता है तथा युवाओं को आडिटोरियम न होने के कारण अभ्यास करने हेतु असुविधा का सामना करना पड़ता है। जनहित में सिकन्द्राबाद नगर में एक सामुदायिक केन्द्र तथा आडिटोरियम का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये शहर के अन्दर मुख्य मार्ग पर विकास खण्ड कार्यालय के समीप सामुदायिक केन्द्र तथा आडिटोरियम केन्द्र बनाने हेतु भूमि उपलब्ध है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के कतिपय फीडर पर कम वोल्टेज से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूलचन्द्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 219, माधौगढ़ जनपद-जालौन के अन्तर्गत कुठौंद, बहादुर, रेढर फीडर पर कम वोल्टेज की समस्या के कारण किसानों के नलकूप नहीं चल पा रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं, यदि एक सप्ताह में वोल्टेज नहीं मिला तो फसलें नष्ट हो जायेंगी। जनहित में वोल्टेज बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वोल्टेज बढ़ाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत दीनदयाल नगर रेलवे लाइन के 12 नम्बर फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्रा-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत प्रयाग (इलाहाबाद)-दीनदयाल नगर रेलवे लाइन के 12 नम्बर फाटक पर बहुत जाम रहता है। चूंकि इस रेलवे रूट पर ट्रेनों की संख्या बहुत अधिक है, जिस कारण अधिकतम समय फाटक बन्द रहता है और जनता जाम की समस्या से जूझती रहती है। इस रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में पोस्टमार्टम की सभी प्रक्रिया आनलाइन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में पोस्टमार्टम की व्यवस्था बहुत जटिल है। पुलिसकर्मियों को पोस्टमार्टम होने से पूर्व पंचनामा भरने के बाद पुलिस लाइन एवं जिला अस्पताल जाना पड़ता है। उसके बाद वह पोस्टमार्टम गृह पर वह कागज लेकर आते हैं, जिसमें लम्बा समय लग जाता है और सामान्यतः सायं पांच बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, जिससे पीड़ित परिवार को बहुत कष्ट होता है। आजकल डिजिटल युग है। अतः एक स्थान से ही सभी प्रक्रियायें आनलाइन की जा सकती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के विकास खण्ड खुनियांव के पचमोहनी में जू0 हाई स्कूल का उच्चीकरण कर इण्टर स्तर तक करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[महोदय, मेरे विधान सभा, इटवा जनपद सिद्धार्थनगर, के विकास खण्ड खुनियांव के अन्तर्गत ग्राम सभा पचमोहनी में स्थित जू0 हा0 स्कूल का उच्चीकरण इण्टर स्तर तक किया जाना जनहित में आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र के सैकड़ों गांव के कोई इण्टर कालेज नहीं होने के कारण उस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को इण्टर तक की शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही हैं। अधिकतर गरीब छात्र-छात्रायें इण्टर की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे है। काफी समय से क्षेत्र की जनता द्वारा इसकी मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से जनता में निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये ग्राम सभा पचमोहनी में स्थित जू0 हा0 स्कूल को उच्चीकरण कर इण्टर कालेज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के अन्तर्गत समशीपुर घाट में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिंस''-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड कलान के समशीपुर घाट पर पुल का निर्माण न होने से परौर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय पर पहुंचने के लिये 85 कि0मी0 दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे उन्हें काफी असुविधा हो रही है। समशीपुर घाट पर पुल का निर्माण हो जाने से उक्त क्षेत्रवासियों को मात्र 50 कि0मी0 दूरी तय करनी पड़ेगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-कानपुर नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र के जरनलगंज एवं कलेक्टरगंज के बाजार में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेयी-

[महोदय, आपक माध्यम सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। कानपुर नगर के मुख्या बाजार क्षेत्र के बाजार जरनलगंज वार्ड (104) व कलेक्टरगंज (106) में व्याप्त भीषण जल संकट की ओर आकृष्ट कराने के सम्बन्ध में है। उक्त दोनों वार्ड कानपुर नगर के ऐतिहासिक रिहायसी एवं व्यवसायिक क्षेत्र हैं। जिसमें कपड़े, किराने, सर्राफा, गल्ला, बिजली उपकरण आदि की मुख्य उपकरण एवं अत्यन्त घनी बस्ती है।

उक्त क्षेत्र में पेयजल लाइन अत्यधिक जर्जर है जिससे जलापूर्ति दूषित है व नियमित नहीं हो पाती है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल उक्त वार्डो में नई लाइनें डलवाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं।]

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद द्वारा सन् 2013 एवं 2015 में प्रधानाचार्यों के विज्ञापन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ऐलनगंज, इलाहाबाद द्वारा सन् 2011 में दिनांक 02-07-2011 के प्रधानाचार्यों के 930 (नौ सौ तीस) पदों का विज्ञापन हुआ था जो निम्नवत् हैं :- माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा दिनांक 02-07-2011 को संस्था प्रधान (प्रधानाचार्यों) के 930 पदों का विज्ञापन निकाला गया जिसके फार्म भरने की अन्तिम तिथि 01-08-2011 थी और साक्षात्कार सन् 2015 में हुआ लेकिन आज तक परिणाम घोषित नहीं हुआ जिसमें वरिष्ठ एवं आयु पूर्ण करने वाले काफी शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी क्रम में सन् 2013 में प्रधानाचार्यों के 650 पद के रिक्ति का विज्ञापन निकाला गया जिसके साक्षात्कार की कोई तिथि

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आज तक निर्धारित नहीं की जा रही है जिससे माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उपरोक्त 1580 प्रधानाचार्यों के पदों के अलावा वर्ष 2013 के बाद हजारों पद रिक्त हुये हैं।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

मण्डी परिषद् में समूह ''क'' एवं ''ख'' के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्तमान सरकार द्वारा सभी विभागों में भर्ती वर्ष 2017-18 में दिनांक 30-06-2018 तक की रिक्तियों का आगणन कर उन पर पदोन्नति प्राथमिकता पर कराने की कार्यवाही की जा रही है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि मण्डी परिषद् के पत्र संख्या-140 दिनांक 31-01-2018 द्वारा 02 संवर्गों एवं पत्र संख्या-367 दिनांक 06-03-2018 द्वारा **समूह ''क'' एवं ''ख'' के 12 संवर्गों** में पदोन्नति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 05-03-2018 द्वारा सभी विभागों में पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 02-04-2018 तक पूर्ण कर अवगत कराने के निर्देश भी निर्गत हैं। उपरोक्त के बावजूद भी अभी तक मण्डी परिषद् में **समूह ''क'' एवं ''ख''** के उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गयी है जिससे ऐसा लगता है कि शासन के अधिकारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में रुचि नहीं ले रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। उ0प्र0 के चिकित्सालयों में कुत्ते के काटने का इन्जेक्शन व दवायें उपलब्ध नहीं हैं जिससे आम जनता परेशान है। जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में काफी दिनों से कुत्ते काटने का इन्जेक्शन का अभाव है, दवायें भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। जांच के लिये भी स्टाफ की कमी है, गरीब लोग जिला अस्पताल जाते हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तत्कालल कुत्ते के काटने का इन्जेक्शन की व्यवस्था की जाय और प्रर्याप्त मात्रा में दवायें भी उपलब्ध करायी जायें एवं जांच की मशीनों को ठीक कराया जाय, स्टाफ की कमी को दूर किया जाय, यह जनहित से जुड़ा विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पंतेपुर नहर पुल से किसवारा तक डामर रोड की स्वीकृति हो गयी थी, टेण्डर हो गया व स्वीकृति के सापेक्ष कार्य भी हो गया है शेष धनराशि रुकने के कारण काम बन्द पड़ा है सड़क काफी खराब है। जिससे आम जनता को व वाहनों को चलने में परेशानी हो रही है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है और असन्तोष भी व्याप्त है। जनहित में अवशेष राशि उपलब्ध कराये जाने की मांग जनता द्वारा की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये अवशेष राशि को उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा के इटावा सफारी पार्क में बब्बर शेर मंगाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरिता भदौरिया-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इटावा में बनाये गये इटावा सफारी पार्क, पूर्ववती सरकार द्वारा बहुत बड़ी धनराशि लगा कर बनाया गया है, परन्तु अभी तक यह पर्यटन की दृष्टि से पूर्ण नहीं हो सका। इटावा सफारी में बब्बर शेरों की अति आवश्यकता है जो गुजरात सरकार से अभी तक नहीं मंगाये हैं। उक्त सरकार में हुये भ्रष्टाचार के कारण अभी तक उद्देश्यों की पूर्ति न होने से इसका लाभ पर्यटन की दृष्टि से नहीं मिल पा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से बनाये इस लायन सफारी पार्क में बब्बर शेरों को मंगाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु बब्बर शेरों को मंगाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना को कतिपय ग्रामों के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के गांव खटाई, आलमपुर गंगा, नंगलारलाम, विरदोनंगली एवं रायपुर मौजमपुर नारायण में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक के अतिभारित होने के कारण नये 100 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित करने एवं ग्राम भनेडा में स्थापित 160 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने के कारण नया 200 के0वी0ए0 स्थापित करने के सम्बन्ध में है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये नया 100 एवं 200 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक शाहपुर के ग्राम सोहजनी तगान में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक-

[महोदय, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शाहपुर ब्लाक के ग्राम सोहजनी तगान की आबादी दस हजार से अधिक है क्षेत्र पूर्णत ग्रामीण, किसान बाहुल्य तथा अत्यन्त पिछड़ा है। यहां पर पेयजल दूषित है जिस कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा नाले के ऊपर पुल ना होने के कारण बहुत दूर से घूम कर आना पड़ता है प्रतिदिन कई किलोमीटर चलना पड़ता है।

ग्रामवासी अत्यन्त परेशान रहते हैं, क्षेत्रवासियों द्वारा अनेकों बार मुझे इस समस्या से अवगत कराया गया है क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी विधान सभा के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता रहूं। यह अत्यन्त विकट समस्या है इसका निवारण अत्यन्त आवश्यक हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त प्रकरण में, जनहित में नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र खड्डा में पं0 दीन दयाल उपाध्याय के नाम 50 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटा शंकर त्रिपाठी-

[महोदय, खड्डा विधान सभा क्षेत्र में पं0 दीनदयाल उपाध्याय 50 बेड के अत्याधुनिक सुविधा से युक्त सरकारी अस्पताल की स्थापना कराये जाने के लिये विगत कई आग्रह एवं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निवेदन किया गया है, खड्डा विधान सभा क्षेत्र जोकि अति पिछड़ा, गरीब, मुसहर, अनुसूचित जनजाति, राजभर, बंजारा, वनटांगिया परिवार के लोग रहते हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र नारायणी नदी के तट पर बसा क्षेत्र है। स्वास्थ्य की स्थिति काफी दयनीय है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र की जनता के लिये स्वास्थ्य सेवा को शुलभ बनाया जा सके। 50 बेड के अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें एवं संचालित स्वास्थ्य केन्द्र संसाधन से परिपूर्ण कराये जायें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 के गरीब किसानों की फसल को आवारा और छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर पशुशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[महोदय, सदन के माध्यम से सादर अवगत कराना है कि उ0प्र0 कृषि प्रधान राज्य है जिसमें अधिकांश लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। आज उ0प्र0 में आवारा पशुओं के कारण क्षेत्र के किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। हर किसान को अपनी फसल की सुरक्षा के लिये अपने खेत में कंटीला तार लगवाना पड़ रहा है जो सभी किसानों के बजट में नहीं है जिसके कारण उनकी फसल आवारा पशुओं तथा छुट्टा पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जा रही है। किसान गरीब परिवार बहुत बड़ी समस्या से पीड़ित है कि वह इन पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा कैसे करे अगर फसल नहीं बचेगी तो किसान परिवारों का कर्ज निरन्तर बढ़ता जायेगा किसान गरीबी के दल-दल में फंसता चला जायेगा फसल बर्बाद होने से गरीब किसानों की उपज घटेगी और गरीब किसान परिवार खेती छोड़ कर मजदूरी करने के लिये बाध्य होगा। सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि उ0प्र0 में ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर चारागाह की सुरक्षित भूमि पर पशुशाला बनवाकर किसानों की फसल की सुरक्षा हेतु कार्य कराने का कार्य करें जिससे किसान परिवारों को न्याय मिल सके और उनकी फसल को सुरक्षा।]

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के रूप में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा सन् 1965 से संचालित है। जो प्रदेश में 18 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों, सेवा निवृत्त कर्मियों व मृतक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आश्रितों को दैनिक उपभोग वस्तुएं सस्ती दरों पर वैट मुक्त तथा बिना लाभ हानि के उपलब्ध कराती आ रही थी। इतना ही नहीं निगम ने समय-समय पर बाजार में आवश्यक वस्तुओं के अचानक मूल्य वृद्धि होने की दशा में अपने संचालित 160 डिपो तथा 21 फेमिली बाजारों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को सरकार की मंशा के अनुरूप सस्ती दरों पर विक्री कर बाजार दरों के मूल्य नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाती आयी है। 01 जुलाई, 2017 से भारत सरकार ने वैट के स्थान पर जी0एस0टी0 लगाये जाने के बाद तथा निगम को अभी तक जी0एस0टी0 से छूट न मिल पाने के कारण निगम के व्यापार में 80 से 90 प्रतिशत की गिरावट आ गयी है, जिससे निगम कर्मियों को विक्री उपरान्त मिलने वाले लाभांश से वेतन मिलना बन्द हो गया है। अद्यतन स्थिति यह है कि माह जुलाई, 2017 से अब तक निगम कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। निगम में 823 कर्मचारी भुखमरी की कगार पर है। उ0प्र0 सरकार से वेतन के मद में धनराशि बजट के माध्यम से दिलाने की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये इन निगम के कर्मचारियों को वेतन दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 को क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना की स्वीकृति हेतु जिले पर लम्बित पत्रावलीयों के निस्तारण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, संप्रग शासन काल में जोर शोर से शुरू की गई मनरेगा योजना में श्रमिकों को साल में 100 दिन का रोजगार दिये जाने का प्राविधान किया गया था, लेकिन प्राविधानों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन न किये जाने के कारण रोजगार के लिये श्रमिक रोजी-रोटी के लिये बाहर जाने के लिये विवश है। सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि गांव के बेरोजगारों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर न जाना पड़े तथा उन्हें साल में कम से कम 100 दिन गांव में ही रोजगार मिल सके। योजना को लेकर श्रमिकों में काफी आकर्षण भी देखा गया था।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य इस योजना की गाइड लाइन के अनुरूप कराये जाने चाहिये, जिसका बस्ती जनपद में अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में बस्ती जनपद में उक्त योजना के अन्तर्गत सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कराया जा रहा है, जबकि उक्त कार्य से कम से कम 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत स्तर, 30 प्रतिशत कार्य क्षेत्र पंचायत स्तर, 15 प्रतिशत कार्य जिला पंचायत स्तर तथा 5 प्रतिशत कार्य अन्य विभाग द्वारा कराया जाना चाहिये। उक्त का अनुपालन करते हुये इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव (कार्य योजना) जो कि जनपद स्तर पर लम्बित

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं को तत्काल प्रभाव से जनहित में स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है। योजना का सफल क्रियान्वयन न होने के कारण श्रमिकों में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के नगर पालिका गंगोह से लखनौती की ओर जाने वाले नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[महोदय, जनपद-सहारनपुर के अन्तर्गत गंगोह विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका गंगोह में पानी का निकास न होने के कारण कस्बावासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में और अत्यधिक समस्या बन जाती है, जिससे कस्बावासियों के घरों में पानी तक भर जाता है। इस कारण आमजन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। अतः गंगोह से लखनौती की ओर जाने वाले नाले का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में आवंटियों को आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभिजीत सिंह सांगा-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की वृन्दावन योजना, लखनऊ के ग्रुप हाउसिंग भू-खण्ड पर स्थापित प्रोजेक्ट एल्डिको सौभाग्यम द्वारा वर्ष 2011 में फ्लैट बुक करके आवंटियों से पूरी धनराशि जमा कराने के पांच वर्ष बाद आवंटियों से एग्रीमेन्ट के विपरीत जाकर लाखों रुपये की धनराशि की मांग की जा रही है। कानपुर निवासिनी श्रीमती मिथिलेश कुमारी द्वारा वर्ष 2011 में फ्लैट बुक कराया गया था तथा समस्त धनराशि ससमय जमा कर दी गई थी। एल्डिको द्वारा वर्ष 2016 में आवास विकास परिषद् के वास्तु खण्ड से मानचित्र संशोधित कराया गया जिसमें आवंटी के क्षेत्रफल में किसी प्रकार की वृद्धि न होने पर भी कई मदों में मनमानी धनराशि की मांग की जा रही है। किसी भी डेवलपर को यू0पी0 अपार्टमेन्ट ऐक्ट, 2010 के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डिक्लेरेशन फार्म-ए में उल्लिखित फ्लैट संख्या के सापेक्ष घोषित क्षेत्रफल को ही आवंटन किये जाने का अधिकार है किन्तु डेवलपर द्वारा प्राइवेट लान के नाम पर आवंटी से जबर्दस्ती वसूले गये 203750 रुपये एवं उस पर सात वर्षों के देय ब्याज की वापसी नहीं की जा रही है। मानचित्र संशोधन में उपभोक्ता के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि न होने के बावजूद 24 स्क्वायर फिट एरिया कथित रूप से बढ़ा बताकर 56400 रुपये की मांग की जा रही है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाकर ओपेन पार्किंग के नाम पर एक लाख रुपये की मांग की जा रही है। डेवलपर द्वारा अनावश्यक रूप से धनराशि आरोपित करके विवाद खड़ा किया गया और कब्जा नहीं दिया जा रहा है इसके बावजूद लगभग 35000 रिकरिंग मेन्टीनेंस की मांग की जा रही है। डेवलपर शासन से निर्धारित एक प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क के स्थान पर पांच-छः परसेन्ट हस्तान्तरण शुल्क की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार डेवलपर द्वारा उपभोक्ता से कब्जा देने के नाम पर लगभग पांच लाख रुपये मांगकर उत्पीड़न किया जा रहा है। आवास विकास परिषद् के वास्तु खण्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में की गई जांच में पुष्टि हो चुकी है कि बिल्डर उपभोक्ता से डिक्लेरेशन फार्म-ए में उल्लिखित घोषित क्षेत्रफल को ही आवंटित करने का अधिकार रखता है तथा मानचित्र के संशोधित होने से उपभोक्ता के घोषित क्षेत्रफल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा कड़े दिशा-निर्देश जारी न होने के कारण बिल्डर द्वारा आवंटी पर आरोपित धनराशि निरस्त नहीं की जा रही है और न ही कब्जा दिया जा रहा है।

अतएव मैं जनहित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के उक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ को कतिपय मोहल्लों में जलभराव के निस्तारण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरठ नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र मोहल्ला गोला कुआं, इस्लामाबाद, प्रहलाद नगर, राम नगर में पिछले काफी समय से जलभराव की भयंकर समस्या है, बरसात में बारिश बन्द होने के 8-10 घण्टे बाद तक की यहां के पानी की निकासी नहीं होती है। 2-3 फिट पानी भर जाता है। जिससे स्थानीय लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा इस समस्या का निस्तारण बड़ी सीवर लाइन डालकर होगा।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से उचित कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत नव सृजित विकास खण्ड बरांव को क्रियाशील बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद इलाहाबाद में 20 विकास खण्ड थे लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने 21वां विकास खण्ड बरांव ब्लाक को बनाया था, लेकिन आज तक उक्त विकास खण्ड को क्रियाशील, वर्तमान सरकार के उदासीन रवैये के कारण नहीं किया जा सका है।

नव सृजित विकास खण्ड बरांव का गठन विकास खण्ड करछना, विकास खण्ड कौंधियारा को काट कर बनाया गया था जोकि भौगोलिक एवं आबादी के हिसाब से बहुत बड़े थे एवं अति पिछड़े होने के वजह से प्रशासनिक सुगमता एवं आमजनों के कठिनाइयों को दूर करने के लिये नव सृजित ब्लाक बरांव का गठन किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में यह बताना समीचीन होगा कि मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 279/डी0पी0सी0/नवसृजित/वि0ख0-बरांव/16-17, दिनांक 06-11-2017 जनपद इलाहाबाद के नव सृजित विकास खण्ड बरांव में भूमि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया जाना है एवं मुआवजा भी निर्धारित किया गया था।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये नव सृजित विकास खण्ड बरांव को क्रियाशील बनाने हेतु एवं इस लोक महत्वपूर्ण विषय पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद सहारनपुर के पिलखनी रजवाहे पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के ग्राम अतरगढ़, ब्लाक पुंवॉरका, ग्राम-दावकी गूंज, ब्लाक-पुंवॉरका के मूल निवासी हैं। जनपद सहारनपुर के पुंवॉरका ब्लाक में स्थित ग्राम-दाबकी गुजर में सिंचाई विभाग के पिलखनी राजवाहे पर बना पुल अत्यन्त संकरा है। अतरगढ़ एवं होसीमाजरा जो कि बड़े आबादी वाले गांव हैं। यहां के लोगो को पैदल ही गांव तक जाना पड़ता है। पुल अत्यन्त संकरा होने के कारण बस इस पुल से नहीं गुजर पाती। बीमारों को स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संकरा पुल होने के कारण यहां से बस भी नहीं गुजर पाती। ऐसी परिस्थिति में यहां पर लोग शादियां भी करना बन्द कर दिये हैं। जनहित में उक्त संकरे पुल के स्थान पर यहां पर पुल का चौड़ीकरण कराया अथवा नया चौड़ा पुल बनाया जाना अति आवश्यक है। काफी समय से इस

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्र की जनता की मांगों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद सहारनपुर में ग्राम-दाबकी गुजर में पिलखनी राजवहे पर पुल का चौड़ीकरण कराये जाने अथवा नया चौड़ा पुल बनाये जाने हेतु तत्काल शासन स्तर से कार्रवाई की जानी आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त संकरे पुल के स्थान पर चौड़ा पुल बनाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानवे के अन्तर्गत बरवटा बंधी का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में नियम-301 को अन्तर्गत सूचना।

श्री राहुल प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छानबे में विकास खण्ड छानबे में पूर्व में बरवटा बंधी का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया था। इस बंधी से लगभग 20 से अधिक गांवों की सिंचाई होती है। वर्तमान में यह बंधी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे 20 से अधिक गांवों के लोग सिंचाई से वंचित हो गये हैं तथा लोगों के जीवन-यापन में काफी असुविधा हो रही है। यह जनहित का प्रकरण है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत बरवटा बंधी की मरम्मत/जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अवगत कराना है कि जनपद-अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत अकबरपुर मालीपुर मुख्य मार्ग पर हाजीपुर से कांदीपुर मार्ग पर भिस्वाचितौना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मूर्ति से जगतूपुर विल्टई पिच रोड तक मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गया हैं, मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बन गये हैं, जिससे स्कूली बच्चों, किसानों एवं आम जन को आवागमन हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग पर भारी यातायात का दबाव बना रहता है, उक्त मार्ग के निर्माण कार्य हेतु अनेकों बार सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। जिससे

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय जनता एवं छात्र छात्राओं का सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के ए0पी0 तटबन्ध एवं अमवाखास तटबंध पर स्वीकृत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर से गुजर रही बड़ी गण्डक नदी के कटान के कारण अमवाखास तटबन्ध, ए0पी0 तटबन्ध पर निम्नलिखित बाढ़ बचाव कार्य किया जाना अति आवश्यक है। कार्यों का विवरण निम्नलिखित है :-

अमवाखास तटबन्ध

1. जनपद-कुशीनगर के गण्डक नदी के दायें तट पर अमवाखास बांध के कि0मी0 00.00 से 2.850 के मध्य बांध के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण की परियोजना प्राक्कलन।

2. जनपद-कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर अमवाखास बांध के कि0मी0 7.800 पर 300 मी0 लम्बाई में तीन में से परकुपाइन लगाने की परियोजना प्राक्कलन।

3. जनपद-कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर अमवाखास बांध के कि0मी0 5.600 पर निर्मित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज स्लोप एवं लांचिंग एप्रन के पुनर्स्थापना का परियोजना प्राक्कलन।

ए0पी0 तटबन्ध

1. जनपद-कुशीनगर के गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान पिपराघाट बांध के कि0मी0 2.300 पर निर्मित स्टड के अपस्क्षतिग्रस्त नोज भाग तथा अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम के क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्स्थापना का कार्य।

2. जनपद-कुशीनगर के गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान पिपराघाट बांध के कि0मी0 2.400 से 2.550 के मध्य रिवेटमेन्ट के निर्माण कार्य की परियोजना प्राक्कलन।

3. जनपद-कुशीनगर के गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान पिपराघाट बांध के कि0मी0 2.900 पर निर्मित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज लांचिंग एप्रन एवं शैंक के पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4. जनपद-कुशीनगर के गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान पिपराघाट बांध के कि.मी. 2.090 पर स्थित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज एप्रन एवं शैंक के पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना।

5. जनपद-कुशीनगर के गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान पिपराघाट बांध के कि0मी0 2.800 से 3.090 के मध्य रिवेटमेन्ट के निर्माण कार्य की परियोजना।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनपद-कुशीनगर के ए0पी0 तटबन्ध और अमवाखास तटबंध पर उपरोक्त स्वीकृत कार्य कराये जाने हेतु शीघ्र धनराशि जारी करते हुये निर्माण कराने की कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम बनौरा के शाखा सहायक की शाखा खण्ड-16 नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीता राम वर्मा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र 189-सदर सुल्तानपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक गुजरती है इस नदी पर काफी दूर तक पुल न होने के कारण 20 ग्राम के निवासियों को बहुत कठिनाई होती है एवं इनको 5 से 15 कि0मी0 तक घूमकर आना पड़ता है। शारदा सहायक की यह शाखा खण्ड 16 के अन्तर्गत आती है। जनहित में इस नहर पर ग्राम बनौरा पर पुल बनना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

बी0एड0, टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना (क्रमागत)

***श्री अध्यक्ष-**

मा0 नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते थे।

नेता विराधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, पहले श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी अपनी बात रख लें, फिर मैं 1-2 मिनट में बोल दूँगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, दि0 23 मार्च 2018 को बी0एड0, टी0ई0टी0 वर्ष 2011 से उत्तीर्ण अभ्यर्थी लखनऊ में हजरतगंज स्थित जी0पी0ओ0 पार्क में हजारों की संख्या में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 25 जुलाई, 2017 के तहत अनुपालन की मांग करने के लिए इकट्ठा हुए थे।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस क्रम में मीना कमल, गीता सिंह, रूखसाना खान, लकी आजाद, रेनू प्रजापति सहित कुल 10 अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय गये और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का उन्होंने प्रयास किया। परन्तु अध्यक्ष जी के उपस्थित न होने के कारण अभ्यर्थी कार्यालय में बैठकर उनका इंतजार करने लगे। इसी बीच वहां पर तैनात सब-इंस्पेक्टर ने अभ्यर्थियों से अभद्रता की, जिसका विरोध करने पर अभ्यर्थी सत्येन्द्र कुमार पर पुलिस ने लाठी चलाई, जिसका महिला अभ्यर्थियों द्वारा विरोध करने पर उन्हें भी लाठियों से पीटा गया और गालियां दी गयीं। इससे मीना कमल, रेनू प्रजापति, ज्योति चौधरी, गीता सिंह, सत्येन्द्र कुमार को गम्भीर चोटें आई हैं। ये जनहित का मामला है। बेरोजगार बी0एड0, टी0ई0टी0 की नौकरी का मामला है। अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है और राजधानी स्थित मुख्यालय का मामला है। इन युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया, इनको प्रताड़ित किया गया। अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर चर्चा करायी जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के सदस्यों और स्वयं मैंने भी कई बार इस सदन में कहा है कि इस सरकार ने वायदा किया था कि सरकार बनने के 90 दिन के अन्दर हम सभी रिक्तियां भर देंगे और जितने भी लोगों की नौकरी नहीं लगी है, उनको हम नौकरी पर लगा देंगे परन्तु आज तक तो कुछ हुआ नहीं ? 2011 के उत्तीर्ण बी0एड0, टी0ई0टी0 अभ्यर्थी यदि कोई हड़ताल करते, कोई तोड़-फोड़ करते तो कोई बात थी, बिना किसी बात के कुछ लोगों को लाठियों से पीटा गया। मा0 सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश भी है कि पुनर्विज्ञापन निकाल करके इनकी नियुक्ति की जाए। वह आये, हजरतगंज में इक्ट्ठे हुए, केवल 10 लोग (2 लड़कियां और 8 लड़के) प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी से मिलने उनके कार्यालय गये। संयोग से वह नहीं थे, किसी ने कहा कि इंतजार करो थोड़ी देर में आ जायेंगे। इसी बीच दरोगा ने बदतमीजी की और लड़कों से मारपीट शुरू कर दिया। जब लड़कियों ने विरोध किया तो उनको भी मारना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और उसके बाहर ले जा करके मारपीट की गयी। यह पुलिस का सबसे न्दिनीय काम है कि हम किसी के यहां गये हैं आसरा मांगने और वहां तुम हमको मारने लगो। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहा था कि इन्हें हमारे दफ्तर से निकालो ? भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं, लड़के-लड़कियां अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे थे और जो हजारों की संख्या में थे वो बहुत दूर खड़े थे, हजरतगंज में थे। इससे बड़ी कोई अप्रिय घटना हो नहीं सकती है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल है, लड़कों, लड़कियों को पीटा गया। तभी तो मैं कहता हूं कि जो रोजी-रोटी मांगने इस सरकार में आया, अपनी फरियाद कहने आया, श्रीमन्, वह लाठी खाया और क्रिमिनल धाराओं में जेल गया। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सदन का सारा कार्य रोककर इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा जी और मा0 नेता विरोधी दल ने जो सूचना आज सदन को दी है, मेरे पास जो रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार कोई अभद्रता नहीं की गयी, बल्कि जो लोग मिलने आये थे उनके द्वारा यह जरूर बताया गया कि धक्का-मुक्की करने लगे और किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज या मारपीट नहीं की गयी। पता नहीं कैसे इस बात के लिए हमारे दो वरिष्ठ सदस्यों ने यहां पर इतनी गम्भीरता से इस मसले को उठाया है। फिर भी हम इसकी जांच करवा लेंगे और अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई भी होगी।

(श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' व श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में अस्थिरता का दौर है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात नरेन्द्र सिंह वर्मा जी ने उठाई है उसी सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी बताया, कल पीड़ित व्यक्तिगतरूप से मुझसे मिले थे, उसी सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी, एक मिनट के लिए आप बैठ जाईये। शैलेन्द्र जी आप किस मामले में बोलना चाह रहे हैं, उसी में जिस पर अभी चर्चा हुई।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, उसी मामले पर कुछ कहना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष-

हमको लगा कि आप कोई नई बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखिये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, दर्जनों की संख्या में पीड़ित जिन्हें पुलिस की लाठियां लगी हैं, पुलिस द्वारा मारा गया है वे घायल हैं, वे महिलायें व पुरूष कल व्यक्तिगत रूप से हमारे पार्टी के कार्यालय में आये थे, हम लोगों से मिले थे। उन्होंने अपनी चोटें भी दिखायी और सारी घटना बतायी। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी का कहना कि ऐसी घटना नहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा है, आप सी0सी0टी0वी0 कैमरे को

दिखवा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर ये लोग जो अपनी रोजी-रोटी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर वहां नेताओं से शांतिपूर्वक मिलने गये थे,अपनी फरियाद कहने गये थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर महिलाओं पर लाठियां चलायी गयी, बिना किसी महिला कांस्टेबिल के पुरूष कांस्टेबिल के द्वारा उन्हें मारा गया और कार्यालय के बाहर मारा गया।

श्री अध्यक्ष-

इसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि हम पूरे मामले की जांच करा लेंगें नये सिरे से एक बात और दूसरी बात कि आपने जो सी0सी0टी0वी0 की बात कही है वह भी इनके संज्ञान में और आ गई है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 होनी चाहिए और इनकी जो मांग है समय-समय पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जब सरकार में नहीं थे, इनके समर्थन में बोला करते थे। इनकी मांगों को माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके विषय को भी उसमें जोड़ लेंगें।

बिजली व्यवस्था को निजी क्षेत्रों में दिये जाने के विरोध में हड़ताल पर जा रहें पावर कार्पोरेशन एवं इंजीनियरों के प्रकरण पर चर्चा कराये जाने सम्बन्धी श्री अजय कुमार लल्लू की नियम-311 की सूचना

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में अस्थिरिता का दौर है और 5 जनपद लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और मुरादाबाद की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने के कारण आज प्रदेश के जितने भी पावर कारपोरेशन के कर्मचारी हों, इंजीनियर हों धरना दे रहे हैं और अध्यक्ष जी अभी पिछले दिन ही उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि दारूलसफा में विधायक निवास की बिजली भी काट दी गई। अध्यक्ष जी, आज की स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ निजी हाथों में देकर बड़ी कम्पनियों को लाभ पहुंचानें और जो उसके कर्मचारी हैं उसकी भारी पैमाने पर छंटनी करने की योजना बना रही है। अध्यक्ष जी, इन्हीं पांच जनपदों में ही नहीं अपितु बहुत सारे जनपदों को यह अध्यक्ष जी 35 हजार करोड़ रूपया पिछले समय में केन्द्र सरकार से देकर इन तमाम बिजलीघरों को दुरूस्त कराने का काम इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया और वह काफी जर्जर अवस्था में थीं। अगर वह जर्जर अवस्था में थीं तो उनको ठीक कराकर और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

35 हजार करोड़ खर्च करके निजी हाथों में देने का क्या मकसद और निजी हाथों में देकर कहीं न कहीं कुछ खास पूंजीपतियों के हाथों में यह बिजली कम्पनियों को सौंप कर और अधिक से अधिक पैसे में थ्रू रेट बढ़ोत्तरी की जायेगी। अध्यक्ष जी, आज यह स्थिति बहुत ही भयावह बनी हुई है। पूरा प्रदेश के पावर कारपोरेशन के कर्मचारी और इंजीनियर्स हड़ताल पर हैं। अध्यक्ष जी, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इस अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लल्लू जी ने जो विषय उठाया है, यह प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय तो आ गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आ गया है लेकिन इसलिये जरूरी है। इसका औचित्य है, इस पर चर्चा होना इसलिये जरूरी है कि एक नीतिगत विषय है।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा से ज्यादा तो वह इस पर बोल चुके हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस पर चर्चा होना अति आवश्यक है। आज जिस तरह से निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके कारण पूरे प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी हैं वह आन्दोलित हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारा भी आपसे आग्रह है कि इस पर चर्चा जरूर करा लें। मान्यवर, यह आप स्वीकृत कर लीजिये और दो घंटा इस पर चर्चा करा लीजिये सारे नियमों को शिथिल कर के, निलम्बित करके।

नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह इसलिये जरूरी है कि हमेशा सरकार कहती है कि हम गरीबों की सरकार हैं और हम लोग हमेशा कह रहे थे कि यह पूँजीपतियों की सरकार है और इससे साफ जाहिर हो गया कि पूँजीपतियों को फायदे के लिये पांचों जनपदों में यह काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

अभी उत्तर तो आया नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तो इससे अधिक जनता के हित की कोई बात नहीं हो सकती। यह बहुत गम्भीर प्रकरण है। कृपया इस पर जरूर चर्चा करा लें।

ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो 311 के अन्तर्गत जानकारी मॉगी गई है। मैं थोड़ा सा आपकी अनुमति हो तो कुछ बिन्दु मैं पढ़ दूँ। मान्यवर, वर्तमान में जो प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति है लगभग उस पर 84 पैसे का कैश गैप यू0पी0पी0सी0एल0 को होता है। पावर फॉर ऑल के अनुसार प्रदेश के नागरिकों को विद्युत आपूर्ति दिये जाने के लिये इस हानि को समाप्त करना अपरिहार्य है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय के अन्तर्गत वर्ष 2016-2017 के अंत में विद्युत वितरण हानियों को 28.26 प्रतिशत तक लाना था जिसके सापेक्ष विद्युत वितरण हानियॉ 32.8 प्रतिशत रहीं। ए0पी0डी0आर0पी0 कार्यक्रम के आच्छादित नगरों में ए0टी0एम0सी0 हानियॉ 15 प्रतिशत होना चाहिए जबकि वर्ष 2016-2017 के अंत में मेरठ में 34.39 वाराणसी में 28.39, गोरखपुर में 30.10 प्रतिशत मुरादाबाद में, 32.33 प्रतिशत, तथा लखनऊ में 36.16 प्रतिशत लाइन हानियॉ रहीं। मान्यवर, घाटे की स्थिति में न तो प्रदेश वासियों को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति की जा सकती है और न ही इससे जुड़े हुए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए धनराशि दी जा सकती है। विद्युत अधिनियम 2003 में, विद्युत वितरण लाइसेंसी द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी नियुक्त किए जाने का प्राविधान है, यह कोई अनैतिक कार्य नहीं है। वर्ष 2010 में आगरा में फ्रेन्चाइजी नियुक्त किया गया था। मान्यवर, प्रदेश के नगरों में बढ़ते हुए लोड के लिए विद्युत प्रणाली में सुधार व विस्तार के लिए काफी अधिक पूँजी की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए लखनऊ नगर में ही लगभग 950 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश की आवश्यकता ऑकी गई है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि अपने बजट को सबसे पहले गॉव में विद्युत प्रणाली के विस्तार और संयोजन देने पर व्यय किया जाए। (मेजें थपथपाई गईं)

सौभाग्य योजना में भी प्रदेश सरकार को, चालीस प्रतिशत अंश देना होगा। इन सब तथ्यों पर विचार कर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर नगरों में डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। फ्रेन्चाइजी के चयन में उत्तर प्रदेश नियामक आयोग के सभी नियमों का पालन किया जाएगा और फ्रेन्चाइजी का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा जिसमें पूँजी निवेश तथा लाइन हानियों के लिए प्रति वर्ष के न्यूनतम लक्ष्य दिए जाएंगे। कोई छूट उनको नहीं दी जाएगी जैसे पूर्व में सात साल की छूट दे दी गई थी अब उनकी हर साल समीक्षा करेंगे। तत्कालीन सरकार द्वारा आगरा में फ्रेन्चाइजी के लिए जो अनुबन्ध, अनुपूरक अनुबन्ध किया था उसमें काफी सुधार की आवश्यकता पाई गई और इसलिए प्रदेश सरकार ने वर्तमान में निर्णय लेते समय यह निर्देश दिए हैं कि फ्रेन्चाइजी की चयन प्रक्रिया तथा उसके साथ किए जाने वाले अनुबन्ध को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जारी मानक

प्रपत्रों के अनुसार किया जाएगा। मात्र फ्रेन्चाइजी की अवधि 15 वर्ष के स्थान पर बीस वर्ष रखी गई है। चूँकि अन्य राज्यों में भी यह जरूरी पाया गया। सरकारी विभागों पर विद्युत व्यय भी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। जिसके निराकरण के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर कई बैठकें की गई हैं और इसकी समीक्षा माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा भी की गई है। वर्तमान में सरकारी विभागों मुख्यतः सिंचाई विभाग स्थानीय निकायों के संबंध में नगर विकास विभाग पेयजल योजना के संबंध में, ग्राम्य विकास विभाग, पावरलूम बुनकरों की सब्सिडी के संबंध में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की धनराशि अवशेष है। उल्लेखनीय है कि गत वर्षों में बकाया अत्यधिक बढ़ा है जबकि वर्तमान सरकार ने इस वर्ष अब तक लगभग दो हजार दो सौ करोड़ रुपये का भुगतान किया है जो पिछले वर्ष में केवल एक हजार पांच सौ अट्ठारह करोड़ के भुगतान से कहीं अधिक है। अवशेष बकाए के भुगतान के लिए प्राथमिकता पर कार्यवाही की जा रही है और ऊर्जा विभाग के द्वारा सभी सरकारी विभागों से इस संबंध में निरंतर कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, इसमें एक और विषय है प्रदेश सरकार विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। अभी हाल में ही वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के बावजूद भी वित्तीय क्षेत्र के निगमों में सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया गया। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कई इंसेन्टिव स्कीम भी लागू की गई हैं। जिन नगरों में फ्रेन्चाइजी व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है वहां पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को फ्रेन्चाइजी की सहमति से प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने का विकल्प मौजूद होगा। ऐसा विकल्प चुनने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ कार्य करने के इच्छुक नहीं है उन्हें वर्तमान सेवा शर्तों पर प्रदेश के अन्य विद्युत खण्डों में तैनात किया जायेगा। प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ना अवश्यंभावी है, इसके लिए स्टाफ की आवश्यकता भी रहेगी। मान्यवर, हमारे जो कर्मचारी हैं, उनके प्रमोशन, वेतन, सेवा शर्तों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर निजीकरण करना था तो पहले से जो जर्जर व्यवस्था थी, उसमें 35 हजार करोड़ रु0 लगाने की क्या जरूरत थी, उसको दुरूस्त कराने के लिए और दूसरी तरफ विद्युत नियामक आयोग के आदेशों का खुला उल्लंघन हुआ है। अध्यक्ष जी, पहले यही सरकार जब इधर थी तो हम लोग कहते थे।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कह दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे उत्तर प्रदेश को तीन मुख्यमंत्री चला रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को पांच मुख्यमंत्री चला रहे हैं। लाखों कर्मचारियों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है अस्थिरता का दौर है, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। विधायक निवास की लाइट काटी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप कह चुके हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति यह है कि कल बिजली विभाग के सारे कर्मचारी, बिजली चलाने तक को छोड़कर वह हड़ताल पर जा रहे हैं, कौन सी स्थिति आ गयी है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश सरकार उससे निपटेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के व्यापारी परेशान, हताश हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार निजीकरण को तत्काल समाप्त करके प्रदेश हित में इस फैसले को वापस लेने पर विचार करे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है, कृपया आप बैठ जायें।

***श्री शैलेन्द्र यादव ललई-**

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कोई व्यापारी नहीं है। सरकार जनता के हितों के लिए काम करती है। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि बिजली विभाग घाटे में है, इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं तो जितने-जितने घाटे में सरकार के घाटे का बजट आता है तो सरकार का निजीकरण कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर आयें।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। आज लाखों कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गयी, करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की गयी। यह बहुत गम्भीर सवाल है और जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के हैं, इनकी कार्य पद्धति ऐसी है कि इनके एम0डी0 स्तर के अधिकारी को भी इस्तीफे की धमकी देनी पड़ रही है। यह एक गम्भीर सवाल है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, वह अच्छा नहीं है। कर्मचारियों के हितों को देखते हुए यह मांग है कि सरकार इस पर विचार करे, यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, यह तो चर्चा हुई जा रही है, बहुत लोगों ने बोल लिया है। मा0 नेता विरोधी दल आप कुछ कहेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन है, माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद जरूरत पड़ी है।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपने इसको चर्चा मान लिया है ? क्या हम लोग चर्चा करा रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा करा दीजिए, यह ग्राह्य है।

श्री अध्यक्ष-

आप कई बार बोले हैं, सब लोग कई-कई बार बोल रहे हैं। बार-बार वही बात दोहरा रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि चर्चा करा दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे किस पद्धति का अनुसरण करना चाहिए ? चर्चा नहीं हो सकती है। महत्वपूर्ण तो है इसीलिए आप तीन बार बोल चुके हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब दारूल शफा की बिजली काट दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

यह भी आप बोल चुके हैं, अब आप कोई नई बात कहिये, जो न बोली गयी हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें नई बात कुछ नहीं हैं.....

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का जवाब आये।

श्री अध्यक्ष-

आप भी बोल चुके हैं। आप जो कह रहे हैं, वह कह चुके हैं।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है। बिजली का निजीकरण, परिवहन का निजीकरण, हर चीज का निजीकरण। यह सरकारों का निजीकरण करने की फिराक में है। यह अपनी बात से पलट नहीं रही है। इस सरकार के निजीकरण के कारण हजारों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का वेतन कम हो जायेगा, 15 घण्टे उनको ड्यूटी

देनी पड़ जायेगी, हर चीज यह लोग प्राइवेट हाथों में क्यों दे रहे हैं ? यह पूंजीपतियों की पोषक सरकार है, इसलिए हर काम पूंजीपतियों के फायदे के लिए कर रही है, इसलिए जनहित में मैं इस प्रश्नवार में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(तत्श्चात् मा0 नेता विरोधी दल ने अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन किया।)

(इसी मध्य मा0 सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के साथ सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे।)

श्री श्रीकांत शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का आरोप पूरी तरह से मिथ्या है, दुष्प्रचार है। यह आम जनता के पक्ष में नहीं हैं, यह तो पूंजीपतियों के पक्ष में हैं, इन्होंने आगरा में करार किया था, उसमें पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले थे, यह हमको आदेश न दें और अपना आत्मचिंतन करें, अपने आपको आइने में देखें।

(व्यवधान के मध्य)

यह उपभोक्ताओं के हित में है, कर्मचारियों के हित में है।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी अब आपका मनोरंजन हो गया हो तो सीट पर चलें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

यह मनोरंजन नहीं है। मैं निजीकरण का विरोध करता हूं इसकी चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप जो भी वेल से बोल रहे हैं। वह लिखा नहीं जाएगा। कार्यवाही का भाग नहीं होगा, यह प्रसारित नहीं होगा। आपके द्वारा कही गई कोई भी बात कार्यवाही का भाग नहीं होगी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। यह बस वेल में आकर फोटों खिंचाना चाहते हैं। जमीन पर इनको कोई समर्थन नहीं है। जनता इनकी जमानत जब्त कर रही है। इसलिए फोटो की राजनीति पर इनका नेता भी उतारू है यह भी उतारू हैं। केवल सदन का समय खराब करने के अलावा इनकें पास कुछ नहीं है।

(वेल से)

श्री अजय कुमार लल्लू-

आप किस-किस का निजीकरण करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात लिखी नहीं जा रही है। सुनी नहीं जा रही है रिकार्ड नहीं की जा रही है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(वेल से)

श्री अजय कुमार लल्लू-

जनहित से ज्यादा कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं ? आप सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं ? क्या आपको जानकारी है। आप अपनी सीट पर चलिए। ऐसा पराक्रम ठीक नहीं होता।

(वेल से)

श्री अजय कुमार लल्लू-

पूरे देश में भय का माहौल है।

श्री अध्यक्ष-

आप देश का माहौल छोड़िए यह लिखा नहीं जा रहा।आप जो भी देश, प्रदेश विदेश बोल रहे यह कार्यवाही का भाग नहीं। आप यहीं रूकिए आप यहीं सोइए यह कार्यवाही का भाग नहीं।

(वेल से)

श्री अजय कुमार लल्लू-

यह प्रदेश की जनता का विषय है।

श्री अध्यक्ष-

इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता इसको कतई नोटिस नहीं लेगी। जनता सदन चलाना चाहती है। आप सदन में बाधा डाल रहे हैं। आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

(वेल से)

श्री अजय कुमार लल्लू-

यह जनहित से जुड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष-

कोई जनहित नहीं है। आप केवल यहां चिल्लाने के लिए आए हैं। अपनी बात आप अपने आसन से करिए।

(वेल से)

श्री अजय कुमार लल्लू-

इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

कोई चर्चा नहीं होगी। यहां से बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जाएगा। आपकी उपस्थिति यहां से नहीं मानी जाएगी।

(वेल से)

श्री अजय कुमार लल्लू-

यह आपका विवेक है।

श्री अध्यक्ष-

हमारा कोई विवेक नहीं है। हम सदन की भावना के अनुसार सदन चलाना चाहते हैं। हम पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(वेल से)

श्री अजय कुमार लल्लू-

हम पीठ का सम्मान करते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों का आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपका आग्रह है कि इनका। मैं इनके दल को नोटिस में नहीं ले रहा यह हाउस में इस समय नहीं हैं। आप अपनी बात रखें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह आपका निर्णय है आप जो निर्णय लेना चाहें। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि इतना घाटा हो रहा है जिसके कारण इन जिलों का विद्युत वितरण हम निजी हाथों में दे रहे हैं फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि लोकहित के कार्य होते हैं जैसे परिवहन लोक हित का कार्य है।

श्री अध्यक्ष-

यह बात आप कह चुके हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

इसी तरह से ऊर्जा विभाग का यह कार्य लोक हित का है।

श्री अध्यक्ष-

यह बात भी आप कह चुके हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हर बार सदन बैठता है हर बार बात कही जाती है। फिर बार बार सदन क्यों बैठता है। फिर एक ही दिन में खत्म कर लीजिए उसके बाद 50 साल तक सदन न बैठे। यह तर्क उचित नहीं है। जब विषय आता है तो उस पर तर्क किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अभी यह बात आप कहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

अभी तो हम बोल ही नहीं पाए। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके बाद अवसर मिला। अगर आप यह मानते हैं कि यह बात कही जा चुकी है तो फिर विधान सभा में जो हम रोज प्रक्रिया निभाते हैं प्रश्न का उत्तर भी रोज होता है। दुबारा फिर प्रश्न न पूछा जाए।

श्री अध्यक्ष-

आपका यह तर्क गलत है। यह बातें अभी कही गई हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह इस पर है। हमें अगर घाटा हो रहा है तो हम इस विभाग को ठीक करें और ठीक करके हम यह प्रयास करें कि जो लाइन लॉस हो रहा है वह जीरो हो जाए। उसके लिये हम अपनी काबिलियत का प्रयोग करके उस लाइन लॉस को रोकने का प्रयास करें, लेकिन उसको रोकने का प्रयास न करके बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देना यह निश्चित रूप से प्रदेश के हित में नहीं होगा। इसलिये हमारी यह चाहत है कि यह विषय अगर इतना महत्वपूर्ण है जिस पर निर्णय लिया जाना है तो निश्चित रूप से इस विषय पर दो घण्टे, चार घण्टे की चर्चा आवश्यक है। आप जैसे विद्वान व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर आप सदन में चर्चा करा दें।

[XXX XXX XXX]

श्री अध्यक्ष-

वेल से की जारी नारेबाजी को किसी भी तरह से कार्यवाही का भाग नहीं माना जायेगा। वेल से इस प्रकार से की जा रही नारेबाजी को निषिद्ध किया जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस पर दो घण्टे की चर्चा करा दें। अगर चर्चा हो जायेगी तो तर्क-वितर्क होगा और जो बात सही होगी उसको हम लोग भी मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप तो मान रहे हैं। आप हमारी पूरी बात मान रहे हैं। आप सदन के नियमों का पालन कर रहे हैं। आप अनुशासन में बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मित्रों ने भी अनुशासन

नोट :- [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में रहते हुए अपनी बात कही और ठीक से अपनी बात कही, लेकिन यह जो दृश्य है यह गम्भीर है। मैंने बार-बार अनुरोध किया है। मैंने 5-6 बार अनुरोध किया है।

[XXX XXX XXX]

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं वेल आफ द हाउस में खड़े हुए लोगों से बात नहीं करूंगा। मैं आपका संज्ञान नहीं ले रहा हूं कि आप यहां पर हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(01 बजकर 05 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 20 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।)

(इस समय 01 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

(श्री अजय कुमार 'लल्लू', के वेल में खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अजय कुमार 'लल्लू' जी, कृपया आप अपनी सीट पर चलें।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू', अपने स्थान पर चले गये)

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के विकास खण्ड महराजगंज के कतिपय ग्रामों में हुये अग्निकाण्ड पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाये जाने सम्बन्धी नेता विरोधी दल के अनुरोध पर ली गई सूचना

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री नफीस अहमद जी की एक बहुत जरूरी सूचना है, कृपया इन्हें सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के विकास खण्ड महराजगंज में दिनांक 10 मार्च, 2018 को ग्राम सैदपुर की राजभर बस्ती के 11 घर, 19 मार्च, 2018 को महाजी देवारा में निषाद बस्ती के 55 घर तथा 23 मार्च, 2018 को देवारा हरपुरा में दलित बस्ती के 15 घर जल कर खाक हो चुके हैं। लोगो का पूरा सामान जल चुका है, लोगो के पास खाने को अन्न नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आसमान के नीचे बेसहारा लोग खुले पड़े हुये हैं। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि इस पर आवश्यक और प्रभावी कार्यवाही करें। अभी विद्युत समस्याओं को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं बहुजन समाज पार्टी के नेता, नेता कांग्रेस माननीय अजय कुमार जी और कई माननीय सदस्यों ने यहां विषय उठाया था जिसके कारण बीच में कुछ देर के लिए सदन स्थगित करना पड़ा। मैं इस विषय पर अपने निर्णय को आरक्षित करता हूं और कल किसी समय मैं इस पर अपनी घोषणा करूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया श्री नफीस अहमद जी की सूचना पर स्पष्ट निर्देश सरकार को दे दीजिये। संसदीय कार्य मंत्री जी शायद सुन नहीं रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने निर्देश दे दिये हैं, बहुत स्पष्ट कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री जी सुन रहे थे, जब वह यहां नहीं रहते हैं वह चाहे जहां रहें, तब भी सुनते रहते हैं।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपका निर्देश आजमगढ़ की इस सूचना पर प्राप्त हुआ है। इन लोगों को समुचित सहायता जो नियमों में अनुमन्य है उसकी व्यवस्था हम कर देंगे और आर्थिक सहायता भी उनको दे दी जायेगी। फिलहाल इनको बीस-बीस किलो गेहूं तथा दस-दस किलो चावल उपलब्ध कराया गया है। यह भी निर्देश दे दिया गया है कि जो अनुमन्य आर्थिक सहायता है वह भी उनको तत्काल वितरित कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अगर आप इस विषय पर कोई और बात करना चाहें या स्पष्टीकरण लेना चाहें तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मिल लें।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, क्योंकि वहां जो हमारा क्षेत्र गोपालपुर है वह बाढ़-ग्रस्त एरिया है। वहां पर आये दिन आग लग जाती है और वह गरीब लोग हैं। सरकार उनको आवास मुहैया करा दे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया वह इसे पूरा करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, वह पूरा नहीं करेंगे। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि खाद व पैसा अनुदान दिया जाता है। वह ऊंट के मुह में जीरा' जैसा है। चाहे मेरी सरकार हो और हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों ने तो कुछ बढ़ाया था। पिछली सरकार में भी हम लोगों ने उसको बढ़ाया था। लेकिन जब आग लगती है तो गरीब के यहां लगती है, जो झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे मकान में रहता है, जो दियारे के इलाके में रहता है, गांव कट गये और वहां पर पलारी डाल कर रहने लगे और वह आग के लगने से जल गये, तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह निश्चित करवाना चाहता हूं कि जो आवास बन रहे हैं चाहे इन्दिरा आवास, चाहे प्रधानमंत्री आवास, चाहे जो आवास हो उसमें जितने भी मकान आगजनी से जलते हैं। पहली प्राथमिकता पर उनके लिए आवास बनवाये जायें। प्राथमिकता के आधार पर पहले उनके आवास बनवा दिये जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इस वर्ष एक नई योजना मा0 मुख्य मंत्री आवास योजना प्रारम्भ हो रही है और इस योजना में विशेषता यह है कि जो उस क्राईटेरिया में नहीं आ पायेंगे उनको इस योजना में टेक-अप कर लिया जायेगा और इसमें पात्रता को देख कर विशेष रूप से जिन लोगों के आगजनी में या किसी भी रूप में मकान नष्ट हो गये और अभी तक की जो व्यवस्था थी जिन लोगों ने मुआवजा ले लिया उन लोगों को आवास से वंचित कर दिया जाता था। 5 परसेण्ट आवास आगजनी के लिए निर्धारित थे लेकिन उसके लिए शर्त यह थी कि अगर उन लोगों को किसी रूप में सहायता मिल गई है तो फिर उनको आवास नहीं मिलता था लेकिन अब यह पात्रता तो जरूर देखनी पड़ेगी और हम पूरी तरह से इस बात पर विचार करेंगे कि जिनके मकान पूरी तरह से जल गये हैं उन लोगों की पात्रता को देख कर उनको इस सम्बन्ध में लाभ दिया जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय मंत्री जी ने कहा कि जो पहले मुआवजा ले लेता था उसको आवास से वंचित कर दिया जाता था। ऐसी बात नहीं थी। मुआवजा तो 3000, 4000 और 5000 मिलता था और उसका मकान भी हम लोग बनवाते थे, सबका नहीं। गांव समाज के लोग पैरवी करते थे हम लोग भी पैरवी करते थे। कुछ लोगों कें मकान बन जाते थे जो एक्स्ट्रा होता था अधिकारियों की जेब में और जब आवास बंटता है तो कुछ जिलाधिकारी की जेब में चला जाता है। इसीलिए मेरा स्पष्ट यह कहना है कि जो भी योजना आवास की चल रही है, जैसे इन्दिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की। उसमें प्राथमिकता के आधार पर यह कर दिया जाये कि 10 परसेण्ट या 5 परसेण्ट जो भी गांव या घर जलेंगे पहले उसका घर बनवाया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इस रूप में यह व्यवस्था की गई है। आप देख तो लें।

[01:32] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) दशम् प्रतिवेदन†

डॉ0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का दशम् प्रतिवेदन जो विभिन्न जनपदों की जिला पंचायतों/ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कुशीनगर में ग्राम सभा गंगोली में ग्राम खेल के मैदान गाटा संख्या-289 की चहारदीवारी व कमरा निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर में ग्राम सभा गंगोली में ग्राम खेल के मैदान गाटा संख्या-289 की चहारदीवारी व कमरा निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के कुबेर स्थान के पास पौराणिक एवं ऐतिहासिक जलामपाई के मन्दिर के पार स्थित धूप सागर तालाब के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के कुबेर स्थान के पास पौराणिक एवं ऐतिहासिक जलामपाई के मन्दिर के पार स्थित धूप सागर तालाब के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कुशीनगर में ग्राम सभा गोबरही चौराहा में पेट्रोल टंकी से सुरेन्द्र दुबे के घर तक तथा ग्राम सभा गोबरही चौराहा से ग्राम सभा नटवलिया तक पक्की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ मद्धेसिया आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर में ग्राम सभा गोबरही चौराहा में पेट्रोल टंकी से सुरेन्द्र दुबे के घर तक तथा ग्राम सभा गोबरही चौराहा से ग्राम सभा नटवलिया तक पक्की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ मद्धेसिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा परसौना बुजुर्ग में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री पन्ना लाल सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा परसौना बुजुर्ग में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री पन्ना लाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कुशीनगर, विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में बसडीला नहर को पलिया गांव होते हुए रहसूपिच से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री अनिल मल्ल आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में बसडीला नहर को पलिया गांव होते हुए रहसूपिच से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री अनिल मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना के ग्राम सभा सिंघन-जोडी में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना के ग्राम सभा सिंघन-जोडी में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कुशीनगर में स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मल्ल आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ग्राम सभा भटवलिया, तहसील कसयां, ब्लॉक पडरौना, जनपद कुशीनगर में स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

जनपद कुशीनगर के तहसील कसयां, पोस्ट बतरौली के ग्राम सभा फगुपुर विशनपुरा में शवदाह गृह का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज प्रसाद आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के तहसील कसयां, पोस्ट बतरौली के ग्राम सभा फगुपुर विशनपुरा में शवदाह गृह का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कुशीनगर में विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के विभिन्न ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री केश्वरमल आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर में विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के विभिन्न ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री केश्वरमल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जिला अम्बेडकरनगर के ब्लाक-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा छिटूनी में बारात घर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग आदि निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला अम्बेडकरनगर के ब्लाक-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा छिटूनी में बारात घर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जिला अम्बेडकरनगर के ब्लाक-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मंशापुर में बाबा डम्मर दास की तपोस्थली में स्थित तालाब का जनहित में सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर आदि निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जिला अम्बेडकरनगर के ब्लाक-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मंशापुर में बाबा डम्मर दास की तपोस्थली में स्थित तालाब का जनहित में

† छापी नहीं गया।

सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर नगर में औद्योगिक विकास निगम उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम सभा बगदौधी बांगर, तहसील सदर, कानपुर की अर्जित जमीन के सम्बन्ध में श्री प्रेम कुमार बाजपेई आदि निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री अमिताभ बाजपेयी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-7 अब मद सं0-8 में कुछ नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2018 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 26 मार्च, 2018 को नियम-56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें,

2-दिनांक 27 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायें,

3-शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-9 इसमें कुछ नहीं है। अब मद संख्या-10।

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018†

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रस्ताव है, इसे मैं औपचारिक रूप से पुरःस्थापित कर देता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से आज, दिनांक 26 मार्च, 2018 को विधान सभा में पुरःस्थापित अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त)

---

† दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 एवं उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 पर विचार एवं उनका पारण दिनांक 27 मार्च, 2018 को करा लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आज दिनांक 26 मार्च, 2018 को विधान सभा में पुरःस्थापित अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 एवं उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 पर विचार एवं उनका पारण दिनांक 27 मार्च, 2018 को करा लिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ एवं स्वीकृत किया गया)

[01:41] वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान सं0-1 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये तीन लाख छियासठ हजार तीन सौ पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार (रुपये 3,66,325,75,01,000) से अनधिक राशि स्वीकृत की जाए। अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) विभाग

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1185,10,62,000 रुपये (एक हजार एक सौ पचासी करोड़ दस लाख बासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1669,97,27,000 रुपये (एक हजार छः सौ उनहत्तर करोड़ सत्तानवे लाख सत्ताईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3570,98,60,000 रुपये

(तीन हजार पांच सौ सत्तर करोड़ अठ्ठानवे लाख साठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1085,47,40,000 रुपये (एक हजार पचासी करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 463,79,99,000 रुपये (चार सौ तिरसठ करोड़ उन्यासी लाख निन्यानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 405,84,97,000 रुपये (चार सौ पांच करोड़ चौरासी लाख सत्तानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12538,79,60,000 रुपये (बारह हजार पांच सौ अड़तीस करोड़ उन्नयासी लाख साठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 284,37,42,000 रुपये (दो सौ चौरासी करोड़ सैंतीस लाख बयालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 948,05,11,000 रुपये (नौ सौ अड़तालीस करोड़ पांच लाख ग्यारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 405,49,39,000 रुपये (चार सौ पांच करोड़ उन्चास लाख उन्तालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 50534,39,61,000 रुपये (पचास हजार पांच सौ चौंतीस करोड़ उन्तालीस लाख इकसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 166,89,07,000 रुपये (एक सौ छियासठ करोड़ नवासी लाख सात हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19732,40,12,000 रुपये (उन्नीस हजार सात सौ बत्तीस करोड़ चालीस लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14227,60,19,000 रुपये (चौदह हजार दो सौ सत्ताईस करोड़ साठ लाख उन्नीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 324,08,19,000 रुपये (तीन सौ चौबीस करोड़ आठ लाख उन्नीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 17,40,81,000 रुपये (सत्रह करोड़ चालीस लाख इक्यासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 822,69,01,000 रुपये (आठ सौ बाईस करोड़ उनहत्तर लाख एक हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 72,47,99,000 रुपये (बहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख निन्नयानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,50,24,000 रुपये (इकतालीस करोड़ पचास लाख चौबीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1097,44,87,000 रुपये (एक हजार सत्तानवे करोड़ चौवालीस लाख सत्तासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 422,71,45,000 रुपये (चार सौ बाईस करोड़ इकहत्तर लाख पैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 97,97,85,000 रुपये (सत्तानवे करोड़ सत्तानवे लाख पचासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 35,03,35,000 रुपये (पैंतीस करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1623,20,93,000 रुपये (एक हजार छः सौ तेईस करोड़ बीस लाख तिरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 391,86,18,000 रुपये (तीन सौ इक्यानवे करोड़ छियासी लाख अट्ठारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 17135,21,42,000 रुपये (सत्रह हजार एक सौ पैंतीस करोड़ इक्कीस लाख बयालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1031,73,86,000 रुपये (एक हजार इकतीस करोड़ तिहत्तर लाख छियासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,04,60,000 रुपये (छः करोड़ चार लाख साठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 62,64,14,000 रुपये (बासठ करोड़ चौंसठ लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,68,40,000 रुपये (एक करोड़ अड़सठ लाख चालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 543,23,38,000 रुपये (पांच सौ तैंतालीस करोड़ तेईस लाख अड़तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 718,09,33,000 रुपये (सात सौ अट्ठारह करोड़ नौ लाख तैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 918,18,12,000 रुपये (नौ सौ अट्ठारह करोड़ अट्ठारह लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1833,97,57,000 रुपये (एक हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,68,50,000 रुपये (उन्नीस करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 42,56,26,000 रुपये (बयालीस करोड़ छप्पन लाख छब्बीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 72,97,27,000 रुपये (बहत्तर करोड़ सत्तानवे लाख सत्ताईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 193,84,22,000 रुपये (एक सौ तिरानवे करोड़ चौरासी लाख बाईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12425,37,48,000 रुपये (बारह हजार चार सौ पच्चीस करोड़ सैंतीस लाख अड़तालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 44692,12,90,000 रुपये (चौवालीस हजार छः सौ बानवे करोड़ बारह लाख नब्बे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 308,26,56,000 रुपये (तीन सौ आठ करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 313,70,13,000 रुपये (तीन सौ तेरह करोड़ सत्तर लाख तेरह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,54,87,000 रुपये (उन्नीस करोड़ चौवन लाख सत्तासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3633,70,62,000 रुपये (तीन हजार छः सौ तैंतीस करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 275,57,10,000 रुपये (दो सौ पचहत्तर करोड़ सत्तावन लाख दस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1200,41,73,000 रुपये (एक हजार दो सौ करोड़ इकतालीस लाख तिहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 196,28,40,000 रुपये (एक सौ छियानवे करोड़ अट्ठाइस लाख चालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 157,53,63,000 रुपये (एक सौ सत्तावन करोड़ तिरपन लाख तिरसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 318,70,27,000 रुपये (तीन सौ अट्ठारह करोड़ सत्तर लाख सत्ताइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9704,23,14,000 रुपये (नौ हजार सात सौ चार करोड़ तेइस लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2807,00,14,000 रुपये (दो हजार आठ सौ सात करोड़ चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 637,74,30,000 रुपये (छः सौ सैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4738,03,31,000 रुपये (चार हजार सात सौ अड़तीस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1688,05,13,000 रुपये (एक हजार छः सौ अट्ठासी करोड़ पांच लाख तेरह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 147,08,25,000 रुपये (एक सौ सैंतालीस करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2478,17,60,000 रुपये (दो हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ सत्रह लाख साठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन)

अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 160,60,09,000 रुपये (एक सौ साठ करोड़ साठ लाख नौ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 340,00,00,000 रुपये (तीन सौ चालीस करोड़ रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1601,02,00,000 रुपये (एक हजार छः सौ एक करोड़ दो लाख रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 17237,31,05,000 रुपये (सत्रह हजार दो सौ सैंतीस करोड़ इकतीस लाख पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 57,96,34,000 रुपये (सत्तावन करोड़ छियानवे लाख चौंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,17,46,000 रुपये (छः करोड़ सत्रह लाख छियालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8054,04,19,000 रुपये (आठ हजार चौवन करोड़ चार लाख उन्नीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5178,95,30,000 रुपये (पांच हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ पंचानवे लाख तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 179,82,73,000 रुपये (एक सौ उन्यासी करोड़ बयासी लाख तिहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 122,35,77,000 रुपये (एक सौ बाइस करोड़ पैंतीस लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 242,12,61,000 रुपये (दो सौ बयालीस करोड़ बारह लाख इकसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 572,89,77,000 रुपये (पांच सौ बहत्तर करोड़ नवासी लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4554,94,43,000 रुपये (चार हजार पांच सौ चौवन करोड़ चौरानवे लाख तैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 409,43,75,000 रुपये (चार सौ नौ करोड़ तैंतालीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24488,78,06,000 रुपये (चौबीस हजार चार सौ अट्ठासी करोड़ अठहत्तर लाख छः हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 333,03,54,000 रुपये (तीन सौ तैंतीस करोड़ तीन लाख चौवन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 103,08,70,000 रुपये (एक सौ तीन करोड़ आठ लाख सत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23213,23,14,000 रुपये (तेइस हजार दो सौ तेरह करोड़ तेइस लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7481,27,37,000 रुपये (सात हजार चार सौ इक्यासी करोड़ सत्ताइस लाख सैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 687,02,09,000 रुपये (छः सौ सत्तासी करोड़ दो लाख नौ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7694,49,12,000 रुपये (सात हजार छः सौ चौरानवे करोड़ उन्चास लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 742,64,10,000 रुपये (सात सौ बयालीस करोड़ चौंसठ लाख दस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5461,23,91,000 रुपये (पांच हजार चार सौ इकसठ करोड़ तेइस लाख इक्यानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13483,51,98,000 रुपये (तेरह हजार चार सौ तिरासी करोड़ इक्यावन लाख अट्ठानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 627,56,50,000 रुपये (छः सौ सत्ताइस करोड़ छप्पन लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10025,13,16,000 रुपये (दस हजार पच्चीस करोड़ तेरह लाख सोलह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4259,90,28,000 रुपये (चार हजार दो सौ उन्सठ करोड़ नब्बे लाख अट्ठाइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग

अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 215,64,18,000 रुपये (दो सौ पन्द्रह करोड़ चौंसठ लाख अट्ठारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 557,17,59,000 रुपये (पांच सौ सत्तावन करोड़ सत्रह लाख उन्सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 413,15,10,000 रुपये (चार सौ तेरह करोड़ पन्द्रह लाख दस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,47,48,000 रुपये (छः करोड़ सैंतालीस लाख अड़तालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1001,53,58,000 रुपये (एक हजार एक करोड़ तिरपन लाख अट्ठावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 848,32,24,000 रुपये (आठ सौ अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख चौबीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 155,38,86,000 रुपये (एक सौ पचपन करोड़ अड़तीस लाख छियासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2565,46,83,000 रुपये (दो हजार पांच सौ पैंसठ करोड़ छियालीस लाख तिरासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2756,98,85,000 रुपये (दो हजार सात सौ छप्पन करोड़ अट्ठानवे लाख पचासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप कोई विषय रखेंगे ?

[01.43] वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर कटौती का प्रस्ताव

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बाद में बोल देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि उसमें केवल एक रूपया रखा जाए। एक रूपया रखने का उद्देश्य विभागीय

नीतियों की आलोचना करना है और सरकार की उपलब्धियों और उपलब्धियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करना है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देता चाहता हूं कि हर काम में ये बहुत तेजी से कहती है कि ये काम हुआ तो पहली बार हुआ (हंसी), कभी किसी ने नहीं किया, यह पहली बार हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट भी बिना किसी व्यवधान के सारा बजट एक दिन में पास हो रहा है, इस सरकार का यह भी पहला ही काम है। एक उदाहरण भी संसदीय कार्यमंत्री बताएंगे, अमुक समय हुआ-अमुक समय हुआ-अमुक समय हुआ। लेकिन उस समय जब हुआ, तब विधानसभा बाधित थी। वेल में हमारे माननीय सदस्य थे, नारेबाजी हो रही थी, विपक्ष के लोग सदन चलाने की इच्छा में नहीं थे इसलिए उस समय की सरकारों ने बजट की अनिवार्यता को देखते हुए अपना बजट एक दिन में पास कर लिया और इसमें तो पूरा विपक्ष सरकार का सहयोग कर रहा है। अध्यक्ष जी, यही नहीं, आप भी बहुत दिन तक सदन के सदस्य के रूप में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जितना विपक्ष ने सदन चलाने में मदद किया है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कम ही हुआ होगा।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह भी पहली बार हुआ है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह हम कह नहीं रहे हैं, कहना उनका काम है। कौन सी ऐसी परिस्थितियॉ हैं कि हम विभागीय बजट प्रस्तुत नहीं कर सके, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जिसके कारण हम विभागीय कमियों को जनता के सामने अवगत नहीं करा सके ? इसलिए एक दिन में यह बजट पास करने का। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जनहित के विरूद्ध है। जिसने किसानों को ठगा है, छात्रों को ठगा है, बीमारों को ठगा है, पत्रकारों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है, सबको जो ठगने का काम सरकार ने किया है, अपने उस ठगने को ढॉपने के लिए कि कोई चर्चा न हो पाये, इधर के सदस्य कुछ बोल न पायें, इसलिए एक दिन में यह अपना बजट पास कराना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी उस दिन भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल तो शिक्षा मंत्री थे, आपके समय में बच्चों की संख्या घटी क्यों ? अध्यक्ष जी, घटी नहीं, मेरे समय में संख्या बढ़ी और मेरे समय से ही संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं ईमानदारी से उस विभाग को चलाना चाहता था, इसलिए मैं हर माननीय विधान सभा के सदस्यों को, हर ग्राम प्रधान को, हर गुरूजनों को, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष को, जिला पंचायत के मेम्बर को, हर प्रमुख को मैं हर सत्र में चिट्ठी भी लिखता था कि आप शिक्षा की गुणवत्ता के लिए स्कूल जायें, देखें, अगर टीचर नहीं हैं तो उनको भी समझायें और पढ़ाने का काम करें। मैंने जो शिक्षा विभाग की केन्द्रीय मीटिंग होती है, जिसमें देश के सारे विद्वान शिक्षक रहते हैं, तमाम विश्वविद्यालयों के वाइस चान्सलर रहते हैं,

उसमें भी मैंने इस बात को शुरू किया था कि एक तरफ तो आप प्राइवेट स्कूल की मान्यता दिए हुए हो, दूसरी तरफ प्राथमिक स्कूल की मान्यता है, एक तरफ लड़के स्कूल में बेन्च पर, पंखे के नीचे जूता-मोजा के साथ पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के नीचे पढ़ रहे हैं, आप इसकी व्यवस्था करें। मैंने बहुत कोशिश की कि लड़कों को बैग मिले, जूता मिले, मोजा मिले, यह केन्द्र सरकार की व्यवस्था है। मैंने बहुत बार कहा और उसमें हमारी सरकार ने काम भी किया, उसमें थाली गिलास दिया, दूध की व्यवस्था की और तीसरे चरण में हम लोग भी जूता-मोजा, स्वेटर की व्यवस्था की परिस्थिति में थे, सरकार इनकी आ गयी। आप कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और जो-जो मंत्री अपने विभाग के लिए पैसा माँगने आए हैं वह खुद ही यहां मौजूद नहीं हैं, उनको क्या पैसा दिया जाए, खुद भी नहीं हैं।

श्रीमन्, उस जमाने में जो भर्तियाँ हो रही थीं, यह तो कहते हैं कि ऐसी हो रही थी, वैसी हो रही थी, ठीक है, वह तो जाँच से पता चलेगा, मेरिट से भर्ती हो रही थीं, भर्तियाँ हो रही थीं। कोर्ट में ये लोग जा रहे थे, लोगों को भेज रहे थे कि जाओ स्टे ले आओ, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि कोर्ट ने सारी नियुक्तियाँ रोकीं। रोकीं, लेकिन हमारे अधिकारियों ने पैरवी करके उसमें छूट भी ली और भर्तियाँ प्रारम्भ हुईं, कुछ भर्तियाँ अभी प्रारम्भ नहीं हुई थी। जो भर्तियाँ प्रारम्भ हो गयी थीं। ..

कुछ लोगों की काउन्सलिंग हो गयी थी। यह जब सरकार आई तो उनकी ज्वाइनिंग बन्द कर दी नौकरी को बन्द कर दिया। जो चयन आयोग के माध्यम से अभ्यर्थी आये उनकी भी नियुक्ति ये नहीं करा पाये। इसी डर से एक दिन में बजट पास करा रहे हैं। कृषि विभाग, शिक्षाविभाग की हालत बहुत अधिक नहीं कहूंगा। अभी हम लोगों ने यह फैसला किया था कि दस हजार का मानदेय शिक्षामित्रों का, अनुदेशक जो पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अनुदेशक हैं 17 हजार उनको मानदेय दिया जायेगा। आज तक इस सरकार ने पूर्व माध्यमिक पढ़ाने वाले अनुदेशकों को 17 हजार का मानदेय प्रारम्भ भी नहीं किया और यही नहीं श्रीमन जब पूर्व माध्यमिक में अनुदेशकों की भर्ती हो रही थी। उसमें नियम यह था कि जिस भी दिन स्कूल में 100 बच्चों की संख्या होगी उसमें एक अध्यापक के अनुदेशक की नियुक्ति होगी, हो गयी और उसमें कुछ नहीं था। अब यह कह रहे हैं कि इनके जमाने में संख्या में लड़के बढ़ रहे हैं। मान्यवर एक जिला ऐसा है कि जहां पर एक गरीब को इसलिए निकाल दिया कि 100 से संख्या कम हो गयी। यह नियम था श्रीमन 100 के लिए तो था कि 100 लड़के होंगे तो नियुक्ति होगी लेकिन यह कहीं नहीं था कि इतने लड़के कम होने पर आपको निकाल दिया जायेगा।

यह सरकार जिसको नौकरी मिली हुई है उसकी नौकरी भी गलत नीतियों से लेने का काम कर रही है तो 17 हजार कहां से देगी उनको नौकरी से निकालने पर आमादा है इसलिए इस पर विचार करिये सरकार कि अनुदेशकों को 17 हजार मानदेय दे और जहां 100 से नीचे लड़के हो गये हैं जहां पर अनुदेशकों को निकाला गया है, उनको तत्काल बहाल करके उनको

रोजी-रोटी चलने देने की व्यवस्था करें। श्रीमन कृषि है, एक ही दिन में तो सब कहना है पहली बार यह सरकार है। शिक्षा को इन्होंने बिल्कुल निम्न स्तर का कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना इन्होंने परीक्षा के छात्रों का अपमान किया इतना इन्होंने दबाव बनाया इतना इन्होंने मानसिक दबाव डाला, हाईस्कूल इण्टर के छात्रों को कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 12 लाख से अधिक लड़के परीक्षा नहीं दे पाये। यह सरकार रोजगार देने वाली है जब पास ही नहीं होगा तो इनको रोजगार नहीं देना होगा। टी0ई0टी0 के इन्होंने शिक्षा मित्रों को नौकरी दी, ठीक था। शिक्षामित्रों को मान लीजिए हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से उनकी नियुक्ति को उन्होंने नहीं माना। हमारा भी अधिकार है, हम राज्य सरकार हैं, हम चाहे तो उसको नियमित राज्य अध्यापक बना सकते हैं। ये तो दूर रहा शिक्षा मित्रों की जो तन्ख्वाह जहा थी वहां भी इन लोगों ने उनको नहीं लौटाया और शिक्षामित्रों का, इतना टी0ई0टी0 का पर्चा अधिक कठिन किया, जानबूझ के, द्वेश से कि परीक्षा पास न कर पाये शिक्षामित्र। यही हुआ भी। 85 प्रतिशत शिक्षामित्र परीक्षा नहीं पास कर पाये और माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों ने बाद में पर्चा देखा तो बड़े-बड़े अधिकारी भी कहते थे कि हम लोग तो आई0ए0एस0 हैं अगर तत्काल हमको दे दिया जाये इसको हल करने के लिए तो हम हल नहीं कर सकते।

एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर बी0ए0, बी0टी0सी0, टी0ई0टी0 अभी इनको उस पर संतोष नहीं हुआ तो आयोग से ये परीक्षा करा रहे हैं और इतना कठिन है ये पेपर कि पांच परसेण्ट भी लड़के पास नहीं हो पाएंगे क्यों, क्योंकि इनको नौकरी देने की मंशा नहीं है, ये नौकरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों को ही सब कुछ देना चाहते हैं। मान्यवर, जो भी इनसे नौकरी मांगने आया पीटा गया। आंगनबाड़ी कार्यकत्री आई लाठी खाई और दिन भर रही जेल गई और एक कार्यकत्री पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा हुआ। रोजगार सेवक आए और मुख्य मंत्री से मांगी अपनी मजदूरी और लाठी खाए। शिक्षामित्र आए, लाठी खाए फिर वे जेल गए। जो भी आया ये पहली सरकारें हैं अध्यक्ष जी, ये सही कहती हैं कि सरकार से जो अपने पेट की रोटी मांगने आया वो लाठी खाया और क्रिमिनल धाराओं में जेल गया। कभी ऐसा नहीं हुआ। बिना आदत के आदतें तो इनको हैं नहीं वो आदत हम लोगों की है बिना आदत के किसानों के बड़े हमदर्द बन गए हैं, क्योंकि ये हमदर्द थे पूंजीपतियों के, बड़े लोगों के, लेकिन जब वोट देखा कि वोट हमको मिल ही नहीं रहा है तो कैसे किसानों को ठगा जाए, कैसे गरीबों को ठगा जाए, कैसे जातियों को आपस में लड़ाकर के उनको ठगा जाए। तो किसान का ले आए नारा ढूढ़कर के।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बहुत-बहुत घमंड में नहीं रहना है 14 वर्ष पर आए हैं ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि 24 वर्ष में भी आने की नौबत न पड़े। कभी-कभी बाढ़ आती है भादव में जब गांव के गांव डूब जाते हैं उसी बाढ़ में आप आए हैं उन्होंने कहा कि अपने वजूद से आते तो फिर आधे

लोगों की जमानत जब्त हो गई होती, क्या बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी कई लोगों ने किसान का नाम लिया और क्या भाषण दिया ? देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक प्रदेश के सभी वरिष्ठ मंत्री ने अन्य मंत्रीगण की अगर हमारी सरकार बन जाएगी किसानों तो तुम्हारा संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। बर्दाश्त करिए तकलीफ होती है तो सांस लीजिए, हवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, 36 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था इस सरकार ने की है और आधे में भी बात नहीं हो पाई। आगे जैसा हुआ जो जैसा हुआ ढ़ाई रूपया, तीन रूपया, 13 रूपया चाहे 1 लाख भी हुआ होगा का कर्जा माफ करने की बात हुई। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उसमें पैसा बचा और पुनः उस बजट के लिए उससे पैसा मांग लिया गया। किसान और किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं। आप देश के किसानों का नेता चौधरीचरण सिंह जी को कहते हैं मान्यवर, अगर उनके बाद कोई किसानों को नेता हुआ तो मुलायम सिंह यादव जी और उसके बाद अगर हुआ तो वो हुए अखिलेश यादव जी। क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसानों के कर्ज माफ करने का रास्ता निकाला था।

उन्होंने ही किया था और जब दोबारा मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री बने तो किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू की। लगा कि कोई किसान परिवार का है। अध्यक्ष जी, जरा ये लोग मानवता भी जानें। किसान की एक्सीडेण्ट में मौत हो जाती है, सॉप काटने से मौत हो जाती है, आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो जाती है। यदि एक धुर भी उसके पास जमीन है, वह किसान है तो उसके परिवार को जिलाने के लिए एक लाख रुपया दिया जाएगा। आज तक किसी सरकार ने किया। मा0 अध्यक्ष जी, जब अखिलेश यादव मुख्य मंत्री हुए इस प्रदेश के तो उन्होंने इस बात को कहा कि अगर हमारे पिता जी एक्सीडेण्ट वाले किसान को, सॉप काटने वाले को, आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत में उसके परिवार को एक लाख रुपया देते हैं तो अखिलेश यादव उसको 5 लाख रुपया देंगे और 5 लाख रुपया हमने किया। मा0 अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त नहर का पानी देने और ट्यूब वेल का पानी मुफ्त देने का ऐलान नहीं किया। अकेले समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव ने यह किया। फसल बीमा योजना, सर्वहित बीमा योजना कितना-कितना लागू किया और ये किसान की बात करते हैं। ये कर्जमाफ कर रहे हैं। अभी आज भी अखबार में है। संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि अखबार का नोटिस नहीं लिया जाता है। कितना भी नोटिस नहीं लेंगे लेकिन तीन किसानों ने आज भी आत्महत्या किया है। कर्ज के दर्द में, एक हफ्ता पहले चार किसानों ने आत्महत्या की है कर्ज के दबाव में और आप किसान के हमदर्द हो गए, किसान का सारा हित कर दिया तो फिर ये मौतें कैसे हो रही हैं।

आपने कहा कि हम किसान की आय दूना करेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस में आए और कह गए कि हम चौगुना करेंगे। ये कहते हैं कि हम दूना करेंगे। अरे, किससे दूना करेंगे, कैसे दूना करेंगे, कौन सी बात है जिससे दूना करेंगे। बबुआ लोग, जो नए लोग हैं जरा सुनें और

पुराने लोग इस बात पर विचार करें कि किसान की आय कैसे बढ़ती है, किसान की आय के स्रोत क्या हैं ? किसान की आय का स्रोत है फसल, चाहे अन्न वाली फसल हो, चाहे सब्जी हो। उसके बाद पशुपालन है, उसके बाद बाग है। तीन मुख्य कारण हैं जिससे किसान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, बढ़ती है। आपने मेला बन्द कर दिया, पशुओं को बेचना बन्द हो गया। **(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर)** अरे, भाई सुनो, काहे को छनक रहे हो। कुर्सी के नीचे कुछ लगा है, सुलग रहा है क्या। अरे बात सुनो, आपकी बारी आए तो कह लेना, कोई मना थोड़े किया है। मा0 अध्यक्ष जी, इन लोगों को समझाइए नहीं तो मैं बैठ जाऊँ। इस भाषण का क्या मतलब निकलता है।

श्री अध्यक्ष-

टोकाटोकी नहीं होनी चाहिए। गलत बात है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब मुख्य मंत्री बोलते हैं तो हमारी तरफ से एक आदमी चूँ नहीं करता है। यह कौन सा आचरण है। मा0 अध्यक्ष जी, मेला बन्द हो गया। हर गॉव में ऐसे 10-15 किसान होते थे। जो भैंस खरीदते थे, गाय खरीदते थे, बैल खरीदते थे, पाड़ा खरीदते थे, पाड़ी खरीदते थे। इस मेले से उस मेले ले जाते थे, बेचते थे। जो लाभ मिलता था उससे परिवार चलाते थे। मेला बंद हो गया अब कोई घर के काम के लिए भी गाय खरीदकर 10 कोस दूर से अपने गॉव ले आ रहा है तो कह देते हैं कि तुम कटवाने के लिए ले जा रहे हो उसको बंद कर देते हैं, जेल अलग और घूस अलग चलती है। किसानों की क्या दुर्दशा आपने कर दी और कहते हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं। ये कह रहे थे कि हमने बछड़े छोड़ दिये हैं, मुख्य मंत्री जी, बड़ा सही बोल रहे थे। बछड़े इनकी नीतियों के कारणों से छूट रहे हैं यह बात सही है जो नीतियॉं इन्होंने रखी हैं उन्हीं नीतियों की देन है कि सड़कों पर, खेत पर इतने गाय-बछड़े सब घूम रहे हैं। इनकी नीतियों की वजह से घूम रहे हैं। बिजली विभाग श्रीमन्, मैं यह कई बार पूछता हूं कि इस सरकार ने अपनी शपथ के बाद और आज तक कितने सब स्टेशन बनाये हैं ? एक साल के अंदर नये कितने सबस्टेशन बनाए हैं जो बिजली के बारे में बड़ा हल्ला ये लोग करते हैं। **''राम-राम कहना पराया काम अपना''** बिजली का सारा काम समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में किया था। हजारों ट्रान्सफार्मर लगे, हजारों बिजलीघर बने 32 के0वी0ए0, 432 के0वी0ए0 आदि के। आपने क्या एक भी प्रदेश में बिजलीघर बनाया और इतना ही नहीं यही श्री ललई जी विद्युत राज्यमंत्री थे। इन्होंने घोषणा की थी कि 18 घंटे गॉव को, 20 घंटे शहर को और 24 घंटे जिला हेडक्वार्टर को बिजली देंगे उस काम को यह बता रहे हैं कि हमारा काम है।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, जब बातें सत्य से परे हो जाती हैं तो गला अवरूद्ध होने लगता है, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

इनके भी सिर से ऊपर पानी हो जाए। कृषि मंत्री के भी सिर से ऊपर पानी हो जाए, तब तो इनको पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्योंकि आप इतने लंबे हैं कि सिर से ऊपर

हो ही नहीं पा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि झूठ का पुलिन्दा जो इतना लम्बा हैं फिर भी आपके सिर के नीचे बह रहा है यही तो मैं भी कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि बिजली के कारखाने के माध्यम से एक दिन में एक यूनिट भी इस सरकार ने बिजली बना दी हो। अगर सब स्टेशन नया बनाया हो एक यूनिट बिजली लगा दी हो बता दें, लेकिन रोज सदन में कहते हैं कि हमने बिजली विभाग में ऐसा कर दिया। किया हमने और ये कह रहे हैं कि हमने कर दिया। ठीक है तुमने कर दिया तो करो भैय्या। यह हाल है इनका कृषि में माननीय मंत्री जी बजट कम हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

यदि एक रूपया हो जाएगा तो फिर तो बात ही पूरी नहीं होगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बात ही तो पूरा करने के लिए हो रहा है। वह तो एक संसदीय परिपाटी है आलोचना और समालोचना के लिए, सब जानते हैं उसके तो आप मास्टर हैं। श्रीमन्, किसान की थोड़ी नहीं बहुत अहम इस प्रदेश में भूमिका रही है जो किसान अपना खेती से काम चलाता है, बुनकर अपना हथकरघा से काम चलाता है, जो सहूलियतें हमने दी थीं, उसको भी ये समाप्त करने जा रहे हैं।

वर्ष 2006 में तात्कालिक सरकार द्वारा बुनकरों के कल्याण हेतु किसानों के बाद पावर लूम, बुनकरों के फ्लैट रेट, बिजली दिए जाने का शासनादेश 1969/24पी0थ्रि/2006 दिनांक 14.2.2006 जारी किया गया था कि प्रदेश में किसानों के बाद सबसे अधिक बुनकर हैं जो पावर लूम के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, जिसमें बुनकरों को रूपये 130 प्रति हॉर्स पावर प्रति माह मशीन की क्षमता के अनुसार देना सुनिश्चित किया जाये, यह इसको हटा रहे हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि यह सब्सिडी भी खत्म करने जा रहे हैं। पहले यह बिल जमा कर देंगे फिर विभाग प्रमाण-पत्र देगा कि हमने बिल जमा कर दिया है तब सब्सिडी विभाग कहेगा कि हां इनको सब्सिडी दिया जाये, तो दलाली खाते में चला जायेगा। यह क्यों ? सब्सिडी बुनकरों को सीधे क्यों न दिया जाये और बुनकर पहले क्यों पैसा जमा करें ? इसलिए बुनकरों के साथ भी काफी भेदभाव हो रहा है और जानबूझकर हो रहा है, धर्म के आधार पर हो रहा है जबकि बुनकर जितना मुसलमान है उससे कमोवेश उतना ही हिन्दू भी है। सीधा विद्युत विभाग के खाते में दे और बुनकरों की जो भी समस्याएं हों यह सरकार उसका समाधान करे।

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था कैसी है ? 'न भ्रष्टाचार, न गुण्डाराज अबकी बार भाजपा सरकार' यह इनका नारा था। गुण्डई चरम सीमा पर, अधिकारियों के साथ जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है, कोई बात छिपने वाली नहीं है, वह वीडियो पर आ रही है, फेसबुक पर आ रही है, सब चीजों पर आ रही है। पुलिस से मारधाड़, एस0डी0एम0 से मारधाड़, महिला एस0डी0एम0 से मारपीट, डॉक्टर से

मारपीट, कृषि पशुपालन निदेशक से मारपीट, कृषि निदेशक से मारपीट कोई विभाग बचा नहीं जिससे इन लोगों की मारपीट न हो गयी हो। अवैध खनन, अवैध खनन हमारी सरकार में होता था ? पूरा अवैध खनन इनके लोग करा रहे हैं चाहे वह बालू हो, चाहे मौरंग हो। सब लोग लगे हुए हैं, पहले सी0बी0आई0 जांच इसकी होनी चाहिए कि अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। झगड़ा तो इस बात का है कि अमुक क्यों कर रहा है हम क्यों नहीं करा रहे हैं। डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण, छिनैती जितने भी आई0पी0सी0 की धाराओं में काम होते हैं, सब हजार गुना बढ़ गए हैं और यह काम रोकने के लिए कुछ नहीं हुआ ? जब मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी थे सब सड़ी-गली थानों पर गाड़ियां थीं अगर कोई सूचना देता कि थानेदार साहब फलाने गांव में डकैती पड़ी है तो दरोगा जी पूरी वर्दी पहनकर के तुरंत गाड़ी पर बैठे। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करे तो कुछ नहीं, तो पहले चार सिपाही उसको आधे घण्टे धकेलते रहते थे तब गाड़ी स्टार्ट होती थी। हर थाने में मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने दो-दो नयी गाड़ियों की व्यवस्था की। कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार। 1090 का हमने ईजाद किया, महिलाओं और लड़कियों की इज्जत को बचाने के लिए। उसको भी इन्होंने ढक दिया, काले कारनामों में ढक दिया। 100 डायल अमेरिका के बाद हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया व्यवस्था लाये थे मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सम्मानित भी किया गया इन्हीं के राज में, 100 डायल के लिए। चूंकि वो भी अखिलेश यादव जी का काम है, इन्होंने उसको भी ठण्डे बस्ते में जैसे-तैसे रख दिया है। हमारी पुलिस के सब वही पुराने हथियार हैं। अभी एक दिन आ रहा था, एस0पी0 साहब गये थे थाने पर, सबसे फायर करवायी गयी, लेकिन आधे उसमें से फायर ही नहीं हुए। एक बार हम भी मंत्री थे, अपने क्षेत्र से मैं आ रहा था, बहुत से लोग इकठ्ठे थे। हमने सोचा कहीं से डकैत पकड़े गये हैं, हथियार रखे हुए हैं। मैंने उतरकर देखा तो पता चला एस0पी0 साहब हैं। उन्होंने कहा कि मैं थाने के सिपाहियों से हथियार दिखवा रहा हूं कि वो सही चल रहे हैं या नहीं। हमने कहा ठीक है नमस्कार। हमारा जो सहयोगी साथी है उसको बुला लिया, जरा आप चलाइये। उन्होंने भी तीन बार प्रयास किया, लेकिन एक बार भी नहीं चला। क्या इस सरकार ने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नये और अत्याधुनिक हथियारों की व्यवस्था इस बजट में की है, नहीं की है और इस सरकार में एफ0आई0आर0 लिखे तक नहीं जा रहे हैं श्रीमान्। राम पाल राजवंशी जी गवाह हैं, एक-दो बार के मंत्री, कई बार के पूर्व विधायक थे, कनपटी पर सटा दिया गया रिवाल्वर, तब तक बाजार के लोग दौड़ पड़े, सब भाग गये। पूर्व मंत्री थाने में गये, गवाह भी बाजार से गये साहब फलाने आदमी ने इनकी कनपटी पर सटा दिया है, किन्तु एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। आप कहते हैं कि एफ0आई0आर0 लिखी जा रही है।

लखनऊ के एक गांव में 26 वर्षीय एक मन्दबुद्धि विवाहिता के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने जबरन बलात्कार किया। पीडिता थाने गयी, लेकिन उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया और न ही एफ0आई0आर0 लिखी गयी। तहरीर लेकर जांच का भरोसा देकर वापस कर

दिया गया। यह घटना दिनांक 25.03.2018 की घटना है, मन्दबुद्धि महिला की घटना है, इसकी भी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। सरोजनी नगर थाने के पवित्र गुड्स कैरियर के मालिक ट्रक और ड्राइवर सहित दिनांक 18 मार्च से गायब हैं, लेकिन एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी है। थाना कोठी जनपद बाराबंकी के मीर गांव में एक पब्लिक स्कूल की शिक्षिकाओं के साथ दबंगों ने अभद्र व्यवहार किया, किन्तु थानेदार ने एफ0आई0आर0 नहीं लिखी। डी0जी0पी0 ने लखनऊ पुलिस को फटकार लगाई। जब लखनऊ में फरियादियों की एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो रही है तो जिलों में क्या हालत होगी ? इसका मतलब है कि अगर एफ0आई0आर0 शत प्रतिशत लिखी गयीं होती माननीय अध्यक्ष जी, तो उत्तर प्रदेश का क्राइम का रिकार्ड हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में नम्बर एक हो जाता

(कई सदस्यों द्वारा तारीख सही करने अर्थात् 24.03.2018 के लिए बोला गया)।

श्रीमन् स्वास्थ्य विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, उस पर हमने काम किया और हमारी सरकार ने काम किया। हम यह नहीं कहते कि सब कंट्रोल हो गया लेकिन हमने काम करने की इच्छा प्रदर्शित की। हमने सभी जिला अस्पतालों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर फ्री में दवा की व्यवस्था का एलान कर दिया। अस्पतालों में जो जॉच होती थी खून की, बलगम की, पेशाब की, पाखाना की इसके अलावा एक्सरे और अल्ट्रासाउन्ड होता था, उसको भी हमने माफ कर दिया था। जो सबसे गंभीर बीमारी किडनी की, जिसमें डायलिसिस होती है हमने यह व्यवस्था की थी कि हर मंडलों पर फ्री में डायलिसिस की सुविधा मरीजों की दी जायेगी। गॉव में जो गरीब आदमी बीमार होता था और हास्पिटल नहीं पहुँच पाता था और तड़पड़कर मर जाता था, भाड़े की गाड़ियॉ महंगी थीं, उनकी सुविधा के लिये 108 नम्बर की एम्बुलेंस चलाई। हमने दवा फ्री की, जॉच फ्री की, डायलिसिस फ्री की और गांव से मरीजों को हास्पिटल लाने के लिये वाहन फ्री की व्यवस्था की। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की स्वस्थ डिलीवरी हो सके, इसके लिये 102 नं0 एम्बुलेंस चलाने की व्यवस्था की। एक दिन कह रहे थे मुख्य मंत्री जी, कि लाइफ सपोर्ट गाड़ी इन लोगों ने नहीं लिया।

अध्यक्ष जी, खाली माचिस फेंक देंगे और अगर उसमें तीली नहीं रहेगी तो वह माचिस जलेगा क्या। इसी प्रकार खाली गाड़ी आपने दे दिया तो खाली गाड़ी लेकर हम क्या करेंगे। जैसे महोबा में जब पीने के पानी की किल्लत हो गयी थी तो केन्द्र सरकार ने ट्रेन से बिना पानी के खाली डिब्बे भेज दिये थे। ऐसे ही खाली गाड़ी हम लोगों के पास भेजी जा रही थी, हम काहे को उसको लें। हम लोग स्वास्थ्य के विषय में बहुत काम किये हैं। आपने क्या किया। नया काम आपने स्वास्थ्य विभाग में कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया, केवल गड़बड़, गड़बड़। बस यह कहते रहते हैं कि यह मैनें पहली बार किया, पहली बार किया। तो माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश का अगर सत्यानाश भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पहली बार होगा। एस0एफ0एल0 स्पेशल फारेसिंक लैब, लखनऊ और एस0एफ0एल0, आगरा इसके

आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। जबकि इसी की गलत जांच के कारण इस विधान सभा की देश और दुनिया में कितनी बड़ी बेइज्जती हुयी। जब वह पाउडर मिला था तब कह दिया गया था कि यह विस्फोटक है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पूरा विधान सभा भवन इससे एकदम उड़ जाता। ठीक कहा, जबकि था पाउडर और माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी बैठते हैं मेरे सामने। यहॉ से कितना दूर है और आप जहॉ बैठते हैं वह कितना दूर है। इधर अखबार के लोग बैठते हैं और इधर हम विपक्ष के लोग बैठते हैं। जान का खतरा न विपक्ष के सदस्यों को, न पत्रकारों को, न माननीय अध्यक्ष को, न नेता विरोधी दल को। जान का खतरा अगर यहॉ फूटा होता तो जान का खतरा न माननीय विधायकों को, न पत्रकारों को, न माननीय अध्यक्ष को, न प्रमुख सचिव को, न इन लोगों को, न नेता विरोधी दल को। खतरा किसको हो गया, माननीय नेता सदन को और महामहिम गवर्नर को, इनकी सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गयी। तो अगर गलत तथ्य नहीं आया होता, इसमें आधुनिकी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, विधान भवन के लिए आधुनिक उपकरणों के बारे में कुछ नहीं है। साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहे हैं। उसके विषय में रोकथाम के लिये कोई उपाय नहीं है। इन्होंने कहा, बहुत छाती पीटा अरे हमने एंटी रोमियो स्क्वायड बना दिया। मैंने जानना भी चाहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी शादी विहीन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी शादी विहीन और सरकार के दोनों पावरफुल व्यक्ति, इनको उसके विषय में कैसे याद आ गया ? रोमियो के विषय में, कैसे इन लोगों ने पढ़ा कि रोमियो कौन था ? भाई-बहन को इन लोगों ने पार्क से ले जाकर जेल में बन्द करने का काम किया। पति-पत्नी को बन्द करने का काम किया और जब इसका विरोध हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही विरोध किया, तब जाकर कुछ मामला बन्द हुआ। प्रेम की हालत यह लोग क्या जाने। राधा-कृष्ण का प्रेम, दुनिया के लोग आ करके, देखिये मथुरा-वृन्दावन में साधु होकर पूजा कर रहे हैं और लिखते हैं। राम-सीता का प्रेम फुलवारी में हो गया था। जब राम जी गये थे फुलवारी घूमने, सीता जी आयी थी फूल तोड़ने, उसी में प्रेम हो गया था। शंकर-पार्वती का प्रेम, पार्वती जी को कितने दिन तप करना पड़ा, अपने प्रेम को पाकर, शिव को पति बनाने के लिये। यह हिन्दू धर्म की बात करने वाले हिन्दू विरोधी लोग प्रेम पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं कि हम प्रेम पर प्रतिबंध लगा देंगे। आज तक प्रेम पर न कोई प्रतिबंध लगाया है और न प्रेम पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है। इसीलिये एंटी रोमियो स्क्वायड अपने आप फेल हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

पहले आप लोग बोल लीजिये, हम सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बाधा न डालिये, अब आप कनक्ल्यूड करिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

क्या, माननीय मुख्य मंत्री से विधायकों का प्रेम कोई रोक सकता है, क्या विधान सभा से हमारा प्रेम, प्रणाम, लगाव कोई छीन सकता है ? तो हवा में बात जुटाने के लिये क्या-क्या नियम-कानून लेकर आते हैं, सोचने की भी फुरसत नहीं है। श्रीमन्, इसलिये मैं आपका भी इशारा समझ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रेम वाला इशारा है। हमने कहा यह इशारा प्रेम का है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्रेम को हम लोग मानने वाले हैं, इसलिये यह इशारा समझ लिया है, यह लोग नहीं समझ पायेंगे। इसलिये मैं कह रहा हूं, श्रीमन्, जितने भी विभागों का बजट आज पास हो रहा है। मैंने उस दिन जनरल, वित्त विभाग के भाषण में कहा था कि सब विभागों में कटौती, अधिकतर विभागों का पैसा खर्च ही नहीं हो पाया है। इसलिए यह बजट जन विरोधी है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र-छात्रओं विरोधी है, पत्रकार विरोधी है, उत्तर प्रदेश में जो-जो जन-जन जी रहा है उसका विरोधी है, पशु-पक्षी और लता-पताका तक का यह विरोधी है।

(नेता विरोधी दल के पास एक पर्ची आने पर)

श्री अध्यक्ष-

और यह जो पर्ची है इसका भी विरोधी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, फर्जी एनकाउंटर, कर रहे हैं, एनकाउंटर में भी इन लोगों ने प्राथमिकता हासिल कर ली है। हिन्दुस्तान की बात मैं कहता हूं इतना अधिक एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ होगा। फर्जी हो या सही हो, ये तो सही जानकर कर रहे हैं लेकिन अध्यक्ष जी मुठभेड़ होती है आमने सामने और 90 प्रतिशत जो क्रिमिनल हैं उनको यहां न गोली लग करके पैर में गोली लग रही है और जो सिपाही भी घायल हैं कुछ को छोड़ करके जो वास्तव में मुठभेड़ें हुई थीं जो बॉदा में, चम्बल की घाटी में हुई थीं, उनके भी टंगड़िये में ही गोली लग रही है। दोनों का निशाना गलत, पुलिस का भी निशाना गलत और डकैत और मारने वाले का भी निशाना गलत। कई बार मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 मंत्रीगण, मा0 सदस्यगण कई बार इस बात को कह चुके हैं कि क्राइम को हमने घटाया है जो डाकू था, जो खतरनाक था उसको मुठभेड़ में मार गिराया, जो बाकी था उसको जेल में बन्द कर दिया, जो बाकी था वह प्रदेश छोड़ करके भाग

गया तो मा0 अध्यक्ष जी आज जो यह क्राइम हो रहे हैं वह कौन कर रहा है। जब सब मार दिये गये, बाकी जेल में बन्द कर दिये गये, बकिया डर के मारे छोड़कर भाग गये तो फिर आज क्राइम कैसे हो रहा है। अभी हम क्यों कहें कि ये खुद कर रहे हैं, ये हमेशा नहीं कह सकते, मैं संसदीय गरिमा को निभाने वाला आदमी हूं, यह मैं कैसे कह सकता हूं। दंगा नहीं होगा हमारे राज में, कैसे दंगा होगा, हम भी जानते हैं कि नहीं होगा, जब आकर यहां बैठ गये हैं तो दंगा वहां करेगा कौन।

सत्तापक्ष की ओर से-

जवाहरबाग के बारे में बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

चलिये, जवाहरबाग का हम जान रहे हैं। जो भी कह दे सभी की हम सुनते हैं। मान्यवर, फिर मैं कहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी, गरीब विरोधी, कर्मचारी विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र-छात्रओं का विरोधी, सब जन का विरोधी, सपा, बसपा, कांग्रेस विरोधी है। किसी भी माप पर यह खरा उतरने वाला बजट नहीं है इसलिए मैं अपने बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, बजट पर जो मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कटौती प्रस्ताव रखा उस पर आपने मुझे बल देने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, अभी नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को रखा कि तमाम ऐसे अवसर आये हैं कि बजट एक साथ पास हुए होंगे लेकिन निश्चित रूप से जब सदन में व्यवधान रहा होगा उस बीच में ऐसे अवसर आये होंगे। लेकिन आज मान्यवर, जिस तरह से एक साथ 98 विभागों का बजट प्रस्तुत किया गया, निश्चित रूप से यह पहली बार हुआ है, लेकिन कई विभाग होने के बाद तमाम व्यवधान भी उसमें आए होंगे।

(कई सदस्यों के कुछ टिप्पणी करने पर)

श्री लाल जी वर्मा-

जब आपका अवसर आयेगा तो आप बोलिएगा। मान्यवर, यह परंपरा गलत है। अगर इतना अहंकार संख्या के बल पर है तो अभी गोरखपुर और फूलपुर के उप लोकसभा चुनाव ने आपके अहंकार को मिटाया है, और जब-जब अहंकार हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आप एक मिनट बैठ जाइए। बैठे-बैठे टिप्पणी से सदन का वातावरण काफी गड़बड़ हो जाता है और टिप्पणी करने वाले मा0 सदस्य नहीं समझ पाते कि वक्ता फिर आप

से सीधे बात करने लग जाते हैं और इससे उनका बोलने का समय भी बढ़ जाता है। हमने कई बार खड़े होकर आपसे अनुरोध किया है और मैं नहीं समझ पाता हूं कि हमारे अनुरोध का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी पारी पर, जब हमारा आपका पक्ष बोलेगा, तो उस समय पूरी छूट मिलनी चाहिए। हमने देखा है कि विपक्ष के सदस्य जब मा0 मुख्य मंत्री जी बोल रहे हों, संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हों, मा0 उप मुख्य मंत्री बोल रहे हों तो उस समय वे सुनते हैं और अपनी पारी पर आक्रामक होते हैं। हम लोग बैठे-बैठे न बोलें, यह ठीक रहेगा, यह हमारा आप लोग से अनुरोध है। मा0 वर्मा जी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 खन्ना जी भी और तमाम वरिष्ठ सदस्य भी बहुत नियमों का हवाला देते थे। हमें भी बड़ा अच्छा लगा, जब नेताओं की बैठक में मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि हम 100 दिन सदन चलाना चाहते हैं। मान्यवर, हमारी जो नियमावली है उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958। मान्यवर, उसमें मांगों पर मतदान 188 है। उसमें लिखा है अध्यक्ष सदन के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिए 24 दिनों से अन्य अधिक के दिन नियत करें। उप नियम-1 के अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे कर में उपस्थित की जायेगी, जैसा कि सदन नेता, विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें। अब 24 दिन जहां अनुदान मांग पर बहस होनी चाहिए थी। एक-एक विभाग पर हम कटौती रखने का काम करते, उसमें पूरी तैयारी के साथ हमारे सभी सदस्य आते, अपनी बात रखते। विभागीय मंत्री अपनी एक साल की उपलब्धि का लेखा-जोखा रखने का काम करते, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करने का अवसर भी रहता और पिछली बार कहां चूक रह गयी है उस चूक को फिर दोहराया न जाए, तो उस पर निश्चित रूप से मंथन होता, लेकिन आज यह जिस तरह से रखा गया, निश्चित रूप से उसमें कोई बहुत गुंजाइश नहीं है कि हम उस पर बहुत ज्यादा विचार मंथन करने का काम कर सकें। मैं बहुत बातें दोहराना नहीं चाहूंगा। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जिन बातों को रखा है, मैं उसका भी उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार घोषणाओं की सरकार है। इनके मन में यह है कि हम अगर घोषणा कर देंगे तो यह पूरा हो जायेगा। कहा 24 घण्टा बिजली मिलेगी, उत्पादन बढ़ा नहीं, 24 घण्टा बिजली मिलने लगी। कहा गुण्डे अपराधी सब बाहर चले गये या जेल में हैं, लेकिन आज अपराध बढ़े हैं। एंटी रोमियों का गठन किया गया, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हैं उसमें 64 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यानि हर घोषणा असफल साबित हो रही है। यह भी कहा कि हम लैपटॉप देंगे, लैपटॉप का कहीं उल्लेख नहीं आया। आज भी जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति है वह भी समय से नहीं मिल पा रही है। शादी अनुदान नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से किसान बीमा दुर्घटना एक अच्छा विकल्प है लेकिन जो बीमा कम्पनी है जिसको दुर्घटना का पैसा किसान को देना होता है वह तमाम अड़चन लगा देती है, उसमें कहती है कि

यह कमाऊं व्यक्ति नहीं है। अगर उसके नाम जमीन है, वह बीच में मारा गया है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो पैसा मिलना चाहिए। तमाम तरह की आपत्तियां लगा कर किसान बीमा दुर्घटना का भी पैसा लोगों को नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। मान्यवर, अपराध रोकने के लिए मेरा भी यह मानना है और हमारी पार्टी का विशेष रूप से इस पर जोर है कि जब तक कानून का राज नहीं होगा विकास की योजनायें धरातल पर उतर नहीं पायेंगी। इसलिए कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी सरकार को निभानी चाहिए।

आज कानून का राज स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति को समान समझना होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, अगर सत्तापक्ष कानून से ऊपर हो जायेगा तो अपराध नहीं रुकेंगे। एक घटना नहीं अनेकों घटनायें हैं, टी0वी0 रेडियो पर हम लोग रोज देखते हैं सत्तापक्ष के द्वारा कहीं पुलिस को दौड़ाया जा रहा है, कहीं किसी को धमकाया जा रहा है। एक मेरे सत्तापक्ष के विधायक मित्र हैं उनकी एक अधिकारी से झड़प हुई, कुछ मारपीट भी हो गयी, मैंने पूछा कि आप क्यों ऐसा करते हो ? तो कहने लगे कि यह बी0एस0पी0 थोड़े ही है कि हम निकाल दिये जायेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी है इसमें हम मारेंगे तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। तो अगर इस तरह का हम आचरण करेंगे तो कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। अगर कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो पक्ष-विपक्ष नहीं, जो भी कानून का उल्लंघन करे उसके साथ एक समान व्यवहार करना होगा, उसको कानून के आधार पर जेल पहुंचाने का काम करना होगा, तभी कानून का राज होगा। मान्यवर, निश्चित रूप से उस दिशा में यह सरकार काम नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि अपराध घट गया। कहीं भी अपराध लिखा नहीं जा रहा है इसका उदाहरण मेरे पास है। मेरे ही क्षेत्र में थाना अहिरौली है उसमें खेंवार एक गांव है उस गांव में एक व्यक्ति की मोटर साइकिल चोरी होती है, मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी उस चोरी की एफ0आई0आर0 15 दिन बाद लिखी जाती है। जब मैंने एस0पी0 से बात की तो एस0ओ0 ने मुझे बताया कि एफ0आई0आर0 लिख दी गयी। मैंने कहा कि आज तक नहीं लिखी गयी और जब अन्तिम बार मैंने विशेष रूप से आग्रह किया तब जाकर उसकी 15 दिन बाद एफ0आई0आर0 लिखी गयी और कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। मान्यवर, निश्चित रूप से चुनाव के समय जो मुख्य नारा था और यह बात सही है कि जितना ब्राडिंग करने में या जितना असत्य बोलने में इस सरकार को महारत हासिल है, शायद इस पर अगर कोई नोबेल पुरस्कार मिलना होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरूर मिल जाता। पहली बार, पहली बार, पहली बार की बात करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री खड़े होते हैं कि हमने 6 हजार डॉक्टरों की नियुक्ति पहली बार कर दी। इसी तरह से हर विभाग में हो रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी को तो हर बात पहली बार लगता है। मा0 राजनाथ सिंह जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं किया था, मा0 कल्याण सिंह जी थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया

था। यानि अपनी पार्टी के भी लोगों को उन्होंने कुछ नहीं समझा, सब कुछ पहली बार। गड्ढामुक्त सड़क की बात आयी, मा0 कलराज मिश्र जी भी लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, गड्ढामुक्त सड़क का अभियान चलाने का काम किया था तब भी गड्ढामुक्त नहीं हो पाया था और आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा सड़कें गड्ढामुक्त नहीं हो पायीं निश्चित रूप से हम उस दिशा में ठोस कार्य नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, आपको इस बात की जानकारी है 1977 के बाद जब जिला योजना आया और उस जिला योजना के माध्यम से मा0 जनप्रतिनिधियों की बैठक के माध्यम से निर्णय होता था जिलों में कुछ काम हो जाते थे और गॉव की सड़क बनना शुरू हो जाता था। मान्यवर, शुरुआत हुआ 1977 के बाद से लेकिन आज फिर जिला योजना बेकार चली गई। एक साल पूरा बीत गया जिला योजना का एक भी पैसा जिला योजना की बैठक में निर्धारित सड़क पर उस पैसे को खर्च करने का काम नहीं किया गया। प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया गया। उस पर इस बजट में कोई प्राविजन नहीं किया कि हम जिला योजना में उस पैसे को अनिवार्य रूप से खर्च करायेंगे। निश्चित रूप से उस दिशा में पहले करने का काम नहीं किया गया। अभी जब एक साल पूरा होने का दिन मनाया गया 36 हजार करोड़ हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। एक लाख रुपये तक का कर्जा। 36 हजार करोड़ का बजट प्राविजन किया गया था और खर्च हुआ 20 हजार करोड़ रुपया और माफ हो गया 36 हजार करोड़ रुपया। बड़ा आश्चर्य लगता है कि 20 हजार करोड़ खर्च करके 36 हजार करोड़ माफ कर दिया। कहां से आ गया 16 हजार करोड़ रुपया। हमारा जो ऑकड़ा है, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो साहित्य उपलब्ध कराया उसी में है कि कृषि विभाग का कितना पैसा खर्च हुआ जो उस मद में रखा गया था या 83 में जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के लिये रखा गया था उसमें से कितना खर्च हुआ। दोनों का जोड़ने के बाद भी 20 हजार करोड़ रुपया नहीं हुआ और माफ हो गया 36 हजार करोड़ रुपया। बड़ा जादूगरी है, इतना बढ़िया जादूगरी तो जो गांव में बाजीगर जाते हैं वह भी नहीं दिखा पाते हैं। आश्चर्यजनक लग रहा है।

मान्यवर, निश्चित रूप से यह बजट यह जो विभिन्न विभागों का है उसको देखने के बाद, एक साल की उपलब्धि को देखने के बाद हमारे एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें मार्क्स देना हो 10 अंक में कितना अंक तो उन्होंने कहा कि 3 अंक। टी0वी0, रेडियो सबने कहा कि जब कैबिनेट के एक मंत्री भी कह रहे हैं तो हम उससे इतर कैसे जा सकते हैं। वह 3 प्रतिशत कह रहे हैं सरकार के प्रति कुछ नर्मी के कारण। हमारा मानना है कि एक परसेन्ट भी शायद न हुआ हो। निश्चित रूप से किसानों की आमदनी दोगुना बढ़ाने की बात करते। किसान को पहले 300 मीटर तक बिजली का कनेक्शन फ्री मिला करता था। आपने सरकार बनाई, आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं 300 मीटर तक फ्री बिजली देने की जगह पर उसका बिजली का दाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर 300 मीटर तक की लाइन को जोड़कर किसान को बिजलीकरण करने का, नलकूप का विद्युतीकरण करने का काम करते तो शायद किसान को

लाभ होता। दूसरी तरफ जहां पहले उसकी फसल को नीलगाय खाया करती थी। नीलगाय के कारण किसान परेशान था अब बछड़े भी आ गये और उस बछड़े के कारण, आप गॉव में जाइये हमारे सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक ने भी कहा कि गांव में हम जाते हैं तो किसान हमसे कहता है कि कुछ मत करो इनसे हमको छुटकारा दिला दो। यानि आज बड़े पैमाने पर 40-50 की संख्या में यह किसान की जो फसल है उसको चरने का काम कर रहे हैं और आमदनी उसकी दोगुनी हो रही है। मान्यवर, बड़ा ढ़िंढोरा पीटा गया कि हमने रबी में किसान के गेहूं की क्रय करने का काम किया। खरीफ में कहा कि 40 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदने का काम किया। किस तरह से खरीदा गया है, आप सब लोग जानते हैं। आप भी किसान हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, गांव में भी जाते होंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार का चावल विशेषकर पूर्वांचल के जिलों में बिहार के चावल को किसान के नाम पर दिखा कर खरीद कर कोटा पूरा करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि किसान को धान का दाम 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं मिल पाया। उस दिशा मे ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया गया।

निश्चित रूप से इसी तरह से नकल रोकने के बारे में बड़ा चर्चा किया हमारे मंत्री जी ने। बड़ा प्रयास भी किया और स्वयं भी गये। हम भी मानते हैं कि नकल पूरी तरह से रुकनी चाहिए। किसी भी छात्र को नकल के माध्यम से पास नहीं होने देना चाहिए। उसके लिये हमें एक बेहतर सेवा देने की भी जरूरत है। विद्यालयों का ढांचा भी ठीक करने की जरूरत है। पठन-पाठन ठीक से हो, शिक्षक ठीक से हों। मेरे गांव में एक उच्चीकृत हाई स्कूल है। नवीं दसवीं की वहां क्लास चल रही है और दो टीचर हैं। एक ब्लैक बोर्ड है जिस कक्षा में जाते हैं उसी ब्लैक बोर्ड को उठाकर उस कक्षा में ले जाते हैं अगर दूसरी कक्षा में जाते हैं तो उसी ब्लैकबोर्ड को ले जाकर उस कक्षा में ले जाते हैं पढ़ने के लिए कोई कुर्सी, मेज नहीं है और उसके बाद भी कहते हैं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का काम कर रहे हैं। अगर शिक्षक विहीन विद्यालय होंगे, बोर्ड विहीन विद्यालय होंगे, पेयजल की समस्या होगी, टॉयलेट की समस्या होगी, उसके बाद हम उन छात्रों से अपेक्षा करें कि बिना नकल के वह पास हो जाएंगे यह मुमकिन नहीं है। हमें निश्चित रूप से नकल रोकने का सख्त प्रयास करने की जरूरत है और साथ ही साथ उनका अच्छा पठन-पाठन हो सके उसके लिए जितनी भी आवश्यकतायें हैं उसको भी पूरा करने की जरूरत है लेकिन यह जो शिक्षा विभाग का बजट है उसमें माध्यमिक शिक्षा का जो बजट है उसके द्वारा कहीं परिलक्षित नहीं हो पा रहा है कि हम इस दिशा में कोई पहल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस पर भी, जिस तरह से आपने नकल रोकने के लिए दौरा करने का काम किया जिलों-जिलों में आपने जाने का काम किया, उसी तरह से इसमें भी अपनी एनर्जी लगाइए। सरकारी विद्यालयों में भी जाने का काम करिए। शिक्षकों की स्थिति भी देखने का काम करिए कि शिक्षक हैं या नहीं हैं। अगर शिक्षक विहीन विद्यालय रहेंगे तो नकल रोकने

का काम करने के बाद भी लोगों का हित नहीं हो पाएगा। इसलिए उस दिशा में भी हमें पहल करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, अगर कृषि की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं हम बिजली की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, आज भी निजीकरण की बात आई, हम लोगों की चाहत थी कि उस पर अलग से चर्चा हो, लेकिन जिस तरह की बात आई लाइन लॉस की, लाइन लॉस होती रहेगी। अगर हम अपने अधिकारियों को ठीक नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से इस पर कदम उठाया जाना चाहिए, निजीकरण सरकार का उद्देश्य है, लोक हित का है, सरकार का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। हमारी जो सरकार बनती है इसका उद्देश्य लोक हित है। जनता के हित के लिए हमें काम करना है और जब लोकहित के लिए हमें काम करना है तो हमें उसमें लाभ और हानि को देखने का काम नहीं करना है। जो हमें बिचौलियों के माध्यम से हानि हो रही है उसको हमें पूरी ताकत से रोककर जनता को उसको लाभ पहुंचाने का काम करना चाहिए उसको हमें पूँजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम नहीं करना चाहिए। अगर हमें पूंजीपतियों के हाथ में ही सौंपना है तो दे दीजिए अम्बानी जी को, पूरी सरकार चलाने की जिम्मेदारी, वह चलावें, जिस तरह से व्यवस्था करना चाहें करें। हमने जनता के हित में संसदीय प्रणाली स्वीकार किया। हमने पांच साल में चुनाव की स्थिति रखी कि हम जनता के बीच में जाएं समझें हमें डर रहे लोकलाज का डर रहे इसलिए हमने इस प्रणाली को स्वीकार करने का काम किया है। तो उस लोकहित के लिए हमें काम करने की जरूरत है हम निजीकरण करके लोकहित नहीं कर सकते हैं। अगर लोकहित करना है तो हमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर लाइन लॉस को रोक कर जनता को सुविधा मुहैया कराने का काम करना है। मान्यवर, अभी यह बहुत ढिंढोरा पीट रहे थे हमारे मंत्री जी या विशेषकर हमारे ऊर्जा मंत्री जी खड़े होते हैं कि 18 घंटे बिजली दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा-

बस समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, शायद कुछ ही विधायक होंगे जो गांव में रहते होंगे, मैं नहीं कहता कि कोई नहीं रहता, कम लोग होंगे। मान्यवर, मैं भी पांच बार एम0एल0ए0 रहने के बाद भी, एम0एल0सी0 एक बार रहने के बावजूद भी, मैं आज भी अपने गांव में ही रहता हूं और गांव के घर में ही रहता हूं और मुझे बिजली के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। इसलिए कि बिजली आती-जाती है तो मुझे भी पता रहता है। मैं अमूमन दिन में घर में नहीं रहता था, क्षेत्र में रहता था तो उतना पता नहीं चलता था। लेकिन इधर किसी कारण से मुझे घर में ही रहना पड़ा और जब घर रहना पड़ा तो बारह घंटे में से कम से कम छः-सात घण्टे मुझे जेनरेटर चलवाना पड़ा तो निश्चित रूप से बिजली कितनी रहती है गांव में

रह कर देखना चाहें तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान हो जाएगा। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कहा कि 24 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदल जाएगा और 24 घण्टे के बाद 24 दिन में भी शायद बदले नहीं गए बहुत सी जगहें ऐसी हैं। क्योंकि जब व्यवहारिक स्थिति आती है तो उसमें नहीं हो पाता। इसलिए हमें घोषणाओं से उबर कर धरातल पर बैठ कर व्यवहारिक स्थिति को जान कर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस न हो लेकिन डाक्टरों की इतनी कमी है कि अगर हम उन पर सख्ती करते हैं तो वह नौकरी छोड़ कर इस्तीफा देकर चले जाते हैं। निश्चित रूप से यह व्यवहारिक स्थिति है। अगर इस व्यवहारिक ज्ञान के वगैर हम कुछ सुधार करना चाहें तो सुधार नहीं कर सकते। हमें अपनी कमियों को भी ध्यान में रखते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें तो बेहतर समाधान निकल सकता है। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है अगर आप चाहें कि वहां विशेषज्ञ हो जाएगा तो यह अभी 10-15-20 साल में सम्भव नहीं हो सकता। उसमें आप चाहे जितनी घोषणा करें प्राथमिक हेल्थ सेन्टर पर अगर आप चाहें कि विशेषज्ञ डाक्टर पहुंचा ले जाएं तो जिसने अपने जीवन का 15 साल विशेषज्ञ बनने में बिताया है वह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सेवा करने का काम नहीं करेगा। हम सी0एच0सी0 को ही स्ट्रेंथनिंग कर लें अगर हम उसे ही ठीक करके सही दिशा में ले आएं तो यह व्यवहारिक होगा और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है वह दूर के गांव से भी 15-20 कि0मी0 से ज्यादा दूर नहीं हैं अधिकांश गांव में हम लोगों ने प्रयास किया विशेषकर मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 1995 के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने गांवों में सड़क के निर्माण के लिए अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत सड़कों का निर्माण शुरू किया उसी का परिणाम है कि करीब करीब आज हर गांव में लेपन सड़क पहुँची है। यह 70 से 80 फीसदी गांवों में पहुंची है। अगर 70 से 80 फीसदी गांवों में लेपन सड़क पहुँची है तो वहां से मरीज को सी0एच0सी0 लाने में बहुत कठिनाई नहीं होगी हमारा पूरा जोर यह होना चाहिए कि पहले सी0एच0सी0 को पूरी तरह से स्ट्रेन्थनिंग करके वहां सभी सुविधाएं दे दें और जिला अस्पताल की सारी सुविधाएं दे ले जाएं तो हम लोगों का हित कर सकते हैं। बाकी अगर घोषणाओं से हम करना चाहें तो उससे कोई हित नहीं होगा। एक दूसरे की आलोचना करके एक साल बीत गया, दो साल बीत गया, तीन साल बीत गया, चार साल बीत जाए आप हमारी बुराई करते रहें उससे समाधान नहीं होगा। दूसरे निश्चित रूप से मान्यवर अहंकार बुरी चीज होती है। 416 एम0पी0 गए थे 1984 में कांग्रेस पार्टी के 1989 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से विमुक्त हो गयी। 351 एम0एल0ए0जनता पार्टी के 1977 में आए थे और उसके बाद 1980 में सत्ता से विमुक्त हो गई जनता पार्टी। उसी तरह से आपको भी अगर अहंकार हो जाएगा तो शायद दुबारा सत्ता में आना नसीब न हो पाए इसलिए अहंकार को छोड़कर जनता के हित के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है।

मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं पुनः माननीय नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पहले से विनियोग विधेयक पारित करने का समय 3:00 बजे निर्धारित हुआ था, मैं उसे साढ़े तीन तक के लिए बढ़ाता हूं।

अब माननीय अजय कुमार 'लल्लू' जी अपनी बात रखे।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोबिन्द चौधरी जी और नेता बसपा श्री लालजी वर्मा जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि एक साल हो गए इस सरकार को एक वर्ष में अगर उपलब्धियां देखा जाए तो इस सरकार का जीरो छोड़ कर आगे नहीं दिखाई देता। किसान हताश और निराश है नौजवान रोजगार को लेकर हताश और निराश है। कानून व्यवस्था इस पूरे प्रदेश में कहीं नहीं बची। अध्यक्ष महोदय अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा आत्म हत्या हुई है तो किसानों ने की है। उनको उपज का सही मूल्य न मिल पाने के कारण। चाहे वह आलू का हो, चाहे वह धान का हो या आने वाले समय में चाहे वह अन्य फसलों का हो। किसान की जो स्थिति है, इस सरकार ने यह वायदा किया था कि हमारी सरकार आयेगी तो किसानों की आय दुगनी करेंगे और आय के नाम पर इन लोगों ने किसानों को केवल छला और ठगा है। यह जो कर्जा माफी की योजना भी लाए उसमें भी केवल किसान क्रेडिट कार्ड के ही कर्जे माफ किये गये। अपितु कृषि यंत्र या मुर्गी पालन से लेकर अन्य चीजों के लिये अगर किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया तो उस कर्जे को माफ करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। मा0 अध्यक्ष जी, यह जिन भी प्रदेशों में रहे वहां पर किसानों की कर्जा माफी के नाम पर उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया। देश में अगर कर्जा माफी का काम सबसे ज्यादा किसी ने किया तो वर्ष 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया एकमुश्त कर्जा माफ करने का काम किया।

यह सरकार जिसने नौजवानों को 14 लाख प्रत्येक वर्ष और 05 साल में 70 लाख रोजगार देने की बात की थी, लेकिन नौजवान परीक्षा उत्तीर्ण करके अपनी नौकरी के लिये इन लोगों से जब नियुक्ति-पत्र मांगने आता है तो यह सरकार उसे दौड़ा-दौड़ा कर लाठियों से पीटने का काम करती है। अगर आप देखें तो 12,407 शिक्षक आज भी इस प्रत्याशा में हैं और जब वह धरना देते हैं तो यह सरकार कहती है कि हम जल्द ही आपकी भर्ती करेंगे, लेकिन केवल जुमलों के आधार पर उन्हें सपना दिखाने का काम करती है। 2011 से जिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

72,825 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, 35-35 हजार रुपये का फार्म भरवा कर 290 करोड़ रुपये सरकार ने जमा कराया, लेकिन आज तक विज्ञापन निकाल कर उन लोगों को भर्ती करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। कहते हैं कि हम न्यायालय में गये हैं, छात्र न्यायालय में गये हैं, रोजगार पाने वाले न्यायालय में गये हैं। न्यायालय में जाने के बाद भी सम्मानित हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इन लोगों ने खुला उल्लंघन करने का काम किया है। जब 12 से 15 लाख नौजवान छात्र परीक्षा देते हैं, परीक्षा छोड़ते हैं तो यह सरकार उसमें अपनी उपलब्धि गिनाती है, लेकिन यह सरकार यह क्यों भूल जाती है कि इन लोगों ने शिक्षा का उचित इन्तजाम नहीं किया है। विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई ठीक ढंग से नहीं होती है, जिसके नाते नौजवानों ने परीक्षा छोड़ी। उनके बारे में भी इनको विचार करना चाहिये था। मा0 अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो यू0पी0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित नौजवान आज भी इस प्रतीक्षा में हैं कि कब उनकी नियुक्ति होगी और कब उनका साक्षात्कार होगा। यह सरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी आज तक नहीं कर पाई है। लोक सेवा आयोग की तरफ से 2015 के बाद से उत्तर प्रदेश के अन्दर एक भी वैकेन्सी नहीं निकल पाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम भागों में बुनकर हैं, उनको सब्सिडी देने के लिये कोई योजना इनके पास नहीं है। उनको प्रोत्साहित करने की कोई योजना इनके पास नहीं है।

यह कहते हैं 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' और प्रोडक्ट देने की बात करते हैं, लेकिन बुनकरों को जो लाभ देना चाहिये, उनको जो प्रोत्साहन देना चाहिये, उसके लिये इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इस बजट में नये आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक कॉलेज, तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात है, लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से बने हुये हैं वह भी अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं। जो सबसे बड़ा दुख का विषय है वह यह है कि तमाम महिला अस्पताल जो पिछली सरकार में बन कर पड़े हुए हैं, वह एक साल से निहार रहे हैं कि कोई आए फीता काटे तो यह चालू हों और यहां डॉक्टर बैठें तो महिलाओं का इलाज चालू हो सके। इस सरकार ने इस तरह की व्यवस्था करने का काम भी नहीं किया है। मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी और मा0 उप मुख्य मंत्री जी चले गये। पिछली सरकार ने लोहिया गांव दिया, उसकी तमाम सड़कें अभी अधूरी हैं, जिससे उनका कोई प्रयोजन नहीं है। इसी तरह व्यापार विकास निधि का पैसा पिछली सरकार ने दिया, उसको भी पूरा करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार तो सतत प्रक्रिया है, आज किसी की होगी कल किसी और की होगी, लेकिन ये लोग यह क्यों भूल जाते है कि योजना किसी गांव की है, किसी क्षेत्र की है तो अगर विकास होगा तो पूरे प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश के विकास में उन्हें अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, अगर देखा जाये तो इस बजट में बाल पुष्टाहार निदेशालय और उसके सचिवालय का बजट शून्य किया गया है। क्या यह सरकार बाल पुष्टाहार निदेशालय को बन्द करने जा रही है, क्या दूसरे विभागों में इसको मर्ज करने जा रही है जो

इस निदेशालय और सचिवालय का बजट शून्य कर दिया गया है ? यह सरकार इतनी पारदर्शी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जब अपना हक और वजूद मांगती हैं तो ये कहते हैं कि हमने कमीशन बना दिया है वह जब जांच करके रिपोर्ट देगा तब हम आपके बारे में विचार करेंगे। लोक संकल्प पत्र में उन आंगनबाड़ी सहायिका/कार्यकर्ती के विनियमितीकरण करने की बात ये लोग करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उनके साथ भी धोखा करने का काम करते हैं। चौकीदार, होमगार्ड, ये पुलिस के सहयोगी साथी हैं उनके बारे में इन लोगों ने कोई विचार नहीं किया। चौकीदार वहीं का वहीं पड़ा है। एक चौकीदार को महीने में एक हजार रूपये और एक साइकिल मिलती है। आज की तारीख में क्या एक हजार रुपये में किसी चौकीदार का जीविकोर्पाजन हो सकता है ? इसके बारे में भी इस सरकार ने कहीं कोई विचार नहीं किया है। खुद चलते हैं बड़ी-बड़ी लग्जरी गाड़ी से और उन बेचारों को साइकिल दे दी गयी है। मा0 अध्यक्ष जी, उनके बारे में भी विचार होना चाहिए और आज की व्यवस्था के अन्तर्गत उनके लिए मोटरसाइकिल की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर देखा जाये तो आशा बहुओं के बारे में भी इन लोगों ने बड़े-बडे वायदे किए थे, लेकिन उनके बारे में भी किसी तरह की कहीं कोई व्यवस्था करने का काम इस सरकार ने नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, बाढ़ का समय आने वाला है और 15 जून से मानसून आ जाता है, लेकिन अब तक स्थायी संचालन समिति की बैठक नहीं हो पायी है। थोड़ी बैठकें हुई जरूर, लेकिन उन जगहों पर हुईं जहां पर मा0 मुख्य मंत्री जी को लगता है कि मूस के नाते बन्धे कट जाते हैं। बिल को तुपवाने के लिए स्थायी संचालन समिति की बैठक की गयी, लेकिन जो बन्धे अतिसंवेदनशील हैं मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अमवांखास तटबन्ध के जनपद कुशीनगर के गण्डक नदी के दायें तट पर अमवांखास किलो मीटर जीरो-जीरो से 2850 के मध्य की परियोजना जनपद कुशीनगर के गण्डक नदी के बायें तट पर अमवांबाद के किलो मीटर 7803 मीटर लम्बाई में पाइप लगाने की परियोजना ऐसे-ऐसे तटबन्ध पर जो अहरौली बांध से लेकर जीरो तक उन बंधो पर भी ये सारी जी0एफ0सी0सी0 गण्डक लेवल कमेटी आयी, जांच करके चली गयी और परियोजना स्वीकृत कर दी गयी, लेकिन आज तक उसके स्थायी संचालन की व्यवस्था नहीं हो पायी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, बस दो-चार मिनट और दे दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने बड़े-बड़े वायदे किए और एक क्रम से बेचना शुरू कर दिया गया। अभी बिजली बेची, कल परिवहन विभाग को बेचेंगे। पहले रेल बेच दिया। ये सरकार सारी चीज उद्योगपतियों को दे देना चाहती है। गुजरात के लोग आएंगे और इस पूरे प्रदेश को चलायेंगे। यह सरकार जिन-जिन राज्यों में है कुछ खास वर्ग के उद्योगपतियों के हाथ में इस सरकार ने पूरी अपनी जमापूंजी

गिरवी रख देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या आलम है ? जिस शहर से मा0 मुख्य मंत्री जी आते हैं वहां पर इतना सबल कानून है कि मैं आपको केवल जुलाई 2017 से जनवरी, 2018 तक के आपराधिक आंकड़ों की तरफ ले जाऊँगा। 174 लूट, 107 हत्या, 521 अपहरण, 963 चोरी, 2 डकैती, 336 महिला उत्पीड़न और 110 बलात्कार यानी 215 दिन 5107 घन्टे में हर तीस घन्टे में एक लूट, 48 घंटे में एक हत्या, प्रत्येक 9 घन्टे में एक अपहरण, प्रत्येक साढ़े पांच घन्टे में एक चोरी, प्रत्येक 15 घन्टे में एक महिला दहेज उत्पीड़न की शिकार और प्रत्येक दो दिन में एक बलात्कार मा0 अध्यक्ष जी, यह गोरखपुर मण्डल का हाल है जहां मा0 मुख्य मंत्री जी हर तीसरे दिन जाते हैं। जहां मा0 मुख्य मंत्री जी जाते हों वहां पर कानून-व्यवस्था का यह आलम हो तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था का क्या आलम होगा, यह जगजाहिर है। अध्यक्ष जी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा ने बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी हैं। मैं इनकी बातों पर बल देते हुए यह सरकार जन विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष की बातों पर बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देंगे ?

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, जरा मौर्या जी बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

साढ़े तीन के पहले समाप्त करें जो भी बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मौर्या जी के बाद हम बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी पहले बोलेंगे। साढ़े तीन के पहले समाप्त कर लेंगे, चाहे जो बोलें कि समय बढ़ाना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, दस मिनट बढ़ जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री प्रस्तुत करेंगे और नेता बोल लेंगे उसके बाद पास कर लिया जायेगा। अगर ऐसा करना है तो और लोगों को अवसर दीजिए और रात 10 बजे तक चलाइये। यह मेरा सुझाव है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

सब लोग न बोलें। साढ़े तीन बजे विनियोग विधेयक पहले तीन था अब साढ़े तीन कर दिया। मस्तिष्क में यह बात थी कि आप उत्तर दे लेंगे।

श्रम एवं सेवा योजना, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

साढ़े तीन बजे तक कम्प्लीट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

फिर आप उत्तर नहीं देने वाले हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर तो हम देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि अगर हम लोग कुछ तय करते हैं तो उसका पालन होना चाहिए। अब जब तय कर लिये हैं तो उसका पालन करा दीजिए। अगर इस तरह से होगा तो फिर हमारे यहां से कोई बोलेगा, दूसरा कोई बोलेगा तब तो समय लगेगा। अब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर-भाषण दे दें और उसी के बाद आप अग्रेनित करा लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों ने बैठक में तय किया था, ना। एक प्रारूप।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बात तो यही हुई थी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अगर आपका निर्देश हो तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि 'भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़े पगुराये'। इतनी कल्याणकारी योजनाएं, इतना बेहतर बजट, सभी विभागों का एक से एक कल्याणकारी बजट। आखिर यह विपक्ष घबरा क्यों रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी। अरे यहां डिबेट नहीं हो रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अगर मेरे खड़े होने से विपक्ष का पसीना निकल गया तो मैं बैठ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये, आप बैठ जायें। इसमे व्यवस्था का प्रश्न कैसे आ गया। आप कृपया बैठें। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है वह यह कि यह कौन सी मर्यादा है कि 'भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़े पगुराये'। क्या हम लोग भैंस हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो एक उदाहरण है। आप क्यों चिढ़ते हैं भैंस को लेकर के, वह एक कहावत है। इतना संवेदनशील नहीं है। आप कैसे खड़े हैं। आप बैठ जाइये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जितनी बातें यहां कही गयी हैं। मैं केवल उनका ही जवाब दूगां। मान्यवर, आपने मुझे बजट पर अनुदान मांगों के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मा0 वर्मा जी ने अपने भाषण में एक बात सही कही कि बजट के ऊपर अनुदान मांगों पर 24 दिन की चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, हमारी यह मंशा थी कि हम अनुदान मांगों पर चर्चा कराकर ही बजट पास कराएं इसीलिए 8 फरवरी से सेशन शुरू किया गया था। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति का उद्धरण यहां नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुईं जिससे मजबूरीवश हम आपसे दो बातें जरूर कहेंगे। हमने इस बात की पूरी सदाशयता दिखाई कि सरकार जो परम्पराएं हैं और जो नियमावली है उसके अनुरूप सदन चले तथा ज्यादा से ज्यादा सदन चले इसीलिए यह कार्यक्रम हमने 8 फरवरी से चालू किया था ताकि हर हालत में मार्च के आखिरी हफ्ते तक यह पास हो जाए। मान्यवर, जिस परिस्थिति में सदन को बढ़ाया गया आप उसके प्रत्यक्ष रूप से हमारे संरक्षक भी हैं और उसके साक्षी भी हैं। उसके बाद भी नियमावली में जो व्यवस्था है कि सामान्य बजट के ऊपर पांच दिन की चर्चा होनी चाहिए और उस पांच दिन की चर्चा का मौका पूरे सदन को दिया गया है। आप मान्यवर, दिन जोड़ लें 12,13,14,20 और 22 पांच दिन पूरा सदन चला। हमने यह चाहा कि प्रत्येक मा0 सदस्य बोल लें और आपने भी कृपा पूर्वक सदन कई दिनों तक देर-देर तक चलाया भी। मैं आपका इसके लिए आभारी हूं और हमारी यह मंशा थी उसके अनुरूप काफी मा0 सदस्यों ने उस पर भाग भी लिया और अपनी बात सामान्य बजट चर्चा में लगभग सभी लोगों ने कही, लेकिन यह विवशता है कि हमको हर हालत में 31 मार्च से पहले-पहले बजट पास कराना है। मान्यवर, 31 तारीख को हजरत अली साहब के जन्मदिन का अवकाश है। 30 तारीख को भी अवकाश है। हमारे पास केवल 27 और 28 दो दिन बचते हैं। कल विधान परिषद् में बजट पास होगा और उसके बाद महामहिम के पास जाएगा। हमारे पास दिन नहीं बचता है नहीं तो किसी भी प्रकार से इसको कम करने का कोई मतलब नहीं था। मान्यवर, यदि आप अनुमति दें तो हम तैयार हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से कार्य-मंत्रणा समिति में इस बात को कहा था कि हम अप्रैल में भी इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। हम न तो चर्चा से भागना चाहते हैं और न किसी चीज को कंसील करना चाहते हैं।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने काफी अभिनय के साथ बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखा। वह इसमें माहिर हैं, लेकिन मान्यवर हम एक बात जरूर आप से कहना चाहते हैं कि पूरे पत्रकार गैलरी को और पूरे सदन को इस चीज की जानकारी मिल गयी कि अगर गलत सूचनाओं का यदि कोई केन्द्र ढूंढना चाहे तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनके कार्यालय को यदि देख लेंगे तो पूरे उ0प्र0 की गलत सूचनाओं का जो केन्द्र है वह इनके पास है। बहुत बढ़िया अभिनय करके इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जो मैं सोचता था कि नेता विरोधी दल कोई नई बात कहेंगे जिसका जवाब हम देंगे, लेकिन जो बात राज्यपाल के अभिभाषण में और सामान्य बजट की चर्चा में आ चुकी थी उन्हीं को दोहराया गया है और मा0 मुख्य मंत्री जी इनकी लगभग सभी बातों का जवाब दे चुके हैं। जो बातें इन्होंने उठायी हैं। हम उनमें से दो-तीन बातों का जवाब जरूर देंगे। आपने किसानों के कर्ज की बात कही। मान्यवर, क्या यह बात गलत है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है ? हमने 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की, बिना प्रदेश की जनता के ऊपर एक रुपये का अतिरिक्त बोझ डाले (मेजे थपथपाई गईं) और जो लोग भी उस परिधि में आए चाहे उनका एक लाख का कर्ज हो, चाहे 90 हजार का कर्ज हो उन सभी का कर्ज माफ हुआ और जिनका उससे भी कम था उनका भी माफ किया गया। लेकिन हमारी नियत के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। हमने यह वादा किया था और कैबिनेट की पहली बैठक में ही इसको पास भी किया गया और किसानों को न्याय दिलाया गया।

मान्यवर, हमें भी कई समारोहों में जाने का अवसर मिला हमने लोगों की खुशी के आंसू देखे हैं, क्योंकि इनका कर्ज माफ हो गया है। हमने गन्ना किसानों का, इनके पीरियड का 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया है (मेजें थपथपाई गयीं) हमने गेहूं की खरीद और धान की खरीद में भी पूरी सदाशयता के साथ की और पहली बार इतनी ज्यादा खरीद हुई। चाहे 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो और चाहे 44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो। मान्यवर, इसके अलावा इन्होंने बीमा की बात कही। मान्यवर, प्रधानमंत्री जी ने चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे सामान्य व्यक्ति के लिए योजना हो, चाहे दुर्घटना बीमा योजना हो हमने हर प्रकार के बीमा की व्यवस्था बहुत कम प्रीमियम पर की गई है और प्रीमियम राशि भी घटा दी गई है और लाभ बढ़ा दिया गया है, जो इन्हें दिखाई नहीं देता। हम जरूर चाहेंगे कि वे एक बार इसे जरूर पढ़ें और आगामी फसल के लिए भी गेहूं का हमने 1735 रुपए प्रति कुंतल का दाम रखा है, आप चाहें तो अखबारों के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप तो अखबारों की बात कहते हैं। लेकिन आज बाजार का भाव क्या है, 1735 रुपए प्रति कुंतल और 10 उसके अतिरिक्त कुल मिलाकर 1745 रुपये प्रति कुंतल गेहूं का दाम इस वर्ष किसानों को फिर से मिलने जा रहा है। यह बहुत बड़ा लाभ किसानों को हम देने जा रहे हैं, जो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अवैध खनन की बात कही। यहां पर एक मंत्री जी बैठते थे, पूरे 5 साल न्यायिक प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में उलझे रहे और वैध रूप से

खनन पूरे 5 साल नहीं हो पाया और जो मंत्री जी की जो परिस्थिति थी वह पूरे प्रदेश को मालूम है, सभी को मालूम है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता कि उसका हश्र क्या हुआ। मान्यवर, सूप बोले-बोले और चलनी भी बोले जिसके 72 छेद (हंसी)। यहां पर एक मंत्री जी बैठते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो पहले खनन मंत्री थे। वे किस परिस्थिति से नहीं गुजरे और पूरे प्रदेश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और हमने उसकी एक व्यवस्था बनाई है। ये नई सरकार आने के बाद हमने खनन की नीति बनाई और खनन की नीति के साथ-साथ आवंटन भी किया और जितनी भी उसमें खामियां थीं, उसे दूर किया और किसी न किसी रूप में लोगों को सुविधा देने की हर प्रकार की व्यवस्था की। आज लोगों को आसानी से नियमानुसार चाहे बालू हो, मोरंग हो, उपलब्ध हो जा रही है। मिट्टी के सम्बन्ध में जो बात आई थी उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाउस में भी घोषणा कर दी अब किसी भी प्रकार की वारण्टी किसान से नहीं ली जाएगी और भट्ठा मालिक भी यदि अपनी ईंट का रेट घटाने को तैयार हो जाए तो उनके लिए भी इस बात पर विचार हो जाएगा और उनके लिए भी मिट्टी फ्री कर दी जाएगी। मान्यवर, एक बात आपने कही की प्रेम सब करते हैं और बड़े-बड़े उदाहरण दिए, हम उन्हें दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि समय कम है।

श्री अध्यक्ष-

ये प्यार पर प्रतिबन्ध के विरोधी हैं।(हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने तो मुनव्वर राणा का एक शेर पढ़ा था-

चलती-फिरती हुई आंखों ने अदा देखी है,
हमने जन्नत तो नहीं, मां देखी है।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन्होंने तमाम प्रेमियों के उदाहरण दिए। इन्होंने रोमियो-जूलियट, हीर और रांझा के तमाम तरीके के उदाहरण दे डाले हैं.....

श्री अध्यक्ष-

राधा-कृष्ण का भी दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हां दिया मान्यवर।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, दो नाम इनको अपनी तरफ से याद हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लेकिन मान्यवर, इन्होंने वात्सल्य प्रेम का कहीं जिक्र नहीं किया। वात्सल्य प्रेम का हम जिक्र कर देते हैं कि जो अधूरा है वह पूरा करें। मान्यवर, ये प्लेटो को जरूर पढ़े, प्लेटो ने क्या कहा था, प्लेटो ने कहा था कि राजनीति करने वाले को।

श्री अध्यक्ष-

बजट के बारे में तो कुछ नहीं कहा था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं, मान्यवर बजट के बारे में नहीं राजनीति करने वालों को या शिक्षकों को। मान्यवर, यह नेता विरोधी दल ने नहीं पढ़ा। कम से कम नेता विरोधी दल को जब इतने तमाम लोगों को कोट किया तो एक बार प्लेटो को भी कर देते कि प्लेटो ने क्या कहा था ?

श्री अध्यक्ष-

वह आपके लिए छोड़ दिया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में आपने जो बात कही और चिकित्सा के क्षेत्र में बात कही। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि 15 मिनट समय बढ़ा दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

क्यों बढ़ा दें ? हमेशा बढ़ा दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जितना टाइम दिया था उतना हम लोग का थोड़ा-थोड़ा कम कर दिया। अगर इनको बोलने के लिए टाइम बढ़ेगा तो फिर हम लोगों के लिए भी बोलने का टाइम बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप पर तो समय का बन्धन रहता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप कार्यवाही देख लें तो आप, नेता विरोधी दल पूरे तरीके से एक घण्टा बोलें हैं और हमें तो अभी 15 मिनट भी नहीं हुए, 10 मिनट हुए हैं, कम से कम जवाब तो जरूर आना चाहिए। हमारे नेता विरोध दल को यह मलाल न रह जाये कि सरकार का पूरा जवाब नहीं आया। मान्यवर, आपने डाक्टरों की कमी का हवाला दिया, हमने आते ही आप ये देख लें कि 1600 डाक्टरों की नियुक्तियां हमने की है जब से हमारी सरकार आई है और आयुश में 2600 नियुक्तियां की है और हर प्रकार से यह कोशिश की है, डाक्टर्स की उमर बढ़ा दी, अभी तक डाक्टर्स की रिटायरमेन्ट की उमर 60 थी, उसको 62 कर दिया।

डाक्टर्स की उमर भी बढ़ा दी। मान्यवर, जहां तक सवाल है चाहे सी0टी0 स्कैन मशीन हो, चाहे एक्स-रे मशीन हो, हर चीज की व्यवस्था जिला अस्पतालों में हम करने जा रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ, आपके माध्यम से हम पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी पूरे हिन्दुस्तान में जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी हैं, हमारी यह कोशिश होगी कि आने वाले वर्षों में हम तमाम सुविधायें मेडिकल के क्षेत्र में जो पूरे हिन्दुस्तान में मिलती हैं वह हम सरकारी स्तर पर उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करायें यह हमारा आपसे वादा है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में 277.92 करोड़ रूपये की व्यवस्था पिछले वर्ष की अपेक्षा हमने अधिक की है और हर स्तर पर शिक्षा में सुधार करने हम जा रहे हैं। नकल के ऊपर बहुत चर्चा हुई। आपने कहा कि इसलिए नकल के लोगों को पकड़ा गया ताकि उनको नौकरी न देनी पड़े मान्यवर, यह कोई तर्क है, कहां-कहां के लोग यहां पर इम्तेहान देने आ रहे थे। कहीं नार्थ-ईस्ट के, कहीं जम्मू-कश्मीर के वे यहां पर इसलिए आते थे कि बहुत सुविधाजनक तरीके से डिग्री लेकर पिछले सालों में चले जाते थे। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान सरकार ने जिस दिन से आई कानून व्यवस्था का ग्राफ (ऊपर से नीचे की ओर ईशारा करते हुए) ऐसे जा रहा था, आपके कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 800 से ज्यादा स्थानों पर पुलिस पीटी गयी, हर महीने कहीं सिपाही पिटा, कहीं दरोगा पिटा, कहीं इन्सपेक्टर पिटा कहीं सी0ओ0 पिटा यहां तक की एस0पी0 तक की मार हुई। यह कानून व्यवस्था की क्या बात करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

हम विनियोग-विधेयक का समय 15 मिनट बढ़ाते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह अपने आप में, जिसके राज्य में पुलिस पिटती हो, वह हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है, हमने एक-एक एफ0आई0आर0 इस बात की कोशिश की है कि सब लोग इस बात के गवाह भी हैं कि एफ0आई0आर0 जरूर लिखी जाये और जिन लोगों ने एफ0आई0आर0 नहीं लिखी उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, चाहे हमारे विपक्षी सदस्यों ने भी अगर कोई दे दिया। उनके खिलाफ भी कार्यवाई की जाए। इसलिए और क्राइम रेट के हिसाब से, पूरा उत्तर प्रदेश सारे राज्यों में सबसे बड़ा है, अगर हम क्राइम रेट ना देखे तो हमारा स्थान 17वें नम्बर पर आएगा मान्यवर, देखा जाना चाहिए क्योंकि अब गोवा से मुकाबला अगर करेंगे तो गोवा की आबादी इतनी सी और हमारी इतनी आबादी तो क्राइम रेट ये नहीं कहना चाहिए कि एक लाख की आबादी के ऊपर कितना क्राइम हुआ ये देखना चाहिए था और क्राइम के बाद उसका अंजाम बताया नहीं। अखबार की कटिंग पढ़कर सुना दी, कि ये हुआ ये हुआ। और जबकि लोगों को बताना चाहिए था कि उसका चालान गैंगेस्टर ऐक्ट में किया उसका चालान गुण्डा ऐक्ट में किया और उसका चालान जिस आई0पी0सी0 की धारा में बनता था उस आई0पी0सी0 की धारा में मान्यवर, उसका चालान किया गया। तो जहां अगर न्याय चाहते हैं

मान्यवर तो हमने जो ग्रॉफ लगातार 10 साल से ऐसे जा रहा था नीचे की तरफ योगी जी की सरकार के आने के बाद मान्यवर हम हर तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्राइम का रेट देखा जाना चाहिए किस आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ा है, लेकिन हमने हर मामले में मान्यवर, तो हम कार्यवाही भी पढ़कर सुना सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा मान्यवर, लेकिन 3-4 मामलों में आपने कहा कि जिसमें क्राइम बढ़ा है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2010, 2017 में 2016 की तुलना में डकैती में 5.70 प्रतिशत हत्या में 7.35 प्रतिशत, 13.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली हत्या के मामलों में 16.41 प्रतिशत आगजनी में 29.73 प्रतिशत की कमी आई है। मान्यवर, ये कमी बकायदा दर्ज है आंकड़ों में और इसको कोई भी देख सकता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो केवल हमारे पास हो मान्यवर।

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली की बहुत चर्चा हुई। माननीय हमारे घर के सामने श्यामा चरण नाम के व्यक्ति रहते हैं इनकी सरकार का जमाना था, आपकी सरकार का आप तसल्ली से बैठे रहे हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। श्यामा चरण की लड़की का जन्म हुआ तो श्यामा चरण ने कहा कि बाबू जी शाम को खाना खाने आइए हमारे यहां लड़की पैदा हुई है आज हम अपने लोगों का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि लड़की का नाम क्या रखा ? तो उसने कहा कि हमने बिजली रख दिया तो हमने कहा कि बिजली क्यों रख दिया ? बोले बिजली नाम इसलिए रखा कि बिजली तो आती नहीं इसलिए जब ये खेल के आएगी तो हम इसको पुकार लेंगे कि बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये स्थिति थी इनके जमाने में मान्यवर। ये कहते हैं बिजली जिस दिन से हमारी सरकार आई है उस दिन से बिजली आती ज्यादा है जाती कम है। जिला मुख्यालय को हमने 23 घण्टे बिजली दी वो इनको दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर ये अगर जानकारी करने की कोशिश करते तो कम से कम यहां यह नहीं बोलते।

आज ये गरीब की बात करते हैं सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश में 32 लाख लोगों से अधिक लोगों को मान्यवर कनेक्शन दिया जा रहा है आज मान्यवर क्या कनेक्शन के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं मान्यवर ? हजार 11 सौ रूपए का कनेक्शन का, जिसका 40 प्रतिशत है, वो हजार 11 सौ रूपए सरकार दे रही है मान्यवर। आजादी के इतने साल के बाद उसके घर में रौशनी मान्यवर नहीं हुई वो कम से कम अपने घर में सरकारी खर्चे के ऊपर बिजली का कनेक्शन ले सके ये व्यवस्था हमने की है। मान्यवर, ये पांच जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से निजीकरण के आधार पर लोगों को बिजली की व्यवस्था देने का फैसला सरकार ने किया मान्यवर। एक आगरा को मान्यवर दिया गया था। पूरा उसी के ऊपर हम चाहते हैं कि मंशा देखना चाहिए कि हमारी मंशा सुधार की है हम चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्था हो लोगों को बिजली जरूर मिले जिस प्रकार से डेवलप स्टेट गुजरात जैसे स्टेट में जिस प्रकार से बिजली 6-6 महीने पर जाती नहीं है, हम भी यह चाहते हैं।

हम भी यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति वही हो क्योंकि बिजली हमारे जन-जीवन को हर प्रकार से प्रभावित करती है। कृषि को प्रभावित करती है और इण्डस्ट्री को प्रभावित करती है। मान्यवर, इसलिए हमारी यह कोशिश है कि हम हर प्रकार से बिजली को पूरे प्रदेश में जरूर उपलब्ध कराएं और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, जी0एस0टी0 लागू हुआ। लगभग फरवरी तक का जो आंकड़ा है कि जी0एस0टी0 लागू करने के बाद हमारे राजस्व में 20-21 परसेण्ट की वृद्धि हुई है। मान्यवर, इसलिए यह कहना कि यह नई व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है, यह बात सही नहीं है। साथ ही साथ दो बातें अपने विभाग, खासतौर से ग्राम्य विकास और नगरीय विकास के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। जब से वर्तमान सरकार आई है तो रोजी-रोटी कमाने के बाद व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि उसके सिर पर अपना मकान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो। लगभग 08 लाख 88 हजार मकान ग्रामीण क्षेत्र में और 02 लाख 63 हजार आवास शहरी क्षेत्र में स्वीकृत हो चुके हैं। वर्ष 2022 तक हमारी कोशिश इस बात की है कि जितने आवास विहीन लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनके पास अपना मकान जरूर हो जाए। हर आवासहीन व्यक्ति के पास अपना मकान हो। जहां तक सवाल यह है और ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला। मान्यवर, हम आपको केवल एक ही आंकड़ा पढ़कर बताएंगे, केवल एक आंकड़ा। आप इसे कन्फर्म कर लेना, हम आपसे कहते हैं कि इसे कन्फर्म कर लेना। वर्ष 2017-18 में 01 लाख 53 हजार लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन माध्यम से रोजगार।

मान्यवर, इनको हमारे सूडा के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया जिसमें से जनवरी, 2018 तक 70 हजार 413 लोगों को प्लेसमेण्ट भी मिल गया है। मान्यवर, यह तो केवल एक आंकड़ा है। इसके अलावा, मा0 मुख्य मंत्री जी कई विभागों की, चाहे वह पुलिस में हो, चाहे वह टीचर्स की हो, हर प्रकार की भर्ती की यहीं पर, इसी विधान सभा में घोषणा कर चुके हैं। हम उसको दोहराना नहीं चाहते। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। 2014 में इनकी सरकार थी, 02 साल सरकार को हो चुके थे और उसके बाद 2014 में नतीजा क्या हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया विपक्ष का और उसके बाद 2014 में यह कहा कि ठीक है 2017 देखेंगे। जब 2017 आया तो वह नतीजा भी आपके सामने है। लोगों का यह विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को सही रास्ते पर और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर कर सकती है। जनता का विश्वास, जनता का परसेप्शन हमारे लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, इसको चरितार्थ किसने किया। अभी हाल ही में एक महीना पहले जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट हुआ था तो उसमें तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की गईं। उन आशंकाओं का आधार सिर्फ यह था कि पिछले समय में जितने भी इन्वेस्टमेण्ट समिट हुए उसमें लोगों ने वादा तो किया लेकिन वे आए नहीं। मान्यवर, इस समिट में लोग आए भी, उन्होंने मंच से इस बात

की घोषणा भी की। उन्होंने योगी जी की सरकार और योगी जी के काम को सराहा भी और साथ ही साथ सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे सामने यह है कि निजी इन्वेस्टमेण्ट भी आ रहा है और केन्द्र सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर खोलने और खासतौर से रेलवे का एक नया कारखाना देने की जो घोषणा की है तो मैं समझता हूं कि वह भी इस सरकार में इन्वेस्टमेण्ट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, दो बातें कहकर हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। आपने जो समय दिया, मैं उसके लिए आभारी हूं। अभी उधर से कहा गया कि शादी अनुदान नहीं मिल रहा है। हमने तो शादी अनुदान 20 के बजाए 35 हजार रुपया कर दिया और आज भी अगर अपने जिलों में पता करेंगे तो शादी अनुदान की दूसरी किस्त आपके जिले में गई है जिसका अभी तक लोग प्रस्ताव भी नहीं भेज पाए होंगे सारे जिलों में दूसरी किस्त जा रही है और ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें पूरे समारोह के माध्यम से एक-एक सामूहिक विवाह आयोजित किया हो उन लोगों का और उनको हर प्रकार से उन लोगों को संतुष्ट करने और उन लोगों का घर बसाने का मान्यवर, इस सरकार ने काम किया है। एक बात आपने सड़कों को गड्ढामुक्त करने के सम्बन्ध में बात कही। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर बोल चुके हैं कि हमने एक लाख किलोमीटर से ज्यादा शहरों को गड्ढामुक्त किया और यह अपने आप में उदाहरण है। दो-तीन बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। आपने जो 15 मिनट का समय दिया है उसी समय सीमा के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नगर विकास विभाग की ओर से तमाम शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एक कॉल सेन्टर की स्थापना की और एक साथ पूरे प्रदेश में 7 शिकायतें सुनी जा सकती हैं इतनी व्यवस्था है और जैसे-जैसे उसमें आवश्यकता बढ़ेगी वैसे वैसे हम उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे उस कॉल सेन्टर का नंबर 18001800101 है। मान्यवर, दूसरा बड़ा फैसला किया कि अभी तक नगर पालिका की, स्थानीय निकाय की जमीन को कोई भी आदमी कब्जा कर लेता था और वर्षों तक हमको उसका कब्जा छुड़वाना पड़ता था अब हम एक एक्स मिलिटरी मैन के माध्यम से इनर्सोस विंग गठित करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम पूरे मकानों की, पूरे उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के अंदर चाहे वह नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका परिषद् हो और चाहे नगर निगम के हो उन मकानों की नम्बरिंग भी करने जा रहे हैं। हर मकान का नंबर जरूर होगा स्ट्रीट होगी, लेन होगी फिर सब लेन होगी और हर मकान का नंबर होगा इसका सर्वे कराकर हम यह करने जा रहे हैं। स्ट्रीट वेन्डर्स के लिए जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनसे अगर स्थान खाली कराएंगे तो हम वेन्डिग जोन बनाकर उनका पुनर्वास भी करेंगे उनको 2 मीटर बाई 2 मीटर का स्थान भी हम देंगे यह हमने फैसला किया है। हमने यह फैसला किया है कि हम सड़कों का मेन्टेनेन्स उसी ठेकेदार के जिम्मे करेंगे जो ठेकेदार निर्माण करेगा और कोलतार से जो सड़क बनेगी उसके लिए अलग से उसके मेनटेनेन्स के व्यवस्था भी करेंगे जो पांच साल तक के लिए मेनटेन करने के लिए उनको कहा जाएगा और सी0सी0 रोड के ऊपर हम कोई मेनटेनेन्स नहीं देंगे। यह शासनादेश मान्यवर, हमने जारी कर दिया है। मान्यवर, अभी तक जो पॉलिटिकल लोगों की ट्रेनिंग के लिए कोई

व्यवस्था नहीं थी हमने पहली बार बजट में 50 करोड़ की बजट की व्यवस्था इस बात के लिए की है कि हम एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो आवासीय होगा और जिसमें एक साथ 100 कमरे भी बनेंगे। उसमें राजनीति में आने की जो नये लोग इच्छा रखते हैं और खास तौर से हमारे एम0एल0ए0 साहिबान जो पहली बार चुनकर आते हैं उनके लिए व्यवस्था भी होगी और यदि मान्यवर, पार्लियामेन्ट के मेम्बर चाहेंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था होगी। ये व्यवस्था हमने बजट में की है 50 करोड़ रूपये की। हमने जमीन आईडेन्टिफाई कर दी, पॉलिटिकल लोगों को ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसलिए यह व्यवस्था की गयी और मैं समझता हूं कि पूरे सदन को इसमें कम से कम इसमें इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि पहली बार राजनीति के क्षेत्र में लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था मान्यवर, होने जा रही है। स्वच्छता के लिए हमने स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति हर वार्ड में बनाने का फैसला किया है और पूरे प्रदेश को मान्यवर, ओ0डी0एफ0 2 अक्टूबर, 2018 तक घोषित करने का हमारा लक्ष्य है वर्तमान में हमने 45 क्षेत्रों में अभी तक लोगों ने क्लेम किया है कि उनको ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया जाए जो कि प्रक्रियाधीन है पिछले वर्ष मान्यवर, स्वच्छता अभियान में उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला वाराणसी, उसका भी 32 वां स्थान था। इस बार हमारी कोशिश यह है और हमने नगर विकास विभाग के माध्यम से हर महीने के पहले सोमवार दो घंटे श्रमदान के माध्यम से सफाई करके एक संदेश देने का काम किया है कि हम अपना घर, अपना दरवाजा खुद साफ करें। मैं समझता हूं मान्यवर, कि जो आज हमने आपके सामने जो बजट रखें हैं जिन अनुदान मांगों को रखा है। मेरा आपसे अनुरोध है मान्यवर कि उनको पारित किया जाए। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत, बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब हम प्रश्न उपस्थित करते हैं, आप कुछ सवाल करेंगे।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव तो मेरा ही है।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल आपका है, हम कितना समय आपके लिए बढ़ा दें।

श्री राम गोविंद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, दस मिनट बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

विनियोग विधेयक का समय दस मिनट के लिए बढ़ाते हैं।

श्री राम गोविंद चौधरी-

संसदीय काय ंमंत्री जी मैं तो उसका विरोधी हूं। जिस मंत्री की आपने बात कही श्रीमन्, वह मंत्री जी अवैध खनन में जेल में नहीं हैं, वह दूसरी धाराओं में जेल में बंद हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ अपने-अपने आसन से बोलने पर व्यवधान)

पहले आप बात सुन लीजिए, एक मंत्री का नाम लिया, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं लिया ? कि वह मंत्री जी वहां बैठते थे। कहा था, हम लोग कोई खेत में से घूम कर आ रहे हैं कि आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार में बालू का ट्रक 35 हजार में मिलता था अब इस समय 80 हजार का मिल रहा है। सरकार तो बढ़िया ही है। 35 हजार का ट्रक समाजवादी पार्टी की सरकार में बालू और 80 हजार रूपये का ट्रक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बालू है, ठीक तो सरकार कर रही है हम कहां बुरा कह रहे हैं। यह दैनिक भोगी कर्मचारियों का 170 और 200 रूपये दाम अलग-अलग कैटेगरियों पर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 170 रूपये वाले को 250 रूपये कर दीजिए और 200 रूपये वाले का 300 रूपये कम से कम करवा दीजिए। इन्होंने कहा कि कितनी ईमानदार सरकार है, एक हमारे पार्टी के एम0एल0ए0 हैं जो इस समय जेल में है, हरिओम यादव, जो वोट नहीं दे पाए, उनकी हत्या करने के लिए एक अन्तर्जनपदीय अपराधी तीन महीने से एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के घर रूका हुआ था और जब वह हरिओम यादव और उनके लड़के को उनके स्कूल में मारने के लिए गया तब लोगों ने देखा, पुलिस आयी और उसको पकड़ लिया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का एक नम्बर का मोस्ट वांटेड अपराधी, पुलिस ने इसको थोड़ी-सी धाराओं में जेल में डाल दिया, एन्काउंटर क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमन् जो इन्होंने बताया है, 16-3-2017 से 28-2-2018 तक लूट में 2.98 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है, यह इनके विभाग का आंकड़ा है। बलवा में 23.71 प्रतिशत का बढ़ावा हुआ है। गृह भेदन में 28.74 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। फिरौती के लिए अपहरण में 7.50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। दहेज मृत्यु में 6.368 प्रतिशत का बढ़ावा हुआ है।

(कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

जवाब आप लोगों को देना है कि इनको देना है, जरा अध्यक्ष जी का भी तो निर्देश मानिए, मैं तो चाहता हूं कि अगली बार आप लोग आएं लेकिन हमको 40 बरस का अनुभव है जो फटा-फटा बोलता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता है। पूछ लीजिए अपनी पार्टी के लोगों से। कुल जो संख्या है 20.37 प्रतिशत बढ़ोत्तरी है श्रीमन्। मैं तो कानून-व्यवस्था पर थोड़ा ही कहता, लेकिन ये तो पूरी कानून-व्यवस्था पर बोल गये। मैं कानून व्यवस्था पर नहीं बोला हूं। ये ठीक कह रहे थे। मैं माननीय राज्यपाल जी के भाषण के विपरीत बोला था, बजट पर भी बोला था। दहेज मृत्यु 6.63 प्रतिशत बढ़ा, बलात्कार 24.3 प्रतिशत बढ़ा, अपहरण 35.2 प्रतिशत बढ़ा। यह आंकड़ा है 16-03-2017 से 28-02-2018 तक के। छेड़खानी 103.51 प्रतिशत बढ़ा, महिला उत्पीड़न 32.99 प्रतिशत बढ़ा। केवल इसको पढ़ दे रहा हूं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो समय तय कराया था वह खत्म हो गया है।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा बलवा, हर तरह के अपराध में बढ़ोत्तरी हुई है, यह तीन साल तक तुलनात्मक है। हम झूठ बोलकर इनको बदनाम करने नहीं आये हैं, बल्कि ये झूठ बोलकर सत्ता में आये हैं। हम तो सही बात बोलते हैं। हम और हमारी पार्टी के नेता यही कहते रहे कि हमने अपने पांच साल के कार्यकाल में ये काम किया है, वो काम किया है। हमको अगर सरकार में ला दो तो ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे। जरा इनसे पूछिये कि इन्होंने 2014 और 2017 के भाषण में क्या-क्या कहा था और क्या-क्या पूरा हुआ है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वही करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कतई उसको नहीं करती है, यह प्रमाण है। अभी शिकोहाबाद में राजनैतिक भ्रष्टाचार देखिये ओम प्रकाश, हरिओम यादव का लड़का चेयरमेन था, अविश्वास प्रस्ताव से हट गया। फिर चुनाव होना था। यह चुनाव उसकी पत्नी को लड़ना था। उसका मेम्बरशिप ही खत्म कर दिया गया। इस प्रदेश में एक जिला पंचायत का मेम्बर, जिसको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना हो उसकी मेम्बरशिप खत्म कर दी गयी, ये ऐसी सरकार है। श्रीमन् इस सरकार के चारों तरफ की विफलताओं के कारण गरीबों को और गरीब बनाने, पूंजीपतियों को पूंजीपति बनाने, किसान, मजदूर, छात्र उत्पीड़न के मामले में एक नम्बर बनाने वाली सरकार के खिलाफ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने अपने वक्तव्य से साबित कर दिया कि असत्य बोलने का केन्द्र कहां हैं।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मानें असत्य पर ही आपकी सरकार होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

समय नहीं है, वरना जवाब जरूर देता।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

हमारे पास समय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह जो आंकड़े आपने दिये हैं वह सही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो मैं कहने जा रहा हूं उसको जरा जांचिए सही है कि नहीं। आप कृपा करके बैठ जाइये।

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक की विभिन्न अनुदानों के अधीन मांगों की धनराशि घटाकर एक रुपया किये जाने का जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल व अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रूपये तीन लाख छियासठ हजार तीन सौ पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार (रूपये 3,66,325,75,01,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03.55] उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिषद में छपा है।

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विनियोग विधेयक पर चर्चा तो हो ही सकती है। मान्यवर, इतना बड़ा बजट पास किया जा रहा है चार लाख 28 हजार करोड़ का और मान्यवर, क्षेत्रों के विकास के लिये विधान मंडल विकास निधि की संरचना की गयी है जिससे क्षेत्रों में काम होता है। इतना बड़ा जब बजट है और 7-8 सालों से यह डेढ़ करोड़ चला आ रहा है और जी0एस0टी 12 परसेंट और लग गया है तो मान्यवर, निश्चित रूप से अगर विनियोग विधेयक इतना बड़ा पास करा रहे हैं तो यह भी घोषणा वित्त मंत्री जी को करनी चाहिये कि विधान मंडल विकास निधि जो है हम उसको महंगाई के आधार पर डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करें। क्योंकि महंगाई बढ़ गयी। पहले एक किमी0 सड़क 12-13 लाख में बनती थी। (मेजों की थपथपाहट) अब एक किमी0 सड़क 60 लाख में बनती है। इस महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये, साथ-साथ 12 परसेंट जी0एस0टी0 को ध्यान में रखते हुये और दूसरे प्रान्तों को भी दृष्टिगत रखते हुये जैसे उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के बराबर उत्तराखंड का क्षेत्र है वहां जो विधायक निधि है वह 4 करोड़ है, दिल्ली में 4 करोड़ है जो छोटा सा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल प्रदेश जहां दूसरे क्षेत्रों में जैसे त्रिपुरा है वहॉ का एक विधान सभा क्षेत्र हमारे जिला पंचायत के बराबर है, हमारा इतना बड़ा विधान सभा क्षेत्र है करीब 100-100 किमी0 लम्बा क्षेत्र है मान्यवर, ऐसी स्थिति में डेढ़ करोड़ कोई मायने नहीं रखता। निश्चित रूप से चाहे जो शर्तें उसमें लगाकर, ताकि वह वास्तविक रूप से विकास के कार्यों में ही खर्च हो, इस बात को ध्यान में रखते हुये हमारी यह चाहत है कि माननीय वित्त मंत्री जी इसी के साथ इस बात की घोषणा भी करें कि हम विधान मंडल विकास निधि जो क्षेत्र के विकास के लिये है, को डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ करेंगे।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

31 मार्च, 2019 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत के गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2018-2019 के लिए 456248,37,77,000 रुपये का निकाला जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 456248,37,77,000 रुपये (रुपये चार लाख छप्पन हजार दो सौ अड़तालिस करोड़ सैंतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	21564.18	20.00	21584.18
02	आवास विभाग	राजस्व :	48686.93	67.82	48754.75
		पूंजी :	113634.00	233.04	113867.04
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	55589.76	6.00	55595.76
		पूंजी :	1700.01	--	1700.01
04	उद्योग विभाग (खाने और खनिज)	राजस्व :	3945.24	--	3945.24
		पूंजी :	205.00	--	205.00
05	उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग)	राजस्व :	12235.77	--	12235.77
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	24193.60	--	24193.60
		पूंजी :	19.01	--	19.01
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	212245.03	--	212245.03
		पूंजी :	305650.27	--	305650.27
08	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	राजस्व :	17588.90	--	17588.90
		पूंजी :	393.83	--	393.83
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	1270892.25	430311.78	1701204.03
		पूंजी :	1050430.89	5914.86	1056345.75
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम खनिज)	राजस्व :	62065.28	195.39	62260.67
		पूंजी :	691.22	5.50	696.72

अनुसूची

--(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	744821.28	20.05	744841.33
		पूंजी :	60582.91	--	60582.91
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	32408.19	--	32408.19
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	327827.68	12.50	327840.18
		पूंजी :	1645412.44	--	1645412.44
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1409378.03	--	1409378.03
		पूंजी :	13382.16	--	13382.16
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	153034.69	13.79	153048.48
		पूंजी :	15770.44	--	15770.44
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास	राजस्व :	9238.84	--	9238.84
		पूंजी :	6300.02	--	6300.02
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	14708.25	9.50	14717.75
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	50630.39	1163.25	51793.64
		पूंजी :	5087.20	2184.72	7271.92
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1040.85	--	1040.85
		पूंजी :	8757.00	--	8757.00

अनुसूची

--(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	3503.35	6462.95	9966.30
		पूंजी :	--	10.00	10.00
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	44754.66	3.50	44758.16
		पूंजी :	1209124.94	0.50	1209125.44
22	खेल विभाग	राजस्व :	11950.95	--	11950.95
		पूंजी :	7677.45	--	7677.45
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	21711.42	2.00	21713.42
		पूंजी :	6726.00	--	6726.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	8105.11	--	8105.11
		पूंजी :	86700.00	--	86700.00
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	70052.92	10.00	70062.92
		पूंजी :	38494.48	--	38494.48
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	1648740.72	74.00	1648814.72
		पूंजी :	64780.70	--	64780.70
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	1740.81	--	1740.81
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	27527.10		27527.10
		पूंजी :	30.00	--	30.00
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	2069.27	2069.27

* भारत विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची

--(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	604.60	--	604.60
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	316336.76	--	316336.76
		पूंजी :	157466.55	--	157466.55
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	702657.05	20.00	702657.05
		पूंजी :	66792.07	--	66792.07
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग)	राजस्व :	106082.17	--	106082.17
		पूंजी :	3662.70	--	3662.70
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	40480.49	--	40480.49
		पूंजी :	1790.96	--	1790.96
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	530366.96	26.00	530392.96
		पूंजी :	15756.95	--	15756.95
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	73321.10	2.00	73323.10
		पूंजी :	943.00	--	943.00
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	1099440.99	--	1099440.99
		पूंजी :	248910.99	--	248910.99
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	19841.72	--	19841.72

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	100200.01	--	100200.01
39	भाषा विभाग	राजस्व :	4256.26	--	4256.26
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	32051.57	--	32051.57
		पूंजी :	151346.00	--	151346.00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	49323.38	--	49323.38
		पूंजी :	5000.00	--	5000.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	217519.63	41128.53	258648.16
		पूंजी :	145850.99	500.00	146350.99
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	28378.71	0.01	28378.72
		पूंजी :	12170.68	--	12170.68
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	12608.62	--	12608.62
		पूंजी :	56093.47	--	56093.47
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	647.48	--	647.48
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	1953.50	--	1953.50
		पूंजी :	15.00	--	15.00
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	41025.28	--	41025.28
		पूंजी :	22749.02	--	22749.02
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	225244.68	1.80	225246.48
		पूंजी :	50454.17	--	50454.17
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	728226.37	--	728226.37
		पूंजी :	19901.00	--	19901.00
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	99773.75	17.00	99790.75
		पूंजी :	18736.87	--	18736.87

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	164997.27	--	164997.27
		पूंजी :	2000.00	--	2000.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	351959.85	22.50	351982.35
		पूंजी :	5138.75	7.88	5146.63
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	168.40	--	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	247817.60	4.00	247821.60
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	9399.15	421.96	9821.11
		पूंजी :	6660.94	25.35	6686.29
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	पूंजी :	34000.00	--	34000.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	11950.00	--	11950.00
		पूंजी :	148152.00	--	148152.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	533559.05	5.00	533564.05
		पूंजी :	1190172.00	1000.00	1191172.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	24704.46	--	24704.46
		पूंजी :	14481.72	--	14481.72
60	वन विभाग	राजस्व :	79366.38	13.70	79380.08
		पूंजी :	20787.20	--	20787.20

अनुसूची

--(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1219947.43	5422690.12	6642637.55
		पूंजी :	22590.05	3046333.39	3068923.44
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	राजस्व :	4459212.90	1900.22	4461113.12
		पूंजी :	10000.00	--	10000.00
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	30626.56	--	30626.56
		पूंजी :	200.00	--	200.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	31350.13	--	31350.13
		पूंजी :	20.00	--	20.00
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	1954.87	21404.83	23359.70
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	5955.70	101.55	6057.25
		पूंजी :	1341.57	--	1341.57
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	19236.72	144.20	19380.92
		पूंजी :	147.50	--	147.50
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	66437.24	--	66437.24
		पूंजी :	18395.00	--	18395.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	40315.10	--	40315.10
		पूंजी :	1000.00	--	1000.00

अनुसूची

--(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	4995282.93	--	4995282.93
		पूंजी :	58156.68	--	58156.68
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	933471.93	0.50	933472.43
		पूंजी :	36951.21	--	36951.21
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	253082.13	--	253082.13
		पूंजी :	27618.01	--	27618.01
74	गृह विभाग (होमगार्डस)	राजस्व :	80359.54	--	80359.54
		पूंजी :	1909.47	--	1909.47
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	15651.06	--	15651.06
		पूंजी :	1038.01	--	1038.01
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	33278.54	--	33278.54
		पूंजी :	25.00	--	25.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	10285.74	--	10285.74
		पूंजी :	22.96	--	22.96
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	99736.86	--	99736.86
		पूंजी :	3437.00	--	3437.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	239972.64	--	239972.64
		पूंजी :	16574.19	--	16574.19

अनुसूची

--(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	455494.43	--	455494.43
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	32503.46	--	32503.46
		पूंजी :	8440.29	--	8440.29
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	6264.14	606.70	6870.84
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1534783.38	--	1534783.38
		पूंजी :	914094.68	--	914094.68
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	953.44	--	953.44
		पूंजी :	45426.55	--	45426.55
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	617.46	--	617.46
86	सूचना विभाग	राजस्व :	38337.96	--	38337.96
		पूंजी :	2247.01	--	2247.01
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	6667.99	--	6667.99
		पूंजी :	580.00	--	580.00
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	71399.33	--	71399.33
		पूंजी :	410.00	--	410.00
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	87047.83	6545.02	93592.85

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	4770.29	--	4770.29
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	5796.34	--	5796.34
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	31870.27	0.03	31870.30
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	7972.44	0.05	7972.49
		पूंजी :	7781.19	--	7781.19
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	303011.75	--	303011.75
		पूंजी :	699501.41	500.00	700001.41
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	425990.28	50.00	426040.28
	योग :	राजस्व :	27609113.93	5935547.52	33544661.45
		पूंजी :	9023461.08	3056715.24	12080176.32
	महायोग :		36632575.01	8992262.76	45624837.77

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मंद संख्या-18

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अजय कुमार लल्लू जी, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं वह कह लें उसके बाद आप कह लीजियेगा।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

कल माननीय मुख्य मंत्री जी आयेंगे और कल सम्भवतः इस सत्र का अंतिम दिन होगा, कल मुख्य मंत्री जी रहेंगे और वह इस सम्बन्ध में घोषणा करेंगे।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, 403 विधान सभा क्षेत्र हैं और जन प्रतिनिधियों से क्षेत्र में लोगों को ढेर सारी उम्मीदें होती हैं, विश्वास होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बड़ा बजट पास कराया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिये। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक विधायक को कम से कम 20 कि0मी0 सड़क, प्रत्येक विधायक को कम से कम तीन-तीन सौ हैण्डपम्प और आज के हालात और स्थिति को देखते हुये और आदरणीय वर्मा जी की बातों का समर्थन करते हुये, मैं अनुरोध के साथ आपसे यह चाहूंगा कि कम से कम विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रूपया कर दिया जाये, जिससे क्षेत्र में हम विधायकगण अपने क्षेत्र के विकास के लिये सहायक हो सकें।

श्री अध्यक्ष-

क्या वित्त मंत्री जी कुछ घोषणायें करेंगे ?

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं तो अगली मद संख्या की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री नफीस अहमद की निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा संचालित अनुसूचित जाति छात्र बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों की आवर्तक अनुदान सूची प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सम विकास योजना समाप्त होने के कारण पूरा न किये जा सके अर्धनिर्मित स्कूलों का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवा में बखिरा झील को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में भाऊ का नंगला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट में सड़क, नाली व स्ट्रीट लाईट लगवाये जाने के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सचूना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत स्थित बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है,

छठवीं सूचना श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में कतिपय सम्पर्क मार्गों के पुनर्निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्री रामप्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में लोक निर्माण विभाग की कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है,

आठवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के कर्मचारियों को वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है,

नौवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर में यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा विकास भवन के पुनरूद्धार का कार्य बिना ई-टेण्डरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दसवीं श्री मसूद अखतर की जनपद सहारनपुर के ग्राम मानकमऊ से गुजरने वाले कच्चे नाले को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में है,

ग्यारहवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की जनपद हरदोई के ब्लाक कछौना के कछौना-2 लाईन के ग्राम कटियामऊ में कतिपय लोगों के घर तक विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है,

बारहवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में बांगरमऊ-बिल्लौहर मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है

तेरहवीं सूचना श्री बम्बा लाल दिवाकर की जनपद उन्नाव में ब्लाक मियागंज के अन्तर्गत स्थित रजवाहे की सफाई के सम्बन्ध में है,

चौदहवीं सूचना श्री श्याम धनी राही की जनपद सिद्धार्थनगर में तैतरी सोहात मार्ग लोटन तक चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है,

पन्द्रहवीं श्री राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में शिवगढ़ मुख्यालय से महाराजगंज तहसील मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

सोलहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में श्री विनोद शर्मा, निवासी सी-51ए बसन्त विहार पर बिना जांच किये फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

क्रम	नाम	क्रम	नाम
1	श्री जवाहर लाल राजपूत	18	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
2	श्री मनोज कुमार पारस	19	डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी
3	श्री नाहिद हसन	20	श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस
4	श्री अजय सिंह	21	श्री उमेश मलिक
5	श्रीमती जयदेवी	22	श्री कपिल देव अग्रवाल
6	श्री राकेश राठौर	23	श्री प्रमोद उटवाल
7	श्री राहुल प्रकाश	24	श्री जटाशंकर त्रिपाठी
8	श्री संगम लाल गुप्ता	25	श्री हाकिम लाल बिन्द
9	श्री अनिल कुमार मौर्य	26	श्री सीताराम वर्मा
10	श्री अमिताभ बाजपेई	27	श्री रितेश पाण्डेय
11	श्री ओमकार सिंह	28	श्री देवेन्द्र कुमार निम
12	श्री पारस नाथ यादव	29	श्री असलम चौधरी
13	श्री मूलचन्द्र सिंह	30	श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी
14	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	31	श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह
15	डा0 अरुण कुमार	32	श्री रफीक अंसारी
16	डा0 जी0एस0 धर्मेश	33	श्री पंकज गुप्ता तथा
17	श्री प्रभात कुमार वर्मा	34	श्री संजय प्रताप जायसवाल

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, अभी नेता प्रतिपक्ष ने सुबह कहा था कि आज और कल दो ही दिन का सत्र शेष है इसलिए जिन मा0 सदस्यों ने नियम-51 और नियम-301 की सूचनाएं दी हैं उन सभी को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

कल सभी की सूचनाएं स्वीकार कर लेंगे।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, आज की भी ले ली जाएं।

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 की सभी सूचनाएं स्वीकार कर ली हैं।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, सभी की नियम-51 की सूचनाएं भी ले ली जाएं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर वहां विचार कर लेंगे।

अब हम कल 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही स्थगित हुई।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 03 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 26 मार्च, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 35 विधान सभा (48)-20-05-2019-631 प्रतियां (कम्प्यूटर)।